बुधवार,
२५ नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, २५ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अमेरिका से गेहूं का ऋण

*२६९. **श्री हेडा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अमरीकी गेहूं-ऋण पर सरकार को कुल कितनी हानि हुई है ?

(ख) क्या इस गेहूं की कुछ मात्रा खराब हो गई थी तथा क्या इसे कुछ हानि उठा कर बेच दिया गया था ?

(ग) यदि ऐसा है तो यह मात्रा कितनी है तथा इसका मूल्य कितना है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) ऋण के अतिरिक्त अन्य साधनों से खरीदे गये गेहूं तथा ऋण निधि से खरीदे गये गेहूं के औसत मूल्यों का अन्तर १६.९९ करोड़ रुपये आता है जिसे पूंजीगत अर्थ-सहायता समझा गया है ।

(ख) तथा (ग). ऋण के गेहूं तथा ऋण के अतिरिक्त गेहूं को अलग अलग गोदामों में नहीं रखा गया था ; इस कारण ऋण के गेहूं को जो क्षति पहुंची उसका बतलाना

सम्भव नहीं है, परन्तु मैं सदन से सूचनार्थ निवेदन कर दूं कि वर्ष १९५२ में सूखने, नमी तथा कीड़ों आदि विभिन्न कारणों से हुई हानि अनाज की कुल मात्रा का १ प्रतिशत से भी कम है तथा यह व्यापारिक लेनदेन में मानी गई हानि से कम है ।

श्री हेडा : क्या मैं इस गेहूं के भाव तथा दूसरे देशों से खरीदे गये गेहूं के भाव के अन्तर को जान सकता हूं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : वास्तव में यह अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के अन्तर्गत खरीदे गये गेहूं के भाव और उन भावों के बीच का अन्तर था जो विश्व की खुली मंडी में चालू थे ।

श्री मुनिस्वामी : इस बात को देखते हुए कि हमारा समझौता केवल मात्रा के विषय में था, गेहूं की किस्म की उसमें चर्चा नहीं थी, इस बात की क्या गारंटी है कि आयात किया गया गेहूं अच्छी हालत में था ?

श्री किदवई : उस समय हमें इतनी गेहूं की आवश्यकता थी कि हमने अच्छे किस्म के गेहूं पर जोर नहीं दिया । मूल्य में अन्तर के कारण हमने कुछ घटिया प्रकार का गेहूं खरीदना भी स्वीकार कर लिया ।

श्री वीरस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या लोग अमरीकन गेहूं को इसलिये पसन्द नहीं करते कि यह बहुत घटिया है ?

श्री किदवई : जी हां, बात ऐसी ही है। लोग देशी गेहूं को अमरीकी गेहूं की अपेक्षा अधिक पसन्द करते हैं।

'आप का अपना डिब्बा'

*२७०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न वाणिज्यिक तथा औद्योगिक व्यवसायों को 'आपका अपना डिब्बा' योजना सम्बन्धी प्रश्नावली भेजी थी ;

(ख) क्या उत्तर अब तक प्राप्त हो चुके हैं ; तथा

(ग) इस योजना के वित्तीय प्रभाव क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) प्रश्नावली का अभिप्राय केवल खोज तथा जानकारी प्राप्त करना था। भारतीय रेलों के डिब्बे लेने की वर्तमान प्रक्रिया में इस सम्बन्ध में जनता के अपर्याप्त सहयोग से किसी लाभकारी परिवर्तन के न होने के कारण, निजी स्वामित्व सम्बन्धी किसी योजना के वित्तीय परिमापों का प्रश्न नहीं उठा है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उस योजना को अब बिल्कुल छोड़ दिया गया है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इसे बिल्कुल नहीं छोड़ दिया गया है, परन्तु इस में ऐसी कठिनाइयां हैं कि इस योजना की कार्यान्विति व्यावहारिक नहीं जान पड़ती है। अस्तु हम इस पर सम्बन्धित सार्थों से अग्रेतर चर्चा करने का विचार रखते हैं जिन्होंने कि हमारी प्रश्नावली का उत्तर दिया है तथा जिन्होंने कुछ डिब्बों को खरीद कर अपने पास रखने की इच्छा प्रकट की है।

खाद्य सहाय्य

*२७१. **श्री एस० एन० दास** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या किन्हीं राज्यों को इस आश्वासन पर कि केन्द्र उन्हें सहाय्य देगा, खाद्यान्न के मूल्य घटाने की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो किन को ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : केवल त्रावनकोर-कोचीन सरकार को यह आश्वासन दिया गया है कि उसे १७ रुपये प्रति मन के वर्तमान सहाय्यप्राप्त थोक निर्गम मूल्य पर चावल देने में जो घाटा हुआ है, केन्द्र उसे आंशिक रूप से पूरा करने में सहायता देगा।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्र से यह आश्वासन लिये बिना कि उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने मूल्य घटा दिये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : बहुधा उन से लाभप्रद मूल्य पर बेचने की आशा की जाती है, किन्तु कुछ सरकारें स्वयं सहाय्य दे रही हैं।

श्री एस० एन० दास : किन राज्य सरकारों को मूल्यों के लिये सहाय्य देने की अनुमति दी गई है ?

श्री किदवई : अनुमति देने का प्रश्न नहीं है। यदि कोई व्यापारी या कोई सरकार घाटे पर बेचने के लिये तैयार हो, तो हम अनुमति देने या न देने वाले कौन होते हैं ?

श्री एस० एन० दास : त्रावनकोर-कोचीन राज्य को सहाय्य देने के लिये केन्द्र को अनुमानत: कितना रुपया व्यय करना पड़ेगा ?

श्री किदवई : प्रवेशन और विलीनीकरण के समय सहाय्य ३ करोड़ रुपये प्रति वर्ष था। मेरे विचार में इस वर्ष राशि इतनी नहीं होगी। यह १६० लाख रुपये या इसके लगभग होगी।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : केवल एक राज्य को सहाय्य देने के विशेष कारण क्या हैं ?

श्री किदवई : इस राज्य को बहुत घाटा हो रहा था। उस की सब आय केन्द्रीय सरकार ले लेती थी। उस का सम्बन्ध केन्द्रीय विषयों से था।

पर्यटक आय का नमूना परिमाप

*२७२. **श्री एस० एन० दास** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक आय के सम्बन्ध में भारत के रिजर्व बैंक ने जो नमूना परिमाप आरम्भ किया था, क्या वह समाप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिमाप का परिणाम क्या है तथा

(ग) १९५१, १९५२ और १९५३ में अब तक डालर आय के अनुमानित आंकड़े क्या हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) विदेशी पर्यटकों की यात्रा के कारण होने वाली अज्ञात आय का अनुमान लगाने के लिये रिजर्व बैंक द्वारा जो परिमाप किया जाता है, वह निरन्तर जारी रहता है। यह सबसे पहले जनवरी १९५२ में शुरु किया गया था।

(ख) तथा (ग). १९५२ में अनुमानित डालर आय ४५ लाख रुपये थी। नमूने का तरीका १९५२ से पहले प्रयोग नहीं किया जाता था, इसलिये १९५१ के आंकड़े नहीं हैं। १९५३ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या परिमाप से भारत की डालर आय में वृद्धि या कमी होने का पता चलता है ?

श्री शाहनवाज खां : यह आय बढ़ रही है।

श्री बंसल : भारत को यह ४५ लाख रुपये की आय कितने पर्यटकों से हुई ?

श्री शाहनवाज खां : १९५२ में कुल २५,४४८ पर्यटक भारत में आये थे। ये सब अमेरिकन नहीं थे।

सरदार हुक्म सिंह : भारत आने वाले पर्यटकों की गणना कौन करता है, क्योंकि जहां तक नमूना परिमाप का सम्बन्ध है, यह आय के बारे में होता है ?

श्री शाहनवाज खां : सीमा-शुल्क विभाग इसका ठीक ठीक रिकार्ड रखता है।

श्री जो० पो० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि भारत में सब से अधिक संख्या में पर्यटक किस देश से आते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : सब से अधिक संख्या में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और पाकिस्तान से आते हैं।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : क्या मैं एक शब्द कह सकता हूं ? हमारे पास इंग्लैंड से आने वाले पर्यटकों के बारे में ठीक ठीक रिकार्ड नहीं हैं, क्योंकि उन्हें वीसा नहीं लेना पड़ता। अन्य पर्यटकों के सम्बन्ध में हमारे पास रिकार्ड हैं। राष्ट्रमंडल के देशों से आने वाले पर्यटकों के सम्बन्ध में रिकार्ड रखना और भी कठिन है।

नलकूप

*२७३. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार की प्रेरणा पर प्रारम्भ की गई नलकूप योजना के अन्तर्गत क्या विभिन्न राज्यों में प्रति नलकूप के औसतन व्यय में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) उसके कारण ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) नहीं । प्रावधिक सहकारिता व्यवस्थापन (T.C.A.) के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा पेप्सू राज्यों में ठेकेदारों द्वारा बनाये गये नलकूपों में से प्रत्येक नलकूप की औसतन लागत वही है अर्थात २९ हजार रुपया है ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कई सहकारी समितियों के लिये जो नलकूप बनाये गये हैं उनकी लागत बहुत कम है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी हां ।

श्री एस० एन० मिश्र : यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री किदवई : क्योंकि उन के द्वारा जो सामग्री काम में लाई गई है वह उस प्रकार की नहीं है ; उन के द्वारा प्रयुक्त पाइप घटिया होते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या में जान सकता हूं कि ठेकेदारों तथा सरकार द्वारा कितने कितने नलकूप विभिन्न राज्यों में लगाये गये हैं ?

श्री किदवई : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री नाना दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाये गये नलकूपों में से प्रत्येक नलकूप की औसतन लागत क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाये गये नलकूप की औसतन लागत लगभग २५ हजार रुपया है क्योंकि इस में हम ऊपर के खर्चे सम्मिलित नहीं करते ।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को नेशनल टयूबवैल कम्पनी के बारे में कुछ ज्ञान है जो कि बम्बई में प्रारम्भ की गई थी और अब वह दिवालिया हो गई है, और क्या सरकार द्वारा इस कार्य के लिये बम्बई सरकार को दिया गया अग्रिम ऋण सुरक्षित है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुझे माननीय सदस्य ही से सूचना मिली है ।

गन्ना

*२७७. **श्री अमजद अली** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गन्ने के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं ?

(ख) वर्ष १९४७-४८ से १९५१-५२ तक प्रत्येक वर्ष का गन्ने का उत्पादन ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के आर्थिक तथा सांख्यकी परामर्शदाता द्वारा जारी किये "एग्रीकल्चरल सिचूएशन इन इन्डिया" मासिक पत्र के जुलाई १९५३ के अंक में यह सूचना छपी है ।

(ख) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के आर्थिक तथा सांख्यकी परामर्शदाता द्वारा जारी किये गये मई १९५३ के "एस्टीमेट्स ऑफ एरिया एन्ड प्रोडक्शन आफ प्रिंसीपल

क्राप्स इन इंडिया १९५१-५२" के अंक में यह सूचना प्राप्य है ।

श्री अमजद अली : क्या सरकार इस बात को मानने के लिये तय्यार है कि देश में गन्ने के उत्पादन में अब कमी हो गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इस के बहुत से कारण होते हैं जैसे गन्ने का भाव, बाढ़ अथवा अनावृष्टि, जैसा कि प्रायः प्रत्येक वर्ष हुआ करता है ।

श्री अमजद अली : मैं जान सकता हूं कि क्या गन्ना उत्पादक गन्ना उत्पादन करना लाभप्रद नहीं समझते इसी कारण इस का उत्पादन कम है ?

श्री किदवई : वह ठीक नहीं है क्योंकि सबसे अधिक कारखानों वाले क्षेत्र में इस वर्ष यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक क्षेत्रफल में गन्ना बोया गया है, और उत्पादन भी अच्छा हुआ है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि चीनी के उत्पादन में कुछ मिलों में अधिकृत नियंत्रकों की भर्ती के कारण भी कमी हुई है ?

श्री किदवई : मैं नहीं जानता कि अधिकृत नियंत्रक कौन है ?

सेठ अचल सिंह : पार साल के मुकाबले इस साल शुगर कितने टन कम हुई है ?

श्री किदवई : इस साल का तो अभी मालूम नहीं कितनी हुई, लेकिन जहां तक मेरठ डिवीजन का ताल्लुक है, गालिबन पारसाल से दो लाख टन शुगर ज्यादा होगी ईस्ट यू० पी० और बिहार में जहां फ्लड्स आये थे, वहां शुगर कम होगी ।

सेठ गोविन्द दास : गन्ने की जो कीमत मुकर्रर की जाती है, वह साल भर में सिर्फ एक दफा मुकर्रर की जाती है या बारबार उसको दुहराया जाता है ?

श्री किदवई : कायदा यह है कि एक फसल के लिये एक मर्तबा कीमत मुकर्रर की जाती है, लेकिन अगर आप की राय हो तो हम बारबार और हर रोज मुकर्रर किया करें ।

सेठ गोविन्द दास खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

मीन-क्षेत्र

*२७८. **श्री अमजद अली** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने किन स्थानों में अन्तर्देशीय मीन-क्षेत्र अनुसन्धान केन्द्रों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) क्या जापानी विशेषज्ञों की देख-रेख में जापानी ढंग से बुल-ट्रालिंग द्वारा मछली मारने का परीक्षण किया जा रहा है; और

(ग) क्या एस० एस० "अशोक" और "प्रताप" के इस नये ढंग से गहरे समुद्र में मछली मारने के लिये प्रयोग किये जाने की सम्भावना है;

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) कलकत्ता के निकट बैरकपुर ।

(ख) इस समय नहीं । जापानी विशेषज्ञों की देख-रेख में बुल-ट्रालिंग के परीक्षण शीघ्र ही आरम्भ होंगे ।

(ग) जी हां ।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने पीढ़ियों से मछली मारने का काम करने वाले मछियारों को

इस केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कौन से केन्द्र में ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): परम्परागत मछियारे परम्परागत ढंग का अनुसरण करते हैं, किन्तु यदि उनमें से कोई इस नये ढंग को अपनाना चाहे, तो वह आ कर इसे सीख सकता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या कुछ समय पूर्व मद्रास राज्य ने इस प्रकार की संस्था की मांग नहीं की थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मण्डपम् में हमारे पास ऐसी एक संस्था थी और अब इसे बन्द कर देना पड़ा क्योंकि प्रशिक्षणार्थी सीखने नहीं आते ।

रेल के यात्री-डिब्बे और माल-डिब्बे

*२७९. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) १९५१-५२ और १९५२-५३ में कितने नये यात्री डिब्बे और माल-डिब्बे चलाये गये;

(ख) कितने माल-डिब्बे और यात्री-डिब्बे भारत में बनाये गये और कितने विदेशों से खरीदे गये; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत के कब तक आत्मनिर्भर होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी सदन पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८**]

(ग) सामान्यतया पुरानों के स्थान पर नये यात्री-डिब्बे और माल-डिब्बे बदलने के लिये तो हम पहिले ही आत्मनिर्भर हैं । परन्तु पहिली मांग को पूरा करने के लिये और यातायात की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये काफी अतिरिक्त डिब्बे चाहियें और यह आशा है कि आगामी ३ या ४ वर्षों में कुछ विशेष चीजों को छोड़ कर जिनकी बहुत अधिक संख्या में मांग नहीं होगी, ऐसी सारी आवश्यकतायें देश में ही पूरी हो सकेंगी ।

श्री के०पी०सिन्हा: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या १९५२-५३ में विदेशी सार्थों को जो माल के डिब्बे देने के आदेश दिये गये थे वे सब पूरे कर दिये गये हैं ?

श्री शाहनवाज खां : सभी आदेश अभी पूरे नहीं किये गये हैं ।

श्री के० पी० सिन्हा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि यहां के चारों इंजीनियरिंग सार्थों में कुल कितने माल के डिब्बे बनते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : इस देश में कुल ७,८०० माल के डिब्बे बनाये जाते हैं ।

श्री बंसल : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही में विदेशी सार्थों को बहुत बड़ी संख्या में माल के डिब्बे देने का आदेश दिया गया था और उन सार्थों को भारतीय सार्थों की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्य देने का प्रस्ताव किया गया था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हाल ही में माल के डिब्बों के लिये कोई आदेश नहीं दिया गया था—इंजिनों को मंगवाने के लिये आदेश दिया गया था ।

श्री राधेलाल व्यास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स में भी यात्री डिब्बे और माल-डिब्बे बन सकते हैं और यदि हां, तो क्या सरकार उससे कोई लाभ उठाती है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री राज्य सरकार से इस

कारखाने को हमें सम्भाल देने के लिये कहा गया था, परन्तु वह ऐसा करना नहीं चाहती वह इस के लिये तैयार नहीं हुई। ग्वालियर के कारखाने में माल के डिब्बे और इंजिन नहीं बन सकते ।

श्री राधेलाल व्यास : यात्री-डिब्बे ?

श्री एल० बी० शास्त्री : उनके पास साधन नहीं हैं और यदि राज्य सरकार उसे हमें देने को तैयार हो तो हम वह कारखाना लेने को तैयार हैं ।

इजरायल में क्रय विक्रय और कृषि

*२८१. **श्री गोपाल राव** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ४ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ६५ के उत्तर की ओर ध्यान देंगे और बतायेंगे कि क्या इज़रायल में उनके क्रय विक्रय और कृषि प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भेजे गये चार पदाधिकारियों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

(ख) यदि नहीं, तो उन से कब तक प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है ?

(ग) यदि ऊपर के (क) भाग का उत्तर सकारात्मक हो तो क्या सरकार प्रतिवेदन की प्रति पटल पर रखने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) से (ग) तक. तीन प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है । इन प्रतिवेदनों का एक संक्षेप सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध सं० २९**]

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार प्रतिवेदन में दिये गये सिद्धान्तों को क्रियान्वित करना चाहती है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जो सिफारिशें हमें पुसन्द होंगी और देश में अपनाने योग्य होंगी हम प्रतिवेदन में से चुन लेंगे और उन ढंगों का अनुसरण करने का प्रयत्न करेंगे ।

कृषि स्कूल और कालिज

*२८२. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समुदाय के लिये और अन्य विस्तार तथा विकास योजनाओं के लिये अपेक्षित नए प्रकार के कर्मचारीवृन्द की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में वर्तमान कृषि स्कूलों और कालिजों की श्रेणी को उन्नत करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

(ख) केन्द्र तथा राज्यों दोनों के कितने स्कूलों और कालिजों को अब तक सहायता दी गई है ?

(ग) क्या वर्तमान स्कूल तथा कालिज देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार और कृषि स्कूल तथा कालिज खोलने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) भारत सरकार ने एक योजना का अनुमोदन किया है जिस के अनुसार विभिन्न राज्यों के वर्तमान १२ कृषि स्कूलों को पुनर्संघटित किया जाएगा ताकि प्रति वर्ष प्रत्येक में १०० विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाए । इस के अतिरिक्त ५ वर्तमान कृषि कालिजों में विस्तार विभाग स्थापित करने का भी निर्णय किया गया है ताकि स्नातकोत्रों और जो स्नातक नहीं उन को ग्रामीण स्थितियों में खेती और विस्तार कार्य का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सके ।

(ख) तीन ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) भारत सरकार ने लगभग ६ मास के लिए विस्तार के ढंगों का प्रशिक्षण देने के लिए ३४ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी है। इस के अतिरिक्त हाल में २२ नए कृषि स्कूल खोलने और एक वर्ष की कालावधि के लिए प्राथमिक कृषि प्रशिक्षण देने के लिए २२ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में कृषि विभाग बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कुछ राज्यों में डिग्री कालिजों को छोटा कालिज बनाया जा रहा है, और यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस में हस्तक्षेप करेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मेरे पास कोई जानकारी नहीं। यदि माननीय सदस्य मुझे पर्याप्त पूर्वसूचना दें तो मैं श्न पर विचार करूंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है।

श्री एस० वी० रामास्वामी : क्या हम जान सकते हैं कि कृषि कालिजों और कृषि स्कूलों के नाम क्या हैं तथा वे कहां स्थित हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मेरे पास संख्या और स्थान हैं परन्तु मेरे पास नामों की पूरी सूची नहीं। मैं प्रत्येक राज्य की उन संस्थाओं की सूची पढ़ सकता हूं जिन की श्रेणी बढ़ाई जा रही है और जिन में विभाग लगाए जा रहे हैं। आसाम में वर्तमान स्कूलों के लिए .....

अध्यक्ष महोदय : वे विस्तृत न बताएं ? यदि यह लम्बी सूची है तो वे इसे सदन पटल पर रख सकते हैं।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं इसे सदन पटल पर रख दूंगा।

नलकूप

*२८३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ तथा १९५३ में कितने कितने नलकूप निजी व्यक्तियों तथा सरकारी विभागों के लिये केन्द्रीय नलकूप उप-विभाग ने बनाये हैं; तथा

(ख) अधिक अन्न उपजाओं में इससे कितनी सहायता मिली है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) १९५२ में ९ नलकूप निजी व्यक्तियों के लिये तथा ४ नलकूप सरकारी विभागों के लिये और १९५३ में सितम्बर तक ६ नलकूप केवल निजी व्यक्तियों के लिये बनाये गये हैं।

(ख) इन में १७ सफल सिंचाई-नलकूप सिद्ध हुये और इन्होंने औसतन १६,००० गैलन पानी प्रति घन्टा दिया। प्रत्येक नलकूप से १५० एकड़ की सिंचाई होने की आशा है और इससे लगभग ३० टन प्रति वर्ष उत्पादन में वृद्धि होगी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह तथ्य है कि सरकार ये नलकूप गंगा की घाटी में बनायेगी और यदि हां तो, सरकार कितने नलकूप बनायेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस प्रश्न का संबंध उन नलकूपों से है जो इस उप-विभाग ने, जो प्रत्यक्षत: सरकार के अधीन है, उन स्थानों में बनाये हैं जिनका निर्देश मैं अपने उत्तर में कर चुका हूं। माननीय सदस्य मुझ से एक साधारण प्रश्न पूछ रहे हैं कि गंगा-सिंध की घाटी में कितने नलकूप बनाये जायेंगे। टी० सी० ए० के अन्तर्गत २,००० नलकूप बनाने हैं, और ये चार निम्न राज्यों में बांटे गये हैं नाम्ना, पेप्सू, पंजाब

उत्तर प्रदेश तथा बिहार। परन्तु मैं प्रत्येक राज्य के लिये ठीक संख्या नहीं बता सकता। यदि माननीय सदस्य मुझे पर्याप्त समय दें तो मैं सूचना दूंगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता था कि सरकार इस उप-विभाग द्वारा गंगा की घाटी में कितने नलकूप बनाना चाहती है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह उप-विभाग समाप्त हो चुका है। पहिले एक संघ था जो केन्द्रीय भूजल संघ कहलाता था। उस संघ का काम समाप्त करने के लिये यह उप-विभाग स्थापित किया गया था। क्योंकि उसके पास भी कोई विभाग था, इसलिये हम यह देखना चाहते थे कि जब तक वे काम समाप्त करें तब तक उस विभाग से काम लिया जाये इस प्रकार, इस उप-विभाग का मुख्य कार्य भूतपूर्व संघ का काम समाप्त करना था, और दूसरे काम के रूप में, हम ने उनसे कुछ नलकूप बनाने को कहा और उन्होंने अपने मुख्य कार्य के साथ यह काम भी किया था। यह विभाग बन्द हो चुका है। और इसके स्थान पर दूसरा संघ बना दिया गया है।

श्री आत्तेकर : क्या नलकूपों की संख्या जान सकता हूं और यह भी जान सकता हूं कि ये किन किन राज्यों में बनाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इस प्रश्न का संबंध समस्त राज्यों से नहीं है। भिन्न प्रश्न किया जाना चाहिये और उसकी पूर्व सूचना मिलनी चाहिये।

श्री आत्तेकर : मैं उन राज्यों के बारे में सूचना मांग रहा हूं जिनसे प्रश्न का संबन्ध है।

श्री किदवई : ऐसा कोई विशेष राज्य नहीं है जिसका यह प्रश्न निर्देश करता हो।

आई० एल० ओ० (अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ)

*२८४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९५३ में हुये अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया ;

(ख) क्या सम्मेलन की सिफारिशों पर भारत सरकार ने विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां तो, क्या कोयला खदानों में मजदूरों की न्यूनतम आयु, जिसकी सम्मेलन ने सिफारिश की है, स्वीकार कर ली गई है ; तथा

(घ) भारत सरकार की ओर से किन किन व्यक्तियों ने सम्मेलन में भाग लिया था ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) आई० एल० ओ० के ६६ सदस्य राष्ट्रों में से अट्ठावन राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन के ३६ वें अधिवेशन में, जो जून १९५३ में जनेवा में हुआ था, भाग लिया था।

(ख) तथा (ग)। सम्मेलन ने दो सिफ़ारिशें स्वीकार कीं, एक तो काम करने के स्थानों में मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा के संबंध में, और दूसरी कोयला खदानों में धरातल के नीचे काम करने के लिये प्रवेश की न्यूनतम आयु के बारे में। इन सिफ़ारिशों पर राज्य सरकारों, मालिक तथा मजदूर संघों, आदि के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इन दो सिफ़ारिशों के विषय में सरकार का विचार क्या

कार्यवाई करने का है, इस का एक विवरण यथासमय सदन पटल पर रखा जायेगा ।

(घ) निम्नलिखित व्यक्तियों ने सरकार की ओर से सम्मेलन में भाग लिया :—

प्रतिनिधि : १. भारत सरकार के श्रम उपमंत्री, श्री आबिद अली (नेता) ।

२. ट्रावनकोर-कोचीन सरकार के श्रम मंत्री, श्री पी० जी० मेनन ।

परामर्श-दाता : १. भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय में उप-सचिव, डा० एस० टी० मिराणी ।

२. उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के सचिव श्री आई० डी० एन० साही ।

३. बर्न में भारत के कार्यवाहक राजदूत, श्री केवल सिंह ।

४. लंदन स्थित भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय में उच्च अधिशासी अधिकारी, श्री एस० डब्लू० जमान ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस सम्मेलन में सवेतन छुट्टी के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी ? यदि हां, तो क्या कोई विनिश्चय किया गया था और क्या उस विनिश्चय पर हमारी सरकार ने विचार किया है ?

श्री वी० वी० गिरि : सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या मैं जान सकता हूं कि वहां क्या कोई अभिसमय स्वीकृत हुआ था ?

श्री वी० वी० गिरि : नहीं ।

रेलवे के जनरल मैनेजरों का सम्मेलन

*२८५. **श्री गिडवानी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही की रेल दुर्घटनाओं और उनके कारणों और उन्हें कम करने के उपायों पर विचार करने के लिये सितम्बर १९५३ के अंत में दिल्ली में रेलवे ज़ोनों के जनरल मैनेजरों का रेलवे बोर्ड के सदस्यों और रेलमंत्री के साथ कोई सम्मेलन हुआ था ?

(ख) यदि हुआ था तो उन्होंने क्या विनिश्चय किये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारतीय रेलवे के जनरल मैनेजरों की रेल मंत्रियों और रेलवे बोर्ड के साथ एक बैठक २८ तथा २९ सितम्बर, १९५३ को बोर्ड के कार्यालय में हुई थी परन्तु वह बैठक हाल की रेल दुर्घटनाओं और उनके कारणों और उन्हें कम करने के उपायों पर विचार करने के लिये नहीं बुलाई गई थी ।

(ख) भाग (क) पर दिये गये उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री गिडवानी : उन्होंने अन्य किन मामलों पर विचार किया ?

श्री अलगेशन : अनेक अन्य मामलों पर विचार किया गया जैसे कर्मचारियों की समस्याएं, वाच एंड वार्ड की पुनर्व्यवस्था, यातायात की स्थिति, द्वितीय पंच वर्षीय योजना, तथा उसके अंतर्गत प्रस्थापनाएं आदि ।

श्री गिडवानी : क्या माल-डिब्बों की कमी के प्रश्न पर बैठक में विचार किया गया था ?

श्री अलगेशन : हां, इस पर भी विचार हुआ था ।

श्री गिडवानी : इस पर क्या विनिश्चय किये गये ?

श्री अलगेशन : इस में कोई विनिश्चय करने का प्रश्न नहीं है, अपितु वर्तमान वस्तु-स्थिति में सुधार करने का प्रश्न है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : दुर्घटनाओं के प्रश्न के विषय में, क्या मैं जान सकता हूं कि दक्षिण रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने क्या यह सिफारिश की थी कि उस रेलवे पर बहुत से भागों में रेल पटरियों की खतरनाक हालत है और उन्हें उखाड़ कर नई पटरियां डालनी चाहियें, और मंत्रालय ने उस प्रार्थना को ठुकरा दिया ?

श्री अलगेशन : ऐसा नहीं है : यह पता नहीं है कि उन्होंने कोई सिफारिश की हो जिसे ठुकरा दिया गया हो। वास्तव में कुछ समय पूर्व इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति गठित की गई थी, जिसमें उच्च स्तर के पदाधिकारी थे, और उस समिति की सिफारिशों में से अधिकांश पर अमल किया गया ।

प्रथम श्रेणी की समाप्ति

*२८६. **श्री मुनिस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ लाइनों पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे हटा देने से, अक्तूबर १९५३ के महीने में रेलवे की आय में कोई कमी हुई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : नहीं । इस के विपरीत उच्च श्रेणी यातायात से आय के आंकड़ों से प्रतीत होता है कि अक्तूबर १९५३ में अक्तूबर १९५२ से अधिक आय हुई है ।

श्री मुनिस्वामी : क्यों कि प्रथम श्रेणी समाप्त कर दी गई है, अतः क्या मैं यह समझ लूं कि अब द्वितीय श्रेणी या एयर-कण्डीशण्ड डिब्बे सर्वोच्च श्रेणी समझे जाते हैं ।

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य जैसा चाहें समझ लें। हम एयर कण्डीशण्ड श्रेणी की और द्वितीय श्रेणी की भी व्यवस्था करते हैं ।

श्री मुनिस्वामी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम श्रेणी समाप्त कर दी गई है, क्या सरकार लगभग प्रतिदिन एयर-कण्डीशण्ड डिब्बे लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : यह सच है कि कुछ रेलों में प्रतिदिन के बजाय सप्ताह में दो बार या ऐसे ही एयर-कण्डीशण्ड डिब्बे लगाये जाते हैं हम उन्हें बढ़ाने का प्रयास करेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : क्या अभी भी कुछ ट्रेनों में फर्स्ट क्लास की बोगियां लगाई जाती हैं, और अगर लगाई जाती हैं तो यह तरीका कब तक जारी रहेगा ?

श्री अलगेशन : १५ ट्रेनों में फर्स्ट क्लास की बोगियां लगाई जाती हैं।

सेठ गोविन्द दास : मैंने यह पूछा था कि जिन ट्रेनों में फर्स्ट क्लास की बोगियां लगाई जाती हैं उन में यह कब तक चलती रहेंगी ।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : अभी इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन जब तक जरूरत समझी जायेगी, यह लगाई जायेंगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गलियारे वाले डिब्बों को, जो प्रथम श्रेणी की यात्रा के लिये प्रयुक्त होते हैं, अब द्वितीय श्रेणी के लिये प्रयोग किया जायगा, और इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि यात्री दोनों को असुविधाजनक समझते हैं ?

श्री अलगेशन: प्रथम श्रेणी के सभी भूतपूर्व डिब्बे द्वितीय श्रेणी के बना दिये गये हैं ।

रूस के साथ लेन-देन का सौदा

*२८७. **श्री दाभी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लेन–देन पद्धति के आधार पर रूसी गेहूं के सम्भरण के लिये रूस और हमारी सरकार के बीच होने वाली बातचीत पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से चावल का आयात करने के लिये निजी व्यापार-क्षेत्र को जारी की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : चूंकि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इन अनुज्ञप्तियों को जारी करता है अतः उसी से यह प्रश्न पूछना चाहिये ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह रूस के सम्बन्ध में पूछा गया है ।

अनाज का निजी व्यापार

*२८८. **श्री दाभी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशों से व्यापार के आधार पर सूजी मैदा (बिना खमीर के फूलने वाले आटे), मक्की और जौ के आयात को खुला छोड़ने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, क्या इन अनाजों के आयात तथा विक्रय के सम्बन्ध में कोई शर्तें रखी गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) वास्तव में सूजी मैदा का प्रयोग करने वालों को इसका आयात करने की छूट दी जाती है, और मक्की और जौ के आयात के लिये आयात के मुख्य नियंत्रक द्वारा तदर्थ आधार पर विचार किया जाता है । मक्की और जौ के आयात के लिये इस शर्त पर अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं कि इस अनाज को राशन वाले क्षेत्रों में बेचा न जाय । सम्बद्ध राज्यों के अन्दर लागू स्थानीय या अन्य नियंत्रणों के अनुसार ही इनका विक्रय होगा ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि आज तक इस प्रकार के अनाजों की कितनी मात्रा आयात की जा चुकी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं, किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी दूंगा कि चूंकि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस देश का मक्की और जौ का उत्पादन बहुत पर्याप्त है, अतः हमने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से इस बात की प्रार्थना की है कि वह और अनुज्ञप्तियां जारी न करें ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो इंटर स्टेट कंट्रोल है उस को कब तक हटाया जायेगा ?

श्री किदवई : अभी जल्दी कोई इरादा नहीं है ।

श्री बंसल : मैं जान सकता हूं कि क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री का ध्यान भारत स्थित रूसी राजदूत के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत सरकार के साथ उन की जो बातचीत चल रही थी, वह शीघ्र ही पूरी की जाएगी ?

श्री किदवई : वह तो एक व्यापार-करार के सम्बन्ध में है जिसके अन्तर्गत हम

गेहूं, चावल या उस किसी भी अन्य अनाज की जो वे हमें मुहैया करेंगे, की कोई भी मात्रा आयात कर सकेंगे और वे यहां से जो भी और जितना भी लेना चाहें, ले सकेंगे ?

चावल पर नियन्त्रण

*२८९. **श्री दाभी :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने चावल को छोड़ कर शेष सब खाद्यान्नों पर से नियन्त्रण हटा लेने का निर्णय किया है ?

(ख) चावल पर नियंत्रण किस हद तक जारी रखा जायेगा और किन कारणों से ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) सरकार ने निर्णय किया है कि गेहूं और मोटे खाद्यान्नों पर से नियन्त्रण पूर्ण रूप से हटा लिया जाये, केवल अन्तर्राज्य प्रतिबन्ध पहले की तरह जारी रहने चाहियें ।

(ख) १९५४ में चावल पर वर्तमान नियन्त्रण जारी रहेगा । केवल स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समाहार प्रबन्ध में कुछ परिवर्तन किये जायेंगे । जब तक कि देश में चावल की स्थिति में सुधार नहीं होता, नियन्त्रण जारी रखने पड़ेंगे ।

श्री दाभी : क्या मैं यह समझ लूं कि सब नगरों में जिन में राशन वाले नगर भी हैं, चावल को छोड़ कर शेष सब खाद्यान्नों पर से नियन्त्रण हटा लिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : हां, श्रीमान्, राशन वाले नगरों में भी ।

श्री दाभी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के सम्बन्ध में स्थिति बहुत संतोषजनक है, क्या मैं जान सकता हूं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न ले जाने पर प्रतिबन्ध को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

श्री किदवई : जी हां ; यदि हम गेहूं को खुले तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने दें, तो बम्बई पंजाब से गेहूं लेगा और पंजाब में मूल्य बढ़ जायेंगे । यातायात की कठिनाइयां भी होंगी । यदि पंजाब बम्बई को गेहूं भेजना शुरू करदे और बम्बई मद्रास को और मद्रास कलकत्ता को, तो ये और भी बढ़ जायेंगी ?

श्री दाभी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस समय जब कि भारत १५ लाख से २० लाख टन तक चावल बर्मा से आयात करता था, इस पर कोई नियन्त्रण नहीं था, तो अब जब कि हमें चावल आयात करने की आवश्यकता नहीं, इसे क्यों जारी रखा जा रहा है ?

श्री किदवई : हम इस समय चावल की नहीं, गेहूं की बात कर रहे हैं । पंजाब में गेहूं के जो मूल्य हैं वह पत्तनों पर आयात किये हुए गेहूं के मूल्यों से कम हैं । अतः बम्बई और अन्य स्थानों पर लोग पंजाब या उत्तर-प्रदेश का गेहूं लेना चाहेंगे । इस से पंजाब और बम्बई दोनों में मूल्य बढ़ जायेंगे । अतः जब तक कमी रहती है, इस तरह का कुछ नियन्त्रण रखना पड़ेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : चूंकि सरकार का चावल पर नियन्त्रण जारी रखने का विचार है, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या उस का बाजार से चावल खरीदने का विचार है ?

श्री किदवई : उड़ीसा और मध्यप्रदेश की राज्य सरकारें खरीदती रहेंगी और स्थानीय उपभोग के लिये बम्बई और मद्रास की सरकारें भी खरीदती रहेंगी । किन्तु हम कलकत्ता में, समाहार नहीं कर रहे ; जब भी हमें ज्ञात होगा कि उत्पादन को उचित या आर्थिक मूल्य नहीं मिल रहा, तो हम मंहगे दामों में खरीदना शुरू कर देंगे, ताकि उत्पादक हानि से बच जायें ।

श्री एन० श्री कान्तन नायर : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या नियन्त्रण केवल सब से घटिया किस्म के चावल पर है, जैसा कि दिल्ली और बंगाल में मिलता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : नियन्त्रणों से केवल सब से घटिया किस्म का चावल रह गया है जब हमने एक मूल्य निर्धारित किया, तो कृषकों ने केवल सामान्य किस्म का चावल उगाना शुरू कर दिया बढ़िया किस्मों को उगाना बन्द कर दिया है। किन्तु हम बढ़िया किस्मों की पैदावार को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

श्री जो० एच० देशपांडे क्या सरकार ऐसे खंड बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी जिन में कमी वाले और आधिक्य वाले राज्यों को, उदाहरणतया बम्बई, हैदराबाद और मध्य प्रदेश को इकट्ठा लाया जा सके ?

श्री किदवई : मोटे खाद्यान्नों के सम्बन्ध में इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है, यद्यपि एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने पर नियन्त्रण रखा गया है। किन्तु बम्बई को मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब और अन्य के साथ जोड़ा गया है। केवल बम्बइ सरकार ही इस क्षेत्र से मोटे खाद्यान्न ले सकती है। मद्रास की आवश्यकताएं कम हैं। इसलिये इसे हैदराबाद से जोड़ा गया है।

मजरी कोयला खानें

*२९१. **श्री टी० बी० विट्ठल राव**: (क) **श्रम मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ५ अगस्त, १९५३ को मजरी खानों में गढ़े में पानी भर जाने के कारण जिन ११ कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी उन के परिवारों या आश्रितों को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई है ?

(ख) क्या उन कर्मचारियों को जो कि खान के बन्द हो जाने के कारण बेकार हो गये हैं, फिर बसा दिया गया है ?

(ग) १९५२ में इन खानों में कितना उत्पादन हुआ ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) क्षतिपूर्ति कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३ के अनुसार दी जायेगी। अभी अदायगी नहीं की गई। मामला कर्मचारी क्षतिपूर्ति के आयुक्त के विचाराधीन है।

(ख) ३५९ कर्मचारियों में से जो कि बेकार हो गये थे, १९१ को काम दिया गया था। बाकी वहां से चले गये हैं।

(ग) लगभग ३२,००० टन।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि कितने कर्मचारियों को, जिन्हें और काम नहीं मिल सका था, क्षतिपूर्ति दी गई थी ?

श्री वी० वी० गिरि : हमारे प्रादेशिक श्रम आयुक्त के अनुसार, वास्तव में यह वचन दिया गया है कि उन लोगों को जो कि इस के लिये तैयार हैं न केवल और काम दिया जायेगा, अपितु अन्त में खान के खुलने पर उन सब को वापस ले लिया जायेगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या उन कर्मचारियों को भी कोई क्षतिपूर्ति दी गई है, जिन्हें वहां पुनः नियुक्त नहीं किया जा सका था ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं बताना चाहता हूं कि प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने क्या कहा है। उन्होंने मालिक से यह समझौता प्राप्त किया है :

"जितना समय खान में काम नहीं होगा प्रबन्धक कर्मचारियों को बाहर और काम देने के लिये तैयार हैं। खान में काम शुरू होने पर उन्हें फिर वहां लगा दिया जायेगा। जून, १९५३ को अन्त होने वाली तिमाही का बोनस उन्हें दिया जायेगा। शेष अवधि का बाकी बोनस उन्हें उन स्थानों पर दिया

जायेगा, जहां उन्हें काम के लिये भेजा जायेगा। मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का एक मास की और साप्ताहिक वेतन पाने वालों को, जो कि स्थायी है, एक सप्ताह की सूचना दी जायेगी। ९ अगस्त १९५३ तक उन्हें रियायती दरों पर पूरा राशन दिया जायेगा। कर्मचारियों को ८ अगस्त तक मजदूरी दी जायेगी"।

प्रबन्ध संचालक ने यह भी कहा था कि कर्मचारियों को उन के अन्य खानों में लगाये जाने की तिथि तक सितम्बर १९५३ के लिये अनुपाती बोनस दिया जायेगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या उक्त समझौता कर्मचारियों ने स्वीकार किया है या यह केवल प्रादेशिक आयुक्त और मालिक के बीच हुआ है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह समझौता प्रादेशिक श्रम आयुक्त के कहने पर किया गया था और मुझे विश्वास है कि इसे क्रियान्वित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह कर्मचारियों की स्वीकृति से किया गया था, या उनके कहने पर ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे विश्वास है कि यह उन की मंजूरी से हुआ है और वे इस से बहुत खुश हैं।

कोयला खानों में दुर्घटनएं

*२९२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** (क) **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५३ से ३० सितम्बर, १९५३ तक की अवधि में कोयला-खानों में कितनी घातक दुर्घटनाएं हुईं और उन में कितनी जानें गईं ?

(ख) क्या कर्त्तव्यों की उपेक्षा करने के लिये अधीक्षण कर्मचारियों या गढ़ा प्रबन्धकों पर कोई मुकदमे चलाये गये थे ?

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में ?

(घ) क्या उनमें से किसी को दंड दिया गया था ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) १९३ घातक दुर्घटनाए जिन में २५७ जानें गईं।

(ख) जी हां।

(ग) चार।

(घ) मामलों के निर्णय अभी ज्ञात नहीं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि १९५२ की अपेक्षा १९५३ में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां, मुझे मानना पड़ेगा कि कुछ वृद्धि हुई है। किन्तु कारणों के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ये दुर्घटनायें सामान्य कारणों से हो सकती हैं।

श्री जोकीम अल्वा : पिछले सत्र में मैंने माननीय मंत्री से पूछा था कि इन खानों में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्या आधुनिक उपाय किया जाता है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह केवल निरीक्षकों की रिपोर्ट पर निर्भर करती है और दुर्घटना हो जाने के बाद कार्रवाई करती है या कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये आधुनिक तरीके अपनाती है ?

श्री वी० वी० गिरि : दुर्घटना होने के तुरन्त पश्चात सारे मामले की जांच की जाती है। इस के अतिरिक्त प्राधिकारी इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हों। हमारा यह भी विचार है कि एक विशेषज्ञ समिति को भी इन मामलों की जांच पर लगाया जाये।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ मामलों में अभियोग इस

लिये नहीं जारी रखा जा सका क्योंकि अभियोग के समय खान निरीक्षक अनुपस्थित था ?

श्री वी० वी० गिरि : यदि खान निरीक्षक उपस्थित न हो, तो उपनिरीक्षक जाता है । किन्तु सामान्यतया खान-निरीक्षक वहां तत्काल पहुंचना अपना पहला कर्तव्य समझता है ।

माल के डिब्बे

*२६३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५३ से ३० सितम्बर तक के आधे वर्ष में कितने नये माल के डिब्बे लाइन पर चालू किये गये हैं ;

(ख) इनमें से कितने आयात किये गये थे ; तथा

(ग) १९५२-५३ में कितने अधिक माल के पुराने डिब्बों को लाइन से हटा कर तोड़ दिया गया था ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ३७०२ ।

(ख) ६३२ ।

(ग) २१६३ ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि देश में बने हुए माल डिब्बे की तुलना में एक आयातित माल डिब्बे का मूल्य कितना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : श्रीमान्, आयातित माल डिब्बे का कारखाने का मूल्य स्वदेशी माल डिब्बे से कम है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं माल डिब्बे की लागत के सम्बन्ध में निश्चित आंकड़े जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । किन्तु मैं माननीय सदस्य को आंकड़े दे सकता हूं ।

श्री टी० के० चौधरी : सारे भारत में सभी रेलों के माल डिब्बों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है ?

श्री शाहनवाज खां : श्रीमान्, इस देश में प्रति वर्ष ५००० माल डिब्बों को बदलने की आवश्यकता पड़ती है, किन्तु गत युद्ध के कारण हमारे ३०,९२० माल डिब्बे बकाया हैं ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस ज़ोन में कितने बैगन चल रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां: यह जानकारी सदन पटल पर रख दी गई है ।

रेल कर्मचारियों के वेतन क्रम

*२९४. **श्री गिडवानी :** (क) रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि १९३१ से पहले के कुछ रेल कर्मचारियों को, जिन्होंने पुराने वेतन क्रम को चुना था और जो विभाजन के फलस्वरूप पुरानी ईस्ट इंडिया रेलवे में स्थानान्तरित कर दिये गये थे, अभी भी पाकिस्तानी रेलों, अर्थात् उत्तर-पश्चिम तथा बंगाल-आसाम रेलवे, का वेतन दिया जा रहा है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि जी० आई० पी० तथा बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलों में स्थानान्तरित किये गये ऐसे १९३१ से पूर्व के रेल कर्मचारियों को उनके तत्स्थानी १९३१ से पूर्व के वेतन क्रमों में रख दिया गया है ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि रेल बोर्ड ने इस सामान्य प्रश्न पर विचार किया था कि उत्तर पश्चिम रेलवे तथा बंगाल-आसाम रेलवे के उन पुराने कर्मचारियों पर, १९३१

से पूर्व का कौन सा वेतन क्रम लागू होना चाहिये, जो विभाजन के फलस्वरूप भारतीय रेलों में भेज दिये गये थे ?

(घ) यदि ऐसा है तो इस मामले में क्या निर्णय हुआ है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भूतपूर्व बंगाल-आसाम रेलवे के १९३१ से पूर्व वाले उन कर्मचारियों को ही, जिनको विभाजन के समय स्यालदा डिवीजन के साथ भूतपूर्व ईस्ट इंडिया रेलवे में स्थानान्तरित किया गया था, भूतपूर्व बंगाल आसाम रेलवे वाले वेतन क्रम दिये गये थे। अन्य लोगों को उस पद का वेतन मिल रहा है, जहां पर वे स्थानान्तरित करके भेजे गये हैं।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) तथा (घ)। इस प्रश्न पर काफी विस्तृत रूप से विचार किया गया था और रेलवे प्रशासन के परामर्श से यह तय किया गया था कि विभिन्न रेलों पर जो वेतन अंतिम रूप से निश्चित किया जा चुका है, उसमें परिवर्तन न किया जाये।

श्री गिडवानी : क्या यह निर्णय अंतिम है अथवा इससे प्रभावित होने वाले पक्षों के पास से अभिवेदनों के मिलने के बाद सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री अलगेशन : जब तक कि हमें कोई और अभिवेदन नहीं प्राप्त होते, तब तक यह निर्णय अंतिम रहेगा।

भूमि हीन कृषि श्रमिक

*२९५. **श्री गोपाल राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय योजना के आधीन भूमि हीन कृषि श्रमिकों को फिर से बसाने की योजनाओं के लिये दिये गये दो करोड़ रुपयों में से अब तक कितना व्यय हुआ है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितनी राशि व्यय हुई है ; तथा

(ग) भूमि हीन श्रमिकों को किस प्रकार से लाभ पहुंचा है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) तथा (ख)। अभी तक कुछ भी व्यय नहीं हुआ है। भोपाल राज्य में इस कार्य के लिये एक यंत्रीकृत फार्म खोलने का एक प्रस्ताव अभी हाल में स्वीकृत हुआ है।

(ग) अभी यह योजना उस अवस्था पर नहीं पहुंची है जब कि इससे भूमि हीन श्रमिकों को पहुंचने वाला लाभ आंका जा सके।

श्री गोपाल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इसको अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : भूमि तय्यार की जा रही है, और मैं समझता हूं कि उसमें अगले मौसम में बुआई हो जायेगी।

श्री वी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन भूमि हीन कृषकों को भूमि तथा अन्य सुविधायें देने के लिये कोई राज्य सरकार पहिले ही से कार्यवाही कर रही है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस मामले पर कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी और वहां पर कुछ निश्चय किये गये हैं जिनके अनुसार प्रत्येक राज्य को भूमि हीन श्रमिकों की स्थिति तथा ऐसे स्थानों की संभावनाओं का सर्वेक्षण करना होगा जहां हम फार्म आरम्भ कर सकते हैं। अतः प्रत्येक राज्य ने इस दिशा में बड़ी तत्परता से कार्यवाही की है और वे राज्यों में ऐसे फार्म आरंभ करने वाले हैं।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन दो करोड़ रुपयों में से राज्य सरकारों को रुपया देने म किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है ?

श्री एन० वी० कृष्णप्पा : गुणावगुणों के अनुसार ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि हाल में जो सम्मेलन हुआ था, क्या उसमें इन दो करोड़ रुपयों में से निधियों के बटवारे पर भी चर्चा हुई थी ?

श्री किदवई : किसी भी सरकार ने इन भूमिहीन श्रमिकों को फिर से बसाने की कोई योजना हमारे पास नहीं भेजी है । इसलिये दो वर्ष की प्रतीक्षा के बाद इसे हमने स्वयं आरम्भ किया है ।

राष्ट्रीय राजपथ

*२९६. **श्री हेडा :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित कृष्णा-पेन्नार परियोजना के निर्मित हो जाने पर मूल राष्ट्रीय राजपथ संख्या ७ (बनारस-कुमारी अंतरीप सड़क) का लम्बाई में कितना भाग पानी में डूब गया होता ?

(ख) यदि इस राजपथ को परियोजना के किनारे किनारे अथवा उस परियोजना के बांध के ऊपर से ले जाया जाता तो कितना फेर (लम्बाई में) पड़ता ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कितनी लम्बाई पानी में डूब जायेगी, यह बांध के ऊपर के तालाब की सतह पर निर्भर करेगा । यदि यह सतह आर० एल० ६१०.५ है, जैसा कि मद्रास का मूल विचार है, तो यह अनुमान लगाया गया है कि कुरनूल से लगी हुई सड़क की ६ मील लम्बाई पानी में डूब जायेगी ।

(ख) फेर की लम्बाई भी तालाब की सतह पर निर्भर है । यदि तालाब की सतह आर० एल० ६१०.५ है, तो लगभग ३० मील का फेर पड़ेगा और बांध के ऊपर से सिद्धेश्वरम होते हुए जो फेर पड़ेगा वह लगभग ८५ मील का होगा ।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ समय पूर्व जिस वैकल्पिक प्रबंध पर विचार किया गया था, वह कैसा रहेगा यदि वह फेर प्रस्तावित परियोजना के बांधों पर किया जाये ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, सिद्धेश्वरम् तालाब के किनारे की सड़क सबसे अधिक मंहगी प्रतीत होती है और उसका बनाना भी सब से अधिक कठिन है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राजपथ योजना में दक्षिण आर्काट जिले में पेन्नार नदी पर ऊपर से जाने वाले पुल के बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया है, और यदि किया गया है, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री अलगेशन : पता नहीं इस प्रश्न से यह बात कैसे उठती है ।

खाद्य नीति

*२९९. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०१० के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्नों के विनियंत्रण तथा चावल के मूल्य एवं वितरण पर नियंत्रण बनाये रखने के सम्बन्ध में क्या निश्चय हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : भारत सरकार ने यह तय किया है कि गेहूं तथा मोटे अनाज को अब पूरी तौर से विनियंत्रित कर दिया जाये किन्तु अन्तर-राज्यीय रुकावटें पूर्ववत् रहेंगी । चावल के मूल्य और वितरण पर जो नियंत्रण आज-

कल है वे तब तक जारी रहेंगे जब तक कि देश में चावल की स्थिति में और सुधार नहीं हो जाता ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि इन खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने और ले जाने के बारे में क्या इस वर्ष अधिक स्वतंत्रता देने का विचार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: राज्यों के भीतर भीतर तो चावल को लाने और ले जाने के सम्बन्ध में पहले से ही पूर्ण स्वतंत्रता है । किन्तु व्योपार प्रयोजानार्थ को छोड़कर चावल को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने के सम्बन्ध में हम आज्ञा नहीं देते ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या धान इकट्ठा करने के आदेश दिये जायेंगे, यदि हां तो किन राज्यों में ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : माननीय मंत्री द्वारा यह उत्तर पहले ही देदिया गया है कि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में राज्य द्वारा धान इकट्ठा करना, अथवा उदग्रहण कार्य जारी रहेगा ; किन्तु दूसरे राज्यों में धान का समाहार बिल्कुल भी नहीं होगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : बिहार में स्थानीय आवश्यकतानुसार समाहार किया जा सकता है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : चूंकि बहुत से खाद्यान्नों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है, अत: नियंत्रण विभाग में कार्य करने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों का क्या होगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जहां कहीं उनकी छंटनी की जायेगी वहां उन्हे अन्य विभागों में लगानें का प्रयत्न किया जायेगा ।

उपनगरों को जाने वाली रेलों का विद्युतीकरण

***३००. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे की उपनगरों को जाने वाली रेलों के विद्युतिकरण करने की प्रणाली का परिमाप करने के लिये जो पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं उनके नाम तथा विचारणीय विषय क्या हैं ?

(ख) क्या कोई प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जा सकती है ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो कब तक वह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) पूर्वी रेलवे के डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेंट श्री एस० सारंगथानी, के अधीन एक जांच दल बनाया गया है जिसमें पश्चिमी रेलवे के डिवीज़नल इलिक्ट्रीकल इन्जीनियर श्री वी० आर० वज्रमुष्टि तथा पूर्वी रेलवे के श्री पी० के० गांगुली, तथा ए० एल० जैन की नियुक्ति बिहार, बंगाल तथा कलकत्ता क्षेत्र के उपनगरों की सम्पूर्ण औद्योगिक पेटी में विद्युतीकरण का व्यापक परिमाप करने के लिये, तथा राय समिति द्वारा सिफारिश की गई प्रस्तावित गोल रेल लाइन बनाने की जांच करने के लिये, की गई है ।

(ख) नहीं ।

(ग) परिमाप दल द्वारा मई १९५४ में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सम्भावना है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति ने गोल रेलवे लाइन डालने के प्रस्ताव पर भी विचार किया था ?

श्री शाहनवाजखां : समिति का कार्य अभी जारी है । निसंदेह वह समिति इस पर विचार करेगी, विचारणीय विषयों में वह भी सम्मिलित है ।

पूर्वी रेलवे में उपनगरों का यातायात

*३०१. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२, तथा १९५२-५३ में पूर्वी रेलवे में पूर्वीय क्षेत्र के उपनगरों के यात्रियों का यातायात कितने प्रतिशत है ?

(ख) उपनगरों की सवारी गाड़ियों में भीड़ को कम करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) सियालदह डिवीजन में उपनगरों के चलने वाले यात्रियों का प्रतिशत पूर्वी रेलवे में उपनगरों के चलने वाले सम्पूर्ण यात्रियों के प्रतिशत का विवरण निम्न है : —

१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३
५७प्रतिशत	५६प्रतिशत	५६.१प्रतिशत

(ख) उप नगरों की गाड़ियों की क्षमता बढ़ा दी गई है, और जहां कहीं संभव है वहां रेल का अधिक प्रयोग करके अतिरिक्त गाड़ियां जारी कर दी गई हैं ।

सहकारी प्रशिक्षण के लिये अनुदान

*३०३. **श्री नानादास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी प्रशिक्षण तथा प्रयोगो के लिये किन्हीं राज्यों को अनुदान दिया गया है और वर्ष १९५३-५४ में प्रत्येक राज्य को कितना कितना धन दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : अभी तक कुछ नहीं ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष में जो १५ लाख रुपया इस कार्य के लिये निर्धारित किया गया था उसका क्या हुआ ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह मद पंचवर्षीय योजना में अंतिम अवस्था में ही सम्मिलित की गई थी और उसके बाद ही हमने कार्यवाही की है । हमने रिज़र्व बैंक से परामर्श कर लिया है और एक निष्कर्ष पर आ गये हैं जिसके अनुसार रिजर्व बैंक सहकारी विभाग के मध्यम तथा उच्च वेतन क्रम के व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का उत्तर दायित्व लेगा और निम्न श्रेणी के कर्मचारी हमारे द्वारा प्रशिक्षित किये जायेंगे । अतएव हमने एक समिति की स्थापना की है जो इसके बारे में विचार करेगी । फिर भी इस बीच मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस १५ लाख में से बम्बई सहकारी संस्था को उसमें प्रशिक्षण कक्षाओं को चलाये रखने के लिये २५ हजार रुपया दिया गया है ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि सहकारिता में किस प्रकार का निश्चित प्रशिक्षण सरकार देना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : सहकारी समितियों के कार्य संचालन का ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सहकारिता के उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के लिये किसी को विदेश भेजा गया है ?

श्री किदवई : इतने व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये बाहर जाते रहते हैं कि उनकी संख्या को याद रखना बड़ा कठिन है । यदि माननीय सदस्य प्रश्न की सूचना देंगे तो उन्हें उत्तर मिल जायेगा ।

नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट

*३०४. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **संचरण** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि क्या यह तथ्य है कि नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट रखने वालों को कभी कभी कहा जाता है कि वे अपने सर्टीफिकेट्स को बिना ब्याज के भुना लें ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के अनियमित सर्टीफिकेटों को नियमित करने के लिये, तथा जहां आवश्यकता हो वहां ब्याज के साथ उन्हें भुनाने के लिये आदेश जारी करेगी ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि इन नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेटों के अनियमित रूप से जारी होने का कारण यह था कि इस विषय में समय समय पर अपूर्ण तथा अस्पष्ट आदेश निकलते रहे हैं ?

(घ) क्या सरकार डाकखानों तथा जनता की जानकारी के लिये, इस विषय से सम्बन्धित नवीनतम आदेशों से पूरित कोई पुस्तिका अलग से जारी करने का जैसा कि १९४४ में जारी की गई थी, विचार रखती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर): (क) जी हां ।

(ख) यदि माननीय सदस्य विस्तृत बातें बतायेंगे तो उसकी जांच की जायेगी ।

(ग) नहीं ।

(घ) डाकघर के नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट नियम डाक तथा तार घर की पथ-प्रदर्शक पत्रिका में फिर से लिखे गये हैं जो कि डाकघरों में बिक्री के लिये प्राप्य हैं । एक पुस्तिका जिस में सम्बन्धित नियम जिनका आज की तिथि तक संशोधन किया गया है, यथा समय अलग से जारी की जायेगी ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि जनता को इसके नियमों की जानकारी से परिचित नहीं रखा जाता, क्या सरकार कुछ पुस्तिकायें देशी भाषाओं में छपवाने का विचार रखती है ?

श्री राज बहादुर : इन नियमों को देशी भाषाओं में अनुवाद कराने के लिये भी हम कार्यवाही कर रहे हैं । हमने पहले हिन्दी में अनुवाद कराना प्रारम्भ कर दिया है ।

श्री मुनिस्वामी : इन नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट्स के भुनाने के आदेशों को दृष्टि-गत रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि जनता को कुल कितने धन की हानि हुई ?

श्री राज बहादुर : इस में कोई हानि नहीं हुई है, क्योंकि यह एक तो इस नियम से कि एक विशेष व्यक्ति इन सर्टीफिकेट्स को इतने से अधिक नहीं खरीद सकता इस सीमा का उल्लंघन करने के कारण हुई है, अथवा इन फार्मों अथवा आवेदन पत्रों को भरते समय किसी भूल के कारण हुई है । इन दोनों मामलों में उस व्यक्ति ने केवल ब्याज ही खोया है ।

श्री मुनिस्वामी : कुछ मामलों में नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट्स भुनाये गये हैं, मैं उन मामलों का धन जानना चाहता हूं ?

श्री राज बहादुर : मैंने बताया है कि वित्त मंत्रालय ने एक व्यक्ति विशेष द्वारा इन सर्टीफिकेट्स के खरीदने के लिये एक उच्च सीमा रख दी थी, यदि वह उच्च सीमा का उल्लंघन किसी डाकखाने के कर्मचारी और वित्त मंत्रालय के किसी कर्मचारी के ध्यान में आ जाता है तो वे इन सर्टीफिकेट्स को भुनाने के लिये निश्चित रूप से आदेश दे देते हैं ; और उन व्यक्तियों को कोई ब्याज नहीं मिलता ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन आदेशों के जारी होने से पहले क्या सरकार ने कुछ मामलों में माफी दे दी थी ?

श्री राज बहादुर : जी हां । कुछ मामलों में जहां कि इन फार्मों में विस्तृत बातों की पूर्ति करने तथा अन्य कार्यों के करने के बारे में डाक विभाग के कर्मचारियों के दोष थे उन मामलों में माफी दी गई है । केवल चार मामलों में इन नियमों में हमने छूट दी है ।

धान इकट्ठा करने की प्रणाली

*३०५. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चावल तथा धान इकट्ठा करने की प्रणाली में कोई परिवर्तन और किदवई योजना में जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से जिनके पास धान की १० एकड़ भूमि से अधिक भूमि है, आवश्यक रूप से समाहार किया जायगा, इसमें कोई संशोधन करने का विचार सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) क्या सरकार इकट्ठा करने की प्रणाली के परिणामों से जैसा कि इस प्रणाली द्वारा इस चालू वर्ष में काम किया गया है, सन्तुष्ट है ?

(ग) क्या १९५३ में धान तथा चावल की इकट्ठी की गई मात्र अनुमानित मात्रा के अनुसार आ गई है ?

(घ) क्या १९५४ से धान तथा चावल पर से पूरा नियंत्रण हटाने का सरकार विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) पश्चिमी बंगाल में चावल तथा धान के इकट्ठा करने का काम १४ अक्तूबर १९५३ से समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) । ३ १/२ लाख टन इकट्ठा करने की आशा थी जिसमें केवल २०७,००० टन इकट्ठा हुआ, जो कि बड़ा निराशाजनक है ।

(घ) नहीं श्रीमान् ।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या खुले बाजार में धान की कीमतों की भारी गिरावट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है ? क्या वे अभी खुले बाजार में जाकर समाहार करने का विचार रखते हैं अथवा वे इस काम को बाद में करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य का अभिप्राय क्या है । हमने धान की कीमत में कमी नहीं की है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि धान की कीमत पर्याप्त कम हो गई है और यह देखते हुए कि कलकत्ता इसका निर्बन्ध केन्द्र है मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार खरीदने वाले आढ़तियों की भांति खुले बाजार में जाकर निम्नतम दर पर अनाज खरीदने का विचार करती है ?

श्री किदवई : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य ने पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा जारी की गई समाचार अधिसूचनायें देखी हैं कि वहां कीमतें ६ रुपये तक कम हो गई हैं । किन्तु सरकार ने एक सूचना जारी की है कि वे ६ रुपये की दर से नहीं किन्तु ७ रु० ८ आ० की दर से गल्ला खरीद रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इसका यह अर्थ है कि सरकार निम्नतम दर की प्रत्याभूति देने का विचार रखती है ?

श्री किदवई : यदि जो कुछ मैं ने कहा है उसका अर्थ यह है तो यह सही है

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि धान उगाने वाली भूमि के स्वामियों पर अनिवार्य करारोपण की वृत्ति गत वर्ष किन राज्यों में थी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह केवल पश्चिमी बंगाल में थी और उसका नाम किदवई योजना था केवल पश्चिमी बंगाल में ।

कनाडा को सहकारी मिशन

*३०७. **श्री भागवत झा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार का कनाडा में कोई सहकारी मिशन भेजने का विचार है ?

(ख) उक्त मिशन भेजने का क्या अभिप्राय है ?

(ग) क्या कनाडा सरकार ने इस तरह के मिशन को आमंत्रित किया था ?

(घ) मिशन के सदस्य कौन कौन हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) मिशन १५ अक्टूबर, १९५३ को कनाडा के लिये रवाना हो गया ।

(ख) साख समितियों की रचना और व्यवस्था और लघु समुदायों के लिये कृषि उपज के विक्रय का अध्ययन करने के लिये ।

(ग) जी हां ।

(घ) १. श्री एम० आर० भिडे, आई० सी० एस०, संयुक्त सचिव, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (मिशन के नेता) ।

२. श्री डी० ए० शाह, प्रिंसिपल, सहकारी प्रशिक्षण संस्था, पूना ।

३. श्री श्याम भरोसे, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भोपाल ।

४. श्री आर० भारद्वाज, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश ।

श्री भागवत झा : इस मिशन का कनाडा में कब तक प्रोग्राम है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : तीन महीने तक उधर उनको रहना है ।

श्री भागवत झा : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मिशन में सिर्फ चन्द अफसरों को ही क्यों लिया गया है और इस सदन के कुछ सदस्यों को उसमें क्यों नहीं भेजा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : क्योंकि मेम्बरों को कोअपरेटिव की ट्रेनिंग दिलाना मुनासिब नहीं है ।

श्री भागवत झा : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि इस सदन में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कोअपरेटिव में इंटरेस्टेड हैं ?

श्री किदवई : जी, हां, इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमें उनसे कोई कोअपरेटिव का काम नहीं लेना है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ

*३०८. **श्री भागवत झा** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की ऐशियाई सलाहकार समिति के अक्तूबर, १९५३ के पंचम अधिवेशन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये कोई दल भेजा गया था ?

(ख) उक्त सम्मेलन में भारत से सम्बन्धित किन मामलों पर विचार किया गया था ?

(ग) यदि कोई दल भजा गया है तो उसके सदस्य कौन थे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) समिति ने निम्न विषयों पर चर्चा की थी :

(१) एशिया के काश्तकारों, फसल में हिस्सा बटाने वालों और खेती के मजदूरों के अन्य समान वर्गों के रहने और काम करने की अवस्था ।

(२) एशिया के खेती सम्बन्धी तथा अन्य सहायक रोजगार में समय-समय का उतार चढ़ाव ।

(३) दस्तकारी तथा छोटे पैमाने के उद्योग धंधे और एशिया में काम की कमी को दूर करने में उनका महत्व ।

(४) एशिया के भवन निर्माण उद्योग म काम करने वाले मजदूरों के लिये समुचित वेतन ।

(ग) दल के सदस्य निम्न थे :

(१) श्री एन० एम० बच, आई० सी० एस०, नौपरिवाहन के महान निर्देशक, यातायात मंत्रालय, बम्बई ।

(२) श्री सी० पी० श्रीवास्तव, आई० ए० एस०, नौपरिवाहन-महानिदेशक का कार्यालय, विशेष कार्य पदाधिकारी, बम्बई ।

श्री भागवत झा : श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त सम्मेलन में बेगारी के प्रश्न पर चर्चा की गई थी ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरा विचार है कि ऐसा नहीं किया गया था ।

श्री भागवत झा : श्रीमान, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त दलों ने सरकार के समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ? यदि यह सही है तो क्या उनकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : निस्संदेह उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । वर्तमान में उनकी सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं जानना चाहता हूं कि कृषिकार्य की वास्तविक समस्या से सम्बन्धित किसी व्यक्ति को न भेजकर उक्त मिशन में केवल सरकारी पदाधिकारियों को ही क्यों भेजा गया ?

श्री वी० वी० गिरि : बैठक अत्यन्त आवश्यक थी और संभवत: इन्हीं परिस्थितियों के कारण उक्त व्यक्ति भेज गय थ । किन्तु मैं कोई विष्ठि कारण नहीं बता सकता ।

श्री भागवत झा : श्रीमान, मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी सिफारिशें स्वीकृत की गई हैं और कौन सी अस्वीकृत?

श्री वी० वी० गिरि : जैसा मैं न कहा इन सब पर विचार किया जा रहा है और हम बतायेंगे कि किन्हे स्वीकृत किया गया है और कौन सी सिफारिशें अस्वीकृत हुई हैं ।

विमान समवाय की प्रविधिक समिति

*३०९. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** (क) **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय विमान निगम द्वारा स्थापित प्रविधिक समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

(ख) यदि यह सही है तो उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) प्रविधिक समिति ने अभी अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है । किन्तु हाल ही में समिति द्वारा भारतीय विमान निगम को एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिस पर वे विचार कर रहे हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : श्रीमान्, मैं उक्त समिति के निर्देश पद जानना चाहता हूं ?

श्री राज बहादुर : वर्तमान यातायात शक्ति, उपलब्ध बेड़े और उपलब्ध विमान कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए निम्न-लिखित बातों के सम्बन्ध में सिफारिशें करना :

(१) आन्तरिक विमानों के लिये कौन सा मार्ग ठीक रहेगा ;

(२) संचालन तथा इंजीनियरिंग सम्बन्धी केन्द्रों की रचना और स्थिति ;

(३) सहायक सेवाओं, सेवाओं और सुविधाओं का प्रबन्ध ;

(४) प्रशिक्षण केन्द्रों और प्रशिक्षण प्रक्रिया का संगठन ;

(५) भांडार और संचरण का समाहार ;

(६) संचालन प्रक्रिया और विनियमों का निर्माण ;

(७) यातायात और बिक्री व्यवस्था का एकीकरण और प्रमाप निश्चित ;

(८) प्रत्येक मार्ग की यातायात की शक्ति के अनुसार यात्रियों । माल के किराये और भाड़े के ढांचे का नवीकरण ;

(९) प्रत्येक श्रेणी में संचालन सम्बन्धी, इंजीनियरिंग और यातायात के कर्मचारियों की संख्या नियत करना ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रस्तुत समिति ने एयर इण्डिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइन्स के बीच संधारण और प्रशिक्षण के कर्मचारिवर्ग के दुगुनीकरण से बचने का प्रयत्न किया है ?

श्री राज बहादुर : यह निर्देश पदों के अन्तर्गत है और स्वयं दोनों निगम इसका निर्णय करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि इस तरह के विस्तृत विवरणों के स्थान पर सदन पटल पर विवरण रख देना अधिक श्रेयस्कर होगा ताकि भविष्य में सदन का समय बचाया जा सके ।

गन्धक

*३१०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चीनी के मिलों द्वारा १९५२-५३ में गन्धक की कुल आवश्यकता ;

(ख) क्या गन्धक के उपभोग में कमी करने के लिये कोई नवीन मार्ग ढूंढ़ा गया है ; और

(ग) यदि यह सही है तो नवीन पद्धति का वाणिज्यगत क्षेत्र क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) ७२२० टन ।

(ख) जी हां ।

(ग) चीनी टेकनिकल विभाग के इंडियन इंस्टीट्यूट कानपुर में इस वर्ष नवीन पद्धति का बृहद् स्तर पर यह देखने के लिये परीक्षण किया जायगा कि वाणिज्यिक स्तर पर यह पद्धति कार्ययोग्य है अथवा नहीं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या मिलों को गंधक देने पर अभी राशनिंग चालू है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस विषय पर हमारे पास सूचना नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया : वर्ष १९५२ में गंधक का कुल आयात कितना है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य यह प्रश्न वाणिज्य मंत्री से पूछें क्योंकि आयात के विषयों का सम्बन्ध उन्हीं से है ?

श्री जोकीम आल्वा : क्या **खाद्य** मंत्रालय ने इस बात की जांच की है अथवा प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय से यह मालूम किया है कि क्या उत्तरी कनारा जिले में पाया जाने वाला गंधक इस कार्य के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मैंने मालूम नहीं किया है ।

उर्वरक

*३११. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा (१) सिंदरी उर्वरक (२) दूसरे भारतीय उत्पादनकर्ता, यदि कोई हैं तो, और (३) विदेशों से १९५२-५३ में खरीदे गये प्रत्येक प्रकार के रासायनिक उर्वरक की कुल मात्रा कितनी है और प्रत्येक पर व्यय की गई रकम कितनी है ?

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक दिया गया था ?

(ग) इस सम्पूर्ण लेन देन में कुल हानि अथवा लाभ क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्र (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) । सदन पटल पर दो विवरण पत्र रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ग) आशा की जाती है कि इस समय तक लगभग ३,००,००० रुपये का लाभ हुआ होगा ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इसकी कोई मात्रा सीधे जनता को भी बेची गई थी?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । सामान्यतया, हम इसे राज्यों में बांट देते हैं और सीधे जनता को नहीं बेचते ।

श्री के० सी० सोधिया : ८४,००० टन में से जो शेष बचा उस का क्या हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जो नहीं बिका वह भाण्डार में है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हीराकुद में मीन-क्षेत्र

*२७४. **डा० रामा राव :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बांध के पूरा हो जाने पर हीराकुद के तालाब में मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये कोई पग उठाये गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उस का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कहने पर भारत सरकार के केन्द्रीय अन्तर्देशीय मीन-क्षेत्र अनुसन्धान केन्द्र ने महानदी नदी के हीराकुद के भाग की मछलियों और मीन-क्षेत्रों का परिमाप करके एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । आयोग ने प्रतिवेदन पर विचार करके उड़ीसा की राज्य सरकार के विचार के लिये उससे कुछ सिफारिशें की हैं ।

(ख) उड़ीसा सरकार हीराकुद के तालाब में मीन-क्षेत्रों के विकास के लिये कोई पग उठाने से पूर्व इन सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज

*२७५. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज के अधिष्ठातृ निकाय में भारत सरकार के मनोनीत-सदस्य श्री के० आर० के० मेनन किस दिन से उक्त अधिष्ठातृ निकाय के अवै-

तनिक कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या भारत सरकार के ये मनोनीत सदस्य कार्य समिति के प्रधान के रूप में भी कार्य करते रहे हैं और यदि हां, तो किस दिन से किस दिन तक ;

(ग) क्या इस मोननीत सदस्य को प्रतिवर्ष कार्य समिति का प्रधान चुना जाता रहा है ; और

(घ) क्या विद्यार्थियों अथवा कर्मचारियों से इस पदाधिकारी के सम्बन्ध में अवैतनिक कोषाध्यक्ष के रूप में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) २७ अगस्त १९४७ से ११ जून, १९५३ तक ।

(ख) जी हां, १२ अप्रैल, १९४८ से ११ जून, १९५३ तक ।

(ग) संस्था के नियंत्रण और प्रबन्ध के लिये सन्स्था के नियमों तथा विनियमों के अधीन प्रतिवर्ष चुनाव आवश्यक नहीं था ।

(घ) जी नहीं ।

बम्बई पत्तन में नाविक

*२७६. **श्री पुन्नूस :** क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बम्बई पत्तन में औसत कितने नाविक (सरकारी प्रशिक्षणार्थी और नौसेना के भूतपूर्व रेटिंग्स) बेकार हैं ;

(ख) क्या सरकार को बम्बई के उप-नौपरिवहन अध्यक्ष (मास्टर) के उन के लिये नौकरियां प्राप्त करने से इन्कार करने और उन से स्वयं नौपरिवहन समवायों के पास जाने के लिये कहने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सामुद्रिक नाविकों की नौकरी थोड़ा समय छोड़ कर लगती है और एक नाविक को नई समुद्रयात्रा के लिये चुना जाने से पहिले औसत तीन या चार मास तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । नौकरी के लिये प्रतीक्षा करने वाले प्रशिक्षणार्थी नाविकों और नौसेना के भूतपूर्व रेटिंग्स की संख्या किसी एक समय सामान्यतया १०० से अधिक नहीं होती ।

(ख) तथा (ग) । कुछ समय पूर्व ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी, किन्तु पूछ-ताछ करने पर यह गलत सिद्ध हुई । नौपरिवहन समवाय नाविकों को सीधे भर्ती करते हैं और उपनौपरिवहन अध्यक्ष को काम ढूंढने का कोई अधिकार नहीं है । वह तो केवल नाविकों को नौकरी प्राप्त करने में सहायता ही दे सकता है और नौपरिवहन कार्यालय के पदाधिकारी सदा यह सहायता देते हैं ।

वन्य प्राणियों सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड

*२८०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वन्य प्राणियों के केन्द्रीय बोर्ड ने वन्य प्राणियों की रक्षा और नियंत्रण के लिये क्या पग उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : माननीय सदस्य का ध्यान १२ मार्च, १९५३ को श्री एल० जे० सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७१४ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है जिस में एक विवरण सदन पटल पर रखा गया था । इस विवरण में भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा उस के पहिले सत्र में स्वीकार किये गये संकल्प और उन पर की गई कार्यवाही दी हुई है ।

रेलवे परस्पर सहायता निधि योजना

*२९०. **श्री बी० वाई० रेड्डी :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलान की कृपा

करेंगे कि क्या रेलवे बोर्ड का परस्पर सहायता निधि योजना की सुविधाओं को सिकन्दराबाद डिवीजन के स्टोर्स, इंजीनियरिंग और यातायात विभाग के कर्मचारियों को भी देने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम आदेश दिये हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

साबरमती में माल का यातायात

*२९७. **श्री तुलसी दास** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को साबरमती रेलवे स्टेशन पर माल के यातायात की कठिनाई के होने का ज्ञान है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां माल के यातायात की कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बड़ी लाइन से छोटी लाइन को माल के यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये साबरमती में माल के यातायात की पर्याप्त सुविधा नहीं है ।

(ख) साबरमती के यार्ड में सुधार करने के लिये प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और क्रेनों की संख्या को बढ़ाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

रेलों में नौकरी

*३०२. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या एकीकरण से पूर्व विभिन्न रेलों में रेलवे की नौकरी में भर्ती के लिये रेलवे कर्मचारियों के पुत्रों को विशेषता देने की प्रथा थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रथा को अब समाप्त कर दिया गया है ;

(ग) क्या मार्च १९५३ से दक्षिण रेलवे में श्रेणी चार की नौकरी के लिये अब भी रेल कर्मचारियों के पुत्रों को भर्ती किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इनका प्रतिशत कितना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) । जी नहीं । रेलवे की नौकरी में भर्ती के लिये रेल कर्मचारियों के पुत्रों और सम्बन्धियों को प्राथमिकता देना भारतीय रेलों के एकीकरण से कुछ समय पूर्व ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि यह देखा गया था कि इस प्रकार की रियायत संविधान के अनुच्छेद १६ के उपबन्धों के विरूद्ध है ।

(ग) तथा (घ) । जी हां ; अन्य लोगों के साथ रेल कर्मचारियों के पुत्र भी, यदि वे स्थापित शर्तों को पूरा करें, नियुक्त किये जा सकते हैं ; किन्तु न तो सरकार ने इस के लिये कोई प्रतिशत निश्चित किया है और न ही ऐसा करने की अनुमति है ।

कृष्णा नदी का पुल

*३ **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **यातायात** उपमंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सत्य है कि विजयवाड़ा के स्थान पर कृष्णा नदी पर सड़क-व-नियामक पुल के प्राक्कलन अन्तिम रूप से तैयार कर लिये गये हैं और केन्द्रीय सरकार को भेज दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) इन प्रस्तावों पर विचार किया जारहा है ।

डाक विभाग का जीवन बीमा

*३१२. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक विभाग की जीवन बीमा शाखा ने १९५२-५३ में कुल कितने का नया बीमा किया है ?

(ख) इस आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिये यदि कोई पग उठाये जा रहे हैं, तो ये क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कुल २,४४,४३,५०० रुपये की ९९९३ पोलिसियां ।

(ख) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं या किये जा रहे हैं :—

(१) पोलिसियों पर ऋण देने की सुविधा ।

(२) स्वयमेव चुकाई जाने वाली पोलिसी की सुविधा ।

(३) बीमे की सीमा को ३०,००० रुपये तक बढ़ा देना ।

(४) सैनिक कर्मचारियों को भी इस निधि की सुविधाएं दे देना ।

(५) डाक्टरी परीक्षा के नियमों को उदार बनाना ।

(६) जनता की कुछ श्रेणियों को इस निधि की सुविधा देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(७) डाक विभाग की जीवन बीमा निधि के लाभों को बतलाने वाले प्रचारपत्रों का वितरण ।

(८) सरकारी कार्यालयों के प्रतिनिधियों को इस के लाभ बताने के लिये सभाओं का किया जाना ।

(९) डाक विभाग के जीवन बीमा निदेशक के कार्यालय में प्रचार पदाधिकारी की नियुक्ति ।

(१०) बड़े बड़े राज्यों की राजधानियों में बीमे के लिये आन्दोलन करना ।

हैदराबाद में खाद्य-स्थिति

*३१३. **श्री पो० रामास्वामी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में हैदराबाद की चावल की आवश्यकता कितनी पूर्ण की गई है ?

(ख) १९५४ में हैदराबाद को कितना चावल दिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अब तक है दराबाद को २२,००० टन चावल दिये गये हैं ।

(ख) आशा की जाती है कि हैदराबाद में इस वर्ष चावल की अच्छी फसल होने से १९५४ में हैदराबाद को चावल देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

कृषकों को ऋण

१४६. **श्री रघवय्या :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५०-५१ से आज तक 'कृषकों को मध्यम अवधि ऋण' की योजना के अनुसार प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य को कितना धन नियत किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): कुछ नहीं ।

कृषकों को ऋण

१४७. **श्री रघवय्या :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना में दीर्घकालीन ऋण की योजना के अन्तर्गत कृषकों को ऋण देने के लिये जो पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, उस में से अब तक प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य में कृषकों को कितना धन दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : कुछ नहीं ।

रेलों में चोरी

१४८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा तथा रेविलगंज स्टेशनों के बीच चलती मालगाड़ी से फौजी सामान की नौ गांठें जो शिलांग से इलाहबाद के लिये रवाना की गई थीं, चुरा ली गईं ;

(ख) क्या रेलवे रक्षित (रिजर्व) पुलिस का एक दल भी इसी गाड़ी से यात्रा कर रहा था ;

(ग) यदि हां, तो उस रक्षित दल की असावधानी के कारण हुई इस घटना के लिये उस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में रेलवे प्राधिकारियों अथवा पुलिस ने कोई जांच की; और

(ङ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) रेलवे रक्षित पुलिस के चार सिपाही माल गाड़ी की रक्षा कर रहे थे ।

(ग) जांच पड़ताल अधिकारी ने इन सिपाहियों के विरुद्ध एक प्रतिवेदन रेलवे रक्षित शक्ति, समस्तीपुर के विंग कमाण्डर को दे दिया है, और इसकी जांच हो रही है ।

(घ) छपरा की सरकारी रेलवे पुलिस नें मामले की जांच पड़ताल की थी ।

(ङ) छः व्यक्तियों पर संदेह होने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।

चुनार-रावर्ट्सगंज लाइन का बढ़ाया जाना

१४९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की चुनार रावर्ट्सगंज लाइन को पिपरी तक बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने रिहांद बांध के लिये इसके बनाने पर जोर दिया है ;

(ग) यह नई लाइन कितने मील लम्बी होगी ;

(घ) इसके बनाने पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ;

(ङ) क्या सोन नदी पर कोई पुल बनाया जायेगा ; और

(च) यह लाइन कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (च) तक । हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि रिहांद बांध परियोजना के सम्बन्ध में सामग्री, मजदूर तथा यन्त्र के यातायात के सम्बन्ध में एक रेलवे लाइन बनाने पर विचार किया जाये ।

योजना आयोग के परामर्श से इस मामले की जांच की जा चुकी है और यह विचार है कि परियोजना की पूर्ति या तत्काल सफलता के लिये रेलवे लाइन का होना आवश्यक नहीं है । यदि उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यकता हुई तो भारी सामान ले जाने के लिये रावर्ट्सगंज से सोन नदी के बांये किनारे तक अस्थाई मिलाने वाली लाइन के निर्माण पर रिहांद बांध परियोजना के अनुमान के भाग के रूप में विचार किया जायेगा ।

सर्प-विष

१५०. श्री वो० पी० नायर : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) भारत में कितना सर्प-विष निकाला जाता है तथा उस का क्या मूल्य होता है ? आजकल कौन कौन संस्थायें यह कार्य कर रही हैं ?

(ख) आज कल भारत में सर्प-विष का यदि कोई प्रयोग होता है, तो वह क्या है ; तथा

(ग) कितने सर्प-विष का निर्यात होता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जहां तक भारत सरकार को विदित है, सर्प-विष केवल बम्बई में हाफकिन केन्द्र में एकत्रित किया जाता है । १९५२ में कुल १७६ ग्राम एकत्रित किया गया । विष का प्रति ग्राम जो मूल्य लिया गया वह निम्न है:

देश में : अनुसन्धान कार्यों के लिये २५ रु० तथा अन्य कार्यों के लिये ४० रु० ।

विदेशों में : अनुसन्धान कार्यों के लिये ४० रु० तथा अन्य कार्यों के लिये ८० रु० ।

(ख) सर्प-विष को उतारने वाला तेज लस बनाने में विष प्रयोग होता है । इसका तेज लस रोगों की दवा करने तथा रोगों का पता लगाने में भी प्रयोग किया जाता है ।

(ग) बहुत थोड़ी मात्रा में केवल अनुसन्धान कार्यों के लिये विदेशों को भेजा जाता है । १९५१ से १९५३ तक लगभग २० ग्राम काले सांप तथा 'रसल वाइवर' का विष विदेशी अनुसन्धान केन्द्रों को भेजा गया ।

राजस्थान में नलकूप

१५१. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को बढ़ाने की दृष्टि से राजस्थान के भूगर्भीय जल संसाधन विकास बोर्ड का विचार नागौर जिला (राजस्थान) के उन भागों में नलकूप बनाने का है जहां भूमि उर्वरा है तथा पानी यथोचित गहराई पर मिलता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : राजस्थान के भूगर्भीय जल बोर्ड ने जो प्रार्थना किये जाने पर निजी व्यक्तियों की ओर से नलकूपों को गलाने का काम करता है, १९५१-५२ में नागौर जिला में पांच नलकूप गलाये और आजकल एक और बन रहा है । उस क्षेत्र में और नलकूप लगाने के लिये बोर्ड को कोई और प्रार्थनायें हाल में प्राप्त नहीं हुई हैं ।

टेलीफोन एक्सचेंज

१५२. डा० अमीन : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत तीन वर्षों में भारत में कितने टेलीफोन एक्सचेंज बनाये गये, इनके राजयानुसार आंकड़े क्या हैं ; तथा

(ख) उपरोक्त काल में इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में कितना अतिरिक्त व्यय हुआ ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण, जिसमें नये टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या दी है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१**]

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पश्चिमी रेलवे पर कतल तथा डाके की घटनायें

१५४. डा० राम सुभग सिंह : क्या **रेल** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी से अबतक पश्चिमी रेलों में कतल तथा डाके की घटनाओं की संख्या गत वर्ष के तत्संवादी काल की अपेक्षा कुछ कम हो गई हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख)। १ जनवरी १९५३ से ३१ अक्तूबर १९५३ तक दो क़तल तथा दो डाके की घटनायें हुई हैं जब कि गत वर्ष के तत्संवादी काल में कतल की कोई नहीं तथा डाके की नौ घटनायें हुईं।

धरती के नीचे तार

१५५. डा० राम सुभग सिंह : क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में सरकार कुल कितने मील लम्बे धरती के नीचे के तार मोल लेना चाहती है ; तथा

(ख) १९५२-५३ में सरकार ने कितने मील लम्बें धरती के नीचे के तार मोल लिये ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १७७०·२० मील।

(ख) ७३१·८५ मील।

ताड़ गुड़

१५६. सेठ गोविन्द दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ में भारत में ताड़ गुड़ का कितना उत्पादन हुआ ; तथा

(ख) किस राज्य में इस गुड़ का सर्वाधिक उत्पादन तथा उपभोग होता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) :

(क) ५९,१०४ टन

(ख) मद्रास राज्य।

दिल्ली में दूध का प्रबन्ध

१५७. सेठ गोविन्द दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार डिपो द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली में प्रतिदिन बेचे जाने वाले दूध की औसत मात्रा;

(ख) सन् १९५१,१९५२ और १९५३ में सितम्बर के महीने में बेचे गये दूध की कुल मात्रा;

(ग) उक्त मात्रा में गाय के शुद्ध दूध भैंस के शुद्ध दूध और मिश्रित अथवा टोन्ड दूध का अनुपात ; और

(घ) केवल सरकारी दुग्धशालाओं से प्राप्त दूध का अनुपात ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) डिपुओं पर प्रतिदिन औसतन १०४ मन दूध बिकता है।

(ख) १९५१, १९५२ तथा १९५३ के सितम्बर महीने में डिपुओं तथा बड़े केन्द्रों में क्रमशः १३३१ मन, २७८८ मन तथा ४४३० मन दूध बेचा गया।

(ग) इस योजना के अधीन भैंस का शुद्ध दूध और टोन्ड दूध नहीं बेचा जाता। उपरोक्त (ख) में जिस दूध का उल्लेख है उस में गाय के शुद्ध दूध का अनुपात क्रमशः ५ प्रतिशत, १६ प्रतिशत तथा २० प्रतिशत था। बाकी जो दूध बेचा गया उस में गाय और भैंस, दोनों का दूध मिला हुआ था।

(घ) सरकारी दुग्धशालाओं से क्रमशः ३६ प्रतिशत, ३५ प्रतिशत और २३ प्रतिशत दूध प्राप्त हुआ।

राशनिंग

१५८. सेठ गोविन्द दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन नगरों की संख्या जिन में राशनिंग प्रचलित है; तथा

(ख) उन लोगों की संख्या जिन्हें राशन द्वारा खाद्यान्न मिलता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख)। सितम्बर १९५३ के अन्त में १०१ नगरों में कानून के अधीन राशन

था और इन नगरों की जनसंख्या लगभग २·४ करोड़ थी।

पशु पालन

१५९. डा० रामा राव: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश को चार भागों में विभक्त करके पशु पालन में अनुसंधान के विकास की योजना बनाई है ?

(ख) देश को चार भागों में विभक्त करने का क्या प्रयोजन है ?

(ग) अनुसंधान के क्षेत्र विस्तृत करने के लिए इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही करने का विचार है और की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) देश को मोटे तौर पर चार भागों में बांटा गया है जिस से कि एक ही क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में एकही समय दो स्थानों पर किसी समस्या के सम्बन्ध में अनुसंधान न हो और छोटी छोटी समस्या को हल करने में संसाधन नष्ट न किए जांय । स्थानीय समस्याओं को राज्य हल करेंगे और आधारभूत समस्याओं को विश्वविद्यालय और केन्द्रीय संस्थाएं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् वित्तीय सहायता के लिये प्रादेशिक समस्याओं पर बिचार करेगी ।

(ग) अनुसंधान तो बराबर चलता है। इस सम्बन्ध में जिन समस्याओं की ओर परिषद् का ध्यान दिलाया जाता है उनपर परिषद् विचार करती है परन्तु शर्त यह है कि धन उपलब्ध हो और समस्या प्रादेशिक या अखिल भारतीय महत्व की हो ।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज

१६०. श्री वी० पी० नायर : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २३ नवम्बर १९५० को सदन में दिए गए वक्तव्य तथा उस में दिए गए आश्वासन को ध्यान में रख कर सदन पटल पर एक विवरण रखेगी जिसमें:

(१) यह बताया गया हो कि लेडी हार्डिंग मैडिकल कालिज के कर्मचारियों (डाक्टरों) जो त्यागपत्र द्वारा या वैसे सितम्बर, १९४७ से अपने पद छोड़ गए हैं, के नाम भेषिज विज्ञान में सामान्य तथा विशेष योग्यताएं, काम प्रारम्भ करने की तिथि, काम छोड़ने की तिथि, काम छोड़ने का कारण तथा काम छोड़ने के समय की नौकरी, क्या थी ; और

(२) सितम्बर १९४७ के बाद से उपरोक्त कालिज में रखे गए कर्मचारियों के नाम, योग्यताओं, पिछली सेवा, तथा डाक्टरी में अनुभव का ब्योरा दिया गया हो ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): दो विवरण जिन में यह जानकारी दी गई है, सदन पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

तार से आय

१६१. चौ० रघुवीर सिंह : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में तारों से कुल कितनी आय हुई?

(ख) क्या सरकार जनता को तार भेजने के लिए कोई सुविधा देना चाहती है; यदि हां, तो क्या ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ५,६२,१५,३८० रुपये ।

(ख) धीरे धीरे निम्नलिखित सुविधाएं देना प्रारम्भ करने का विचार है :

(१) महत्वपूर्ण नगरों में सरकारी कार्यालयों तथा जनता के लिए टलेक्स तथा प्रिंटोग्राम सर्विसों का प्रबन्ध ।

(२) सारे भारत में देवनागरी लिपि में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तार सर्विसों का प्रसार ।

(३) ५,००० से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में तथा प्रत्येक सबडिवीजनल तहसील और थाना के प्रधान कार्यालय में, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, तारघर का प्रबन्ध ।

(४) तारों को और ज़ल्दी पहुंचाने का प्रबन्ध ।

बारसी लाइट रेलवे

१६२. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बारसी लाइट रेलवे को खरीद लेने का फैसला किया; है और

(ख) यदि हां, तो यह कब खरीदी जायगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) इस रेलवे का प्रवन्ध १ जनवरी, १९५४ को सम्भाल लिया जायगा । कम्पनी को यथाशीघ्र धन दे दिया जायगा परन्तु इस बात की आशा नहीं है कि लेखे का निपटारा पूर्णरूप से ३० अप्रैल, १९५४ से पहले हो सकेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौता

१६३. श्री गोपाल राज : खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४९ से लेकर आज तक अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के अन्तर्गत गेहूं की कितनी मात्रा का आयात किया गया है;

(ख) प्रत्येक वर्ष प्रति बोरा दाम क्या थे; तथा

(ग) प्रत्यक वर्ष विदेशी तथा भारतीय नौपरिवहन भाड़ा क्रमशः कितना था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) वर्ष १९४९ से लेकर आज तक अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के अन्तर्गत गेहूं तथा आटे का आयात इस प्रकार से था :—

वर्ष	हज़ार टनों में मात्रा
१९४९	४९०
१९५०	८३५
१९५१	१६१३
१९५२	९८४
१९५३ (२३-११-१९५३ तक)	१३७७
कुल	५२९९

(ख) प्रत्येक वर्ष प्रति बोरा दाम इस प्रकार से थे :

वर्ष	प्रति बोरा दाम जो गेहूं के गुण प्रकार पर निर्भर करते थे
१९४९	१.८० डालर
१९५०	१.७१५ से १.८१ डालर तक
१९५१	१.६९ से १.९९ डालर तक
१९५२	१.८६ से २.०२ डालर तक
१९५३	१.७४ से १.८७५ डालर तक

(ग) रखी गई लेखाओं से समस्त अनाज पर प्रत्येक वर्ष के भाड़े का पता लग जाता है । सभी अनाज पर विदेशों तथा भारतीय नौपरिवहन के आंकड़े इस प्रकार से हैं :

वर्ष	भारतीय स्वामित्व वाले जहाज (लाख रुपयों में)	विदेशी स्वामित्व वाले जहाज
१९४९	६९·७	१४३२·३
१९५०	४९·५	७८३·५
१९५१	१६४·५	३८४७·५
१९५२	१५९·०	३६२९·०
१९५३ (२३-११-१९५३ तक)	५१·७	१००२·६

(१९५३ के आंकड़े अस्थायी हैं)

तिरुप्पुर रेलवे स्टेशन

१६४. **श्री मुनिस्वामी :** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या तिरुपुर रेलवे स्टेशन को दक्षिण रेलवे के नमूने के अनुसार बनाने की कोई योजना है ?

(ख) यदि ऐसा है तो किन किन योजनाओं का अनुमोदन किया गया ?

(ग) नए काम की अनुमानित लागत क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग) तक। यद्यपि तिरुप्पुर स्टेशन को नए नमूने का बनाने का काम अभी आरम्भ नहीं किया जा रहा, फिर भी अगले वित्तीय वर्ष में तीसरे दरजे के प्रतीक्षा-गृह, पार्सल कार्यालय तथा स्त्रियों के लिये ऊंचे दरजे के प्रतीक्षा-गृह की व्यवस्था, यात्री प्लेटफार्मों को विस्तार देने, फर्शों के पक्का बनाने, स्टेशन की इमारतों के सामने छज्जा बनाने तथा स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कों को अच्छा बनाने आदि के काम का विचार किया गया है। योजनाएं तथा आंक तैयार किये जा रहे हैं, परंतु अभी ये पूर्णतः तैयार नहीं हो पाए हैं।

मिट्टी का संरक्षण

१६६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में मिट्टी संरक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है जैसा कि प्रथम सितम्बर, १९५३ को आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी ; तथा

(ख) क्या इन संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जायगी अथवा कि भारत सरकार भी इस व्यय में कुछ भाग देगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) निर्देशित सम्मेलन में राज्यों ने यह मत प्रकट किया था कि यह काम विद्यमान संस्थाओं को--उदाहरणार्थ राज्य विकास बोर्ड --ही सौंपा जाय। कई एक राज्यों में ऐसी संस्थाएं पहले से विद्यमान हैं तथा अन्य राज्यों में इनकी स्थापना हो रही है।

(ख) राज्य सरकारें राजकीय संस्थाओं के लिए अर्थ-व्यवस्था करेंगी।

केन्द्रीय सुपारी समिति

१६७. **श्री हेडा :** (क) खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय सुपारी समिति ने सुपारी को बेचने के लिये किसी संस्था की स्थापना की सिफारिश की है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उस योजना का क्या हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न खड़ा नहीं होता।

ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र

१६८. **श्री पी० सी० बोस :** श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक निर्देशालय, नौकरी दफ्तर बिहार ने बिहार राज्य में एक ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र के खोलने का प्रस्ताव किया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में इस समय स्थिति क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) यह प्रस्ताव बिहार सरकार द्वारा रखा गया है।

(ख) इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है

तथा एक बात जिसे सुलझाया जाना चाहिये, यह है कि व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए कृषियोग्य भूमि उपलब्ध हो।

तम्बाकू

१६९. श्री सी० आर० चौधरी : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र राज्य के तम्बाकू के कुल उत्पादन के कितने प्रतिशत भाग को वर्ष में तम्बाकू मार्केट हातों में ही बेच दिया जाता है ?

(ख) उत्पादक को अपने श्रम का अधिकतम मूल्य दिलवाने के लिये मार्केट में तम्बाकू को बिकवाने के सम्बन्ध में क्या उपाय किए जाते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सितम्बर, १९५३ तक आन्ध्र राज्य के कुल उत्पादन के ७ प्रतिशत भाग को गन्तूर, मंगलागिरि तथा लोगीकोन्डा के मार्केट हातों में बेच दिया गया था। १९५१ तथा १९५२ में यह प्रतिशतता क्रमशः ४.३ तथा ६ थी।

(ख) कृषि वस्तु मार्केट अधिनियम या वाणिज्यिक फसल अधिनियम के अधीन राज्य सरकार गोदामों की सुविधा की व्यवस्था करती है ; मार्केट हातों में तम्बाकू के क्रय तथा विक्रय को नियमित करती है या नीलाम का प्रबन्ध करती है।

पशु पालन

१७०. श्री माधव रेड्डी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर १९५३ में जयपुर में हुए सम्मेलन ने भारत में पशु पालन के विकास के सम्बन्ध में क्या महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : गत सितम्बर जयपुर में भारतीय कृषि परिषद के परामर्शदात्री मंडल की समिति की बैठक में अनुमोदित महत्वपूर्ण योजनाओं का एक विवरण सदन पटल पर रखा है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३]

रेलवे मुद्रणालय

१७१. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पास अपने कितने मुद्रणालय हैं ; तथा

(ख) वे किन स्थानों पर स्थित हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १५।

(ख) ये निम्न स्थानों पर हैं :—

रेलवे	स्थान
मध्य	बाईकुला, बम्बई-८
	स्कन्दराबाद
उत्तर पूर्वी	गोरखपुर, कुरसियांग
पश्चिम	अजमेर, बम्बई
उत्तर	शकूर बस्ती, जोधपुर, लखनऊ
दक्षिण	२ मद्रास में, २ त्रिचनापली में, १ मैसूर में
पूर्व रेलवे	कलकता

मिट्टी का रक्षण

१७२. श्री एन० एम० लिंगम : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जंगल अनुसंधान संस्था देहरादून के अधीन मिट्टी के रक्षण के अनुसंधान केन्द्र किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं ?

(ख) मिट्टी के रक्षण सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किन राज्य सरकारों ने संगठन स्थापित किए हैं ?

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मिट्टी के रक्षण के कार्यक्रम में ५० : ५० के अनुपात

से वित्तीय सहायता देने के सिन्द्धान्त को स्वीकार कर लिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक केन्द्र हैदराबाद के समीप साहिबनगर में और दूसरा देहरादून के समीप स्थापित किया जा रहा है । इस के अतिरिक्त जोधपुर में एक मरुभूमि वन्ननिवेश अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) बम्बई, मद्रास, पंजाब विंध्य प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और भोपाल की सरकारों ने या तो ऐसे संघठन स्थापित कर लिये हैं या वे स्थापित कर रही हैं ।

(ग) जी हां ।

आन्ध्र में सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य

१७३. श्री नानादास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३-५४ में आन्ध्र राज्य में कौन से सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य आरम्भ किये गये अथवा आरम्भ किये जाने हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : १९५३-५४ में मद्रास के मिले जुले राज्य को दिये गये अनुदान और ऋणों का विभाजन किया गया है और उन्हें मद्रास और आन्ध्र राज्य के बीच उत्तरोक्त राज्य के निर्माण पर बांटा गया । आन्ध्र राज्य के बनने की तिथि से उसके भाग में आई राशियों का विवरण और आन्ध्र राज्य में आरम्भ किये गये अथवा आरम्भ किये जाने वाले सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों की सूची अभी राज्य सरकारों ने नहीं भेजी, और वे उचित समय पर सदन पटल पर रखे जायेंगे ।

डाक विभाग के कर्मचारिवृन्द के छुट्टियों सम्बन्धी नियम

१७४. श्री मुनिस्वामी: (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि अखिल भारतीय डाकियों और छोटी श्रेणी के कर्मचारिवृन्द के संघ नें अपने नागपुर के सम्मेलन में श्रेणी चार के कर्मचारिवृन्द के छुट्टी के नियमों में उदारता की मांग की है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने विषय पर विचार किया है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्थापना विचाराधीन है ।

डाक विभाग के निरीक्षकों की परीक्षा

१७५. श्री मुनिस्वामी : क्या **संचरण** मंत्री ३ सितम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२८ के उत्तर की ओर ध्यान देंगे और बतायेंगे कि :

(क) १९५२ में मद्रास भाग में हुई डाक घरों के निरीक्षकों और डाक घरों के अधीक्षकों के हैड क्लार्कों की लिखित परीक्षा में कितने उम्मीदवार आए ;

(ख) मद्रास विभाग में कितने कर्मचारियों ने अहेता योग्य नम्बर प्राप्त किये ;

(ग) मद्रास विभाग में वस्तुतः कितने व्यक्ति चुने गये ; तथा

(घ) जब उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा की अनुज्ञा दी गई तो भर्ती की किन शर्तों की घोषणा की गई थी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ५०२ ।

(ख) ६९ ।

(ग) १५ ।

(घ) परिपत्र की एक प्रति सदन पटल पर रखी है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४**]

प्रतीक्षा-गृहों की रचना

१७६. श्री विभूति मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार निम्नलिखित स्टेशनों पर अर्थात दिघावा, दुबौली, माधा, राजेपाथी में प्रतीक्षा गृह और यात्री गृह इत्यादि की रचना का विचार कर रही है ; तथा

(ख) यदि ऊपर के (क) भाग का उत्तर सकारात्मक हो तो कितनी कालावधि में रचना आरम्भ किये जाने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इन सब स्टेशनों पर तीसरी श्रेणी के यात्रियों के प्रतीक्षा स्थान हैं। राजापटी में ऊपर की श्रेणी के लिये भी एक प्रतीक्षा गृह है ।

(ख) राजापटी और मघर स्टेशनों पर अभी शीघ्र अतिरिक्त प्रतीक्षा गृह अथवा यात्री गृह बनाने का विचार नहीं परन्तु दिघवा दबौली में अतिरिक्त यात्री गृह की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है ।

कलकत्ता उपनगर गाड़ियां

१७७. श्री बी० के० दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता उपनगर गाड़ियों में प्रति दिन यात्रा करने वाले यात्रियों की मध्यमान संख्या क्या है ; तथा

(ख) यात्रियों और सामान के आने जाने पर दैनिक तथा मासिक मध्यमान आय क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५२-५३ में प्रति दिन उद्गम हुये यात्रियों का मध्यमान ३,००,४९७ है ।

(ख) उपनगर के यात्रियों से प्रति दिन ८४,२७४ रुपये और क्रमानुसार (उपनगर सहित) सब यात्रियों से और सामान के लाने ले जाने पर १९५२-५३ में सारे पूर्व रेलवे के लिये उद्गम के आधार पर ५,०१,३८२ रुपये तथा १५,०९,१७७ रुपये ।

फैक्टरी अधिनियम

१७८. श्री के० सी० सोधिया : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैक्टरी अधिनियम १९४८ के प्रभावी प्रवर्तन के लिये योजना आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ;

(ख) किन दिशाओं में और कार्यवाही की आवश्यकता है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख)। अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५**]

मुजफ्फर पुर की इमारतें

१७९. श्री सिंहासन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मुज़फ्फरपुर (पूर्वोत्तरी रेलवे) में प्रादेशिक मुख्यालय तथा कर्मचारी-गृहों के निर्माण का स्थान निश्चित करने के तथा सम्बन्धित जमीन का अर्जन करने के पहले डेढ़ करोड़ ईंटें खरीद कर तथा ढोकर उनके ढेर लगाये गये थे ;

(ख) ईंटों के लिये मांग दी जाने तथा उनका अन्तिम ढेर लगाये जाने के दिनांक ;

(ग) स्थान की अन्तिम निश्चित, जमीन का नकशा बनने तथा जमीन के अर्जन की कार्यवाही शुरू किये जाने के दिनांक ;

(घ) ईंटों के ढेर जहां लगे थे वहां से अन्तिम रूप में निश्चित किये गए स्थान का अन्तर तथा वहां तक दुबारा ईंटें ढोने में लगने वाला खर्च ; तथा

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर यह हो कि स्थान निश्चित किये जाने के पहले ईंटों के ढेर लगाये गये थे, तो इसके कारण क्या हैं तथा ऐसे मामलों में रेल प्राधिकारी सामान्यतः कौन सी प्रथा का अनुसरण करते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं। किन्तु रेल विभाग के स्वामित्वाधीन दो स्थानों पर तथा अर्जित किये जाने वाले एक स्थान पर प्रादेशिक मुख्यालय तथा कुछ कर्मचारी-गृह बांधने के लिये १२५ लाख ईंटें खरीदने का करार कर लिया गया है ।

(ख) ईंटें खरीदने के करार अक्टूबर से दिसम्बर, १९५२ के बीच किये गये थे और अभी सारी ईंटें नहीं आ पहुंची हैं । केवल ७५ लाख ईंटें रेल विभाग के स्वामित्वाधीन जमीन पर पहुंचाई गई हैं ।

(ग) स्थान निश्चित होते ही जो क्षेत्र सरकार के स्वामित्वाधीन नहीं था उसे अर्जित करने के लिये दिनांक ५ जून, १९५२ को कार्यवाही आरम्भ कर दी गई और मुज़फ्फरपुर के जिलाधीश के पास नकशे भेज दिये गये ।

(घ) ईंटों के ढेर जहां लगे हैं वहां से निश्चित किये गये स्थान का अन्तर लगभग १ मील है । ईंटें ढोने का खर्च नगण्य होगा क्योंकि अधिकतर ईंटें रेल विभाग के स्वामित्वाधीन जमीन पर बांधे जाने वाले गृहों के लिये उपयोग मे लाने का विचार है ।

(ङ) भाग (क) के दिये गये उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता ।

आसीकेर बंगलौर लाइन पर

मालगाड़ी का पटरी पर से उतर जाना

१८०. **श्री बीरबल सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि दक्षिण रेलवे की आर्सीकेर-बंगलौर लाइन पर २८ अक्तूबर, १९५३ को प्रातःकाल एक मालगाड़ी के २१ डिब्बे उलट गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि इस लाइन पर सन् १९५३ की यह चौथी दुर्घटना है ; तथा

(घ) पहली दुर्घटना के पश्चात दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये सरकार ने क्या उपाय किये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २७-१०-१९५३ को नहीं किन्तु २८ अक्टूबर, १९५३ को १० बज कर ४० मिनट पर आर्सीकेर बंगलौर लाइन के निट्टूर तथा गुब्बी स्थानकों के बीच १५२।३ मील पर नं० २९०४ डाउन मालगाड़ी के इंजन के पांचवें डिब्बे के बाद के २१ डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये ।

(ख) जांच समिति के प्रतिवेदन को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है । किन्तु उपरिदर्शी तौर पर यह कहा जा सकता है कि पांचवें डिब्बे के बांये हाथ का आगे का स्प्रिंग दोषपूर्ण होने के कारण डिब्बे पटरी से उतरे ।

(ग) हां, आर्सीकेर-बंगलौर विभाग में निम्न तीन स्थानों पर डिब्बे पटरी से उतरने की दुर्घटनायें हुई :

(१) दिनांक २१-७-१९५३ को निट्टूर तथा गुब्बी स्थानकों के बीच ।

(२) दिनांक २३-८-१९५३ को गुब्बी तथा तुम्कुर स्थानकों के बीच ।

(३) दिनांक १९-९-१९५३ को निट्टूर तथा सांपिगे स्थानकों के बीच ।

(घ) भाग (ग) में दी गई सारी दुर्घटनायें डिब्बों के दोषों के कारण हुई हैं । गाड़ियों का परीक्षण जिन स्थानों में होता है वहां डिब्बों का परीक्षण अधिक सावधानी से किया जा रहा है ।

बुधवार,
२५ नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, २५ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

२-३० म० प०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

विवरण जिसका सम्बन्ध कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघठन के संविधान के संशोधन लिखत के अनुसमर्थन से है ।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिस का सम्बन्ध कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघठन के संविधान के संसशोधन लिखत के अनुसमर्थन से है । [देखिय परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ३६]

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक से सम्बन्धित पत्र

वित्त उपमंत्री (एम० सी० शाह) : मैं बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५३ से सम्बन्धित निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सदन पटल पर रखने का प्रस्ताव करता हूं :—

(१) बैंक परिसमापन कार्यवाही समिति की जो सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों, उच्च-न्यायालयों तथा रिजर्व बैंक से प्राप्त टिप्पणियों का संक्षिप्त ब्यौरा, [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस—१७०/५३**]

(२) वित्त उपमंत्री को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से प्राप्त २४ जून, १९५३, १३ जुलाई, १९५३, ३१ जुलाई १९५३, तथा १९ अगस्त १९५३ के **वैयक्तिक पत्रों के उद्धरण, [पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एस—१७०/५३]**

(३) परिसमापित बैंकों, जिनके सम्बन्ध में कि सरकारी रिसीवर ही सरकारी परिसमापक है, द्वारा ३१ दिसम्बर, १९५२ तक उठाये गए व्यय का संक्षिप्त ब्यौरा, [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस०—१७०/५३**]

(४) परिसमापित बैंकों, जिनके सम्बन्ध में कि सरकारी परिसमापक सरकारी रिसीवर से भिन्न होता है, द्वारा ३१ दिसम्बर १९५२ तक उठाये गए व्यय का संक्षिप्त ब्यौरा, [**पुस्तकालय मै रखा गया, देखिये संख्या एस—१७०/५३**]

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : श्रीमान् इन पत्रों को परिचालित किया जाना चाहिये । केवल सदन पटल पर रखने से ही प्रत्येक सदस्य इन्हें नहीं पढ़ सकता है ।

डा० लंका सुन्दरम : पिछली बार माननीय मंत्री ने भी इन्हें परिचालित करने का वचन दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इन पत्रों को परिचालित किया जाना चाहिये तो मेरे विचार में वित्त मंत्रालय को इन्हें साइक्लो स्टाइल कराके दो एक दिनों में वितरित करना चाहिये, इस समय तो हम सदन पटल पर रखे गये पत्रों से ही लाभ उठा सकते हैं, यह विधयक कम से कम तीन अथवा चार दिनों में विचारार्थ प्रस्तुत होगा ।

धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : सदन अब धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन कर) विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : श्रीमान्, पिछली बार मैं यह बात माननीय मंत्री पर स्पष्ट कर रहा था कि जहां एक ओर हथकर्घा उद्योग को सहायता पहुंचान की कोशिश की जा रही है वहां दूसरी ओर स्थिति में एक भारी त्रुटि है जिसे दूर नहीं किया जा रहा है, त्रुटि यह है कि साड़ियों के उत्पादन पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं लगाया गया है, इसका उत्पादन दिनों दिन बढ़ रहा है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन ?]

१९५०, १९५१ तथा १९५२ के आंकड़े मेरी इस बात को सिद्ध करते हैं । १९५० में धोतियों तथा साड़ियों का उत्पादन क्रमशः १,९९,६०२ गांठें तथा २,२४,७२५ गांठें था । १९५१ में यह उत्पादन क्रमशः ५,००, ६६४ गांठें तथा २,३८,४०४ गांठें था, १९५२ में यह उत्पादन क्रमशः ४,८२,१६३ गांठें तथा ३,७७,९०७ गांठें था । १९५३ के दस महीनों के लिए यह उत्पादन क्रमशः २,९८, ८१३ गांठें तथा २,८८,०७५ गांठें रहा है । मैं निवेदन करता हूं कि जब तक साड़ियों के उत्पादन पर कोई रोक न लगा दिया जाये जब तक आप हथकर्घा उद्योग की कोई भी सहायता नहीं कर सकते हैं । श्री हेडा ने बताया कि हथकर्घा उद्योग कुछ सुधर गया है, मुझे मालूम नहीं कि वह किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं । जहां तक मुझे मालूम है इस उद्योग की हालत बद से बदतर होती जा रही है । जब तक कि इसके लिए साड़ियों तथा धोतियों का कोटा निश्चित न किया जाये तब तक इसके जीवित रहने की कोई आशा नहीं । इस सम्बन्ध में न केवल संयुक्त मद्रास की विधान सभा ने संकल्प पास किया था अपितु आन्ध्र सरकार ने भी इसकी मांग की है । इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि बुनकरों को सूत उसी कीमत पर मिलना चाहिये जिस पर कि मिलों को मिलता है । इससे यह उद्योग निस्सन्देह ही पनप जायगा ।

मंत्री जी ने कुछ इस प्रकार का भी तर्क दिया कि एक उद्योग को दूसरे उद्योग के सहारे नहीं जीना चाहिये । सम्भवतः वह हथकर्घा उद्योग की ओर निर्देश कर रहे थे । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मिल उद्योग है जो कि हथकर्घा उद्योग की तबाही तथा बर्बादी पर पनप रहा है ।

मिल मालिकों ने कुछ यह भी सुझाव दिया है कि देश की अन्दरूनी बाज़ार मिल उद्योग के लिए सीमित रखा जाना चाहिये तथा हथकर्घा उद्योग की बनी चीज़ें विदेशी मंडियों में बेची जानी चाहियें । यह एक विचित्र तर्क है । मैं मिल मालिकों से निवेदन करूंगा कि वह जापान की तरफ देख लें जिसने कि युद्ध के कुछेक वर्षों बाद ही अपना खोया हुआ मार्केट पुनः प्राप्त किया तथा युद्ध की तबाही के बावजूद वह आज विश्व मंडी में पूर्ण उत्साह से अमेरिका, ब्रिटेन तथा भारत से टक्कर ले रहा है । जापान अपने छोटे छोटे उद्योगों के विनाश पर नहीं जीना चाहता है ।

श्रीमन्, इन बातों को देखते हुए यद्यपि मैं इस विधान का स्वगत करता हूं, फिर

मेरा यह विचार है कि इससे स्थिति का पूर्णतया सुधार नहीं होगा ।

विधेयक के खंड २ (क) में शब्द 'धोती' की जो परिभाषा दी गई है वह त्रुटिपूर्ण है । मिल मालिक इस त्रुटि का अनुचित फायदा उठायेंगे । मैं निवेदन करता हूं कि इस उपखंड का लोप करना एक आवश्यक बात है ।

मेरे विचार में अनुसूची में सन की जो दर दी गई हैं वह पर्याप्त नहीं हैं, इसे बढ़ा दिया जाना चाहिये जिससे कि मिलें अपने कोटे से अधिक धोतियां अथवा साड़ियां तैयार नहीं करेंगी । मैंने अपने संशोधन में यह कर बढ़ा देने का सुझाव दिया है, मेरे कुछ बंगाली मित्रों ने शिकायत की है कि मिल की बनी धोतियों का उत्पादन कम करने से धोतियों का मूल्य बढ़ गया है, मैं उन से अपील करता हूं कि वह हथकर्घे का बुना कपड़ा खरीद कर उन एक करोड़ निर्धन व्यक्तियों की सहायता करें जो कि इस में लगे हुए हैं ।

श्री एव० जी० वैष्णव (अम्बद) : मेरा विचार यह है कि इस विधान द्वारा हथकर्घा उद्योग को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा । इसका प्रभाव उलटा ही होगा । इस तरह से मिलों को धोतियां तथा साड़ियां बनाने की खुली छुट्टी मिल जायगी । मैं समझ नहीं पाता हूं कि यदि कुछ मिलों ने अप्रैल १९५१ से लेकर मार्च १९५२ तक की काला-वधि में अत्यधिक संख्या में धोतियां तैयार की तो उन मिलों के विरुद्ध क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई, उनका अतिरिक्त उत्पादन ज़ब्त क्यों नहीं किया । अति-उत्पादन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सरकार अपराधियों को कड़ा दण्ड दे । इस विधेयक के अन्तर्गत मिल मालिकों से अतिरिक्त उत्पादन के लिए केवल कुछ अतिरिक्त कर लिया जायगा । इसका एक परिणाम यह भी होगा कि मिल मालिक धोतियों की कीमत बढ़ा देंगे जिससे कि उन्हें अतिरिक्त कर की राशि वसूल हो । गाहक को पता नहीं चल सकेगा कि कौन सी धोती अतिरिक्त उत्पादन की है तथा कौन सी सामान्य अथवा सीमित उत्पादन की । इस तरह से मिल मालिकों अथवा दुकान-दारों को मनमानी करने का मौका मिलेगा । जनता से अधिक कीमत वसूल की जायगी तथा चोर बाज़ार फिर जिन्दा हो जायगा । इस तरह से इस विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा ।

धोतियों की परिभाषा भी दोषपूर्ण है तथा मिल मालिकों द्वारा इससे अनुचित लाभ उठाने की आशंका है । इसी तरह और भी त्रुटियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिये, परन्तु मेरे विचार में यह काम संशोधनों द्वारा नहीं हो सकता है । इस विधेयक का आलेखन सावधानी से तथा उचित रूप से होना चाहिये था । इस विधेयक का उद्देश्य निस्सन्देह सही है परन्तु वर्तमान रूप में इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : इस विधेयक पर बोलते समय मैं अपने आपको एक विचित्र स्थिति में पाता हूं । उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए इस विधेयक का समर्थन करना कुछ कठिन प्रतीत होता है । परन्तु जब मैं इस विधेयक के उद्देश्य को देखता हूं तो मुझे इसका विरोध करने का भी साहस नहीं होता । कुछ भी हो, मेरा यह विचार है कि इस विधेयक से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी जिसके लिए कि इसे प्रस्तुत किया गया है ।

अतिरिक्त उत्पादन कर लगाने से उत्पादक अथवा निर्माता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि वह यह देखेगा कि दाम अच्छे खासे हैं । जब तक दाम अधिक रहेंगे तब तक वह उत्पादन बढ़ाता ही रहेगा तथा अतिरिक्त

[श्री गाडगिल]

उत्पादन कर देता रहेगा । यदि उत्पादक को अधिक दाम मिलते रहेंगे तो यह न केवल अतिरिक्त उत्पादन के लिए होंगे अपितु समस्त उत्पादन के लिए होंगे । दूसरे शब्दों में कीमतें बढ़ जायेंगी जैसे कि हुआ भी है ।

१९५० में धोतियों तथा साड़ियों का बहुत ही अभाव था । कीमतें बहुत बढ़ गई थीं । उस समय सरकार ने मिलों को निदेश दिया कि उनके उत्पादन का ५० प्रतिशत भाग धोतियां तथा साड़ियां होना चाहिये । फरवरी १९५१ से इस प्रकार का उत्पादन बहुत बढ़ने लगा । किन्तु दिसम्बर १९५२ से इस नीति में अकस्मात परिवर्तन हुआ । सरकार जो उस समय तक उपभोक्ताओं के बारे में चिन्तित थी, अब उत्पादकों अर्थात् हथकर्घा बुनकरों के बारे में चिन्तित होने लगी है । सरकार ने उत्पादन कर लगाया जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में ४० प्रतिशत कमी हुई । उत्पादन में कमी होने के कारण आज फिर कीमतें बढ़ने लगी हैं । इसका बुरा प्रभाव उपभोक्ता पर ही पड़ रहा है । हमें इन दोनों परस्पर विरोधी हितों के बीच एक मध्यम वर्ग अपनाना होगा तथा इस बात को ओर ध्यान देना होगा कि जहां हमें हथकर्घा बुनकर को सहायता तथा संरक्षण देते रहना चाहिये वहां उपभोक्ता के लिए कुछ किया जाना चाहिए ।

जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हथकर्घों की संख्या २४ लाख तथा इस पर आश्रित कमकरों की संख्या २१ लाख है । किन्तु वस्त्र जांच समिति की राय में इन में से केवल ५५ प्रतिशत हथकर्घे चल रहे हैं । दूसरे शब्दों में इस उद्योग में लगभग २० लाख लोग लगे हुए हैं । जहां हम इनका ध्यान रखना है वहां देश के ३५ करोड़ लोगों का भी ध्यान रखना होगा । यह ठीक है कि सरकार को बेकारी तथा बेरोजगारी दूर करनी चाहिये किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस तरह से यह काम हो सकता है । हमारा सदा यह विचार रहा कि सरकार एक ऐसी नीति अपनायेगी जिससे कि उपभोक्ताओं को उचित दामों पर वह वस्तुएं मिल सकें, श्रमिकों को उचित मजूरियां मिलें तथा मिल मालिकों को उचित मुनाफा मिले, परन्तु गत छः वर्षों में हमने देखा है कि उपभोक्ता भी पीड़ा उठा रहा है, श्रमिक भी पीड़ा उठा रहे हैं तथा निर्माताओं की पांचों उंगलियां घी में हैं । जनवरी अथवा फरवरी १९४८ में सरकार ने विनियंत्रण का फैसला किया, इसके परिणामस्वरूप कीमतें बहुत ही बढ़ गईं । दो तीन महीने बाद फिर नियंत्रण लगाना पड़ा, इसी अल्पकाल में मेरे माननीय मित्र श्री के० के० देसाई के कथनानुसार मिल मालिकों ने २०० करोड़ रुपये कमाये । आज भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं । सरकार जो भी कार्यवाही करती है उससे बड़े बड़े मिल मालिक ही हाथ रंगते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ चुका है जबकि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । आप इस तरह के विधेयकों से मिल के बने कपड़े तथा हथकर्घे के कपड़े में प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं कर सकते हैं । सरकार को हाथ कर्घों का सम्पूर्ण उत्पादन अपने हाथ में लेना चाहिये । यह कोई कठिन बात नहीं है । यदि सरकार मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती है तो भी उन्हें कम से कम एक मूल्य-सूची तैयार करनी चाहिये तथा मिलों का सम्पूर्ण उत्पादन अपने हाथ में लेना चाहिये । इस तरह से उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा हो सकेगी ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसा उपाय निकाला जाना चाहिये जिससे कि इन दोनों हितों को आपस में मिला दिया जाये, सरकार एक संयोजित ढंग से इस उद्योग से संव्यवहार करे । इसका और भी एक तरीका है । सरकार हथकर्घे के बने माल के लिए

एक क्षेत्र निश्चित कर सकती है अथवा इसकी क्वालिटी निश्चित कर सकती है। इसी तरह मिल कपड़े के लिए भी या तो क्वालिटी निश्चित की जानी चाहिये या इसके लिए क्षेत्र निश्चित किया जाना चाहिये। अथवा जैसे कि पूना की राशन व्यवस्था में होता है, लोगों को अच्छे चावल के साथ खराब चावल भी लेने पड़ते हैं। इसी तरह सरकार दोनों चीज़ों को मिला सकती है तथा प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य कर सकती है कि वह दस गज़ मिल कपड़े के साथ दो गज हथकर्घे का कपड़ा भी ले। यह भी एक तरीका है। या सरकार अर्ध-सरकारी संस्थाओं में अपने कर्मचारियों को शत प्रतिशत करंसी नोट देने की बजाय ९५ प्रतिशत नोट तथा पांच प्रतिशत 'क्रेडिट नोट' अथवा 'कूपन' दे सकती है जो कि केवल कुटीर उद्योगों के बने माल के खरीदने के लिए मान्य होने चाहिये। यह तीन अथवा चार तरीके हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है।

यदि इन दोनों उद्योगों में प्रतिस्पर्धा रहने दी गई, तो एक न एक उद्योग का नाश अवश्य ही होगा, तथा यह हथकर्घा उद्योग होगा जिसका कि नाश होगा। आगे क्या होगा, यह बात हम भविष्य पर छोड़ते हैं। परन्तु कुछ भी हो, उपभोक्ता के हितों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): हो सकता है कि कुछ प्रयोजनों के लिये विशेष रूप से हाथ कर्घा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये, यह आवश्यक हो कि धोतियों के उत्पादन पर किसी सीमा तक प्रतिबन्ध लगाया जाये। मैं इस बात से इंकार नहीं करता, परन्तु माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने इस विधेयक की सब गहराइयों का विस्तार से वर्णन नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो यह प्रकट हो जाता कि सरकार देश में विद्यमान वस्त्र संकट का अच्छी तरह मुकाबला नहीं कर रही है।

प्रायः ऐसा होता है कि लोग यह चिल्लाते रहते हैं कि मज़दूर सुस्ती से काम करते हैं और उत्पादन में उचित योग नहीं देते हैं। परन्तु ज्यों ही उत्पादन में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है, त्यों ही यह आवाज़ उठने लगती है कि उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो रहा है। जब कभी भी मिल मालिकों को मनमाना नफ़ा नहीं मिल रहा होता है तभी वे मिलों को बन्द करने की धमकी देने लगते हैं। माननीय मंत्री ने भी अध्यादेश जारी करते समय वक्तव्य में यह कहा था कि कुछ मिलें, विशेष रूप से अहमदाबाद में, नारियों के बन्द किये जाने के नोटिस बड़ी जल्दी में जारी कर रही हैं। इन अध्यादेशों के जारी किये जाने के बाद भी ये मिलें, ज़रा नम्र ढंग से, ऐसे वक्तव्य दे रही है कि बेकारी बढ़ने और छटनी होने की बहुत सम्भावना है। मिल मालिक उस चीज़ से सन्तुष्ट नहीं हैं जो मंत्री महोदय ने उन्हें दी हैं। वे तो मोटे कपड़े पर से उत्पादन शुल्क बिल्कुल ही समाप्त करवाना चाहते हैं।

मिल मालिकों को पहले ही काफ़ी राहत मिल चुकी है जिसका मूल्य स्वयं पूंजीपतियों द्वारा ६ करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। जब वस्त्र मिल संकट में हुईं तब तो सरकार ने उन्हें ६ करोड़ रुपये के मूल्य की सहायता दी। परन्तु जब हाथकर्घा उद्योग संकट में पड़ा तो सरकार ने कुछ दिन हुए यहां संसद् में एक विधान पेश किया और उसके फलस्वरूप ४ करोड़ रुपये का उपकर लगाना पड़ा। यह उपकर उपभोक्ताओं पर पड़ा। अब आज हाथ करघा बुनकरों के मास्तष्कों में यह भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है कि मिल के बने कपड़े के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगने से उनकी स्थिति में बहुत सुधार हो जायेगा। परन्तु मेरा ख्याल यह है कि यदि सरकार वास्तव में हाथ करघा बुनकरों को सहायता देना चाहती है तो वह

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

उनका सारा उत्पादन या उसका अधिकांश भाग स्वयं क्यों नहीं खरीदती । वह हाथ करघा उत्पादों का उपयोग अपने समस्त विभागों में क्यों नहीं करती ? मुझे याद है कि एक बार यह सुझाया गया था कि जहां तक संसद् सदस्यों को दी जाने वाली आम आवश्यकता की वस्तुओं का सम्बन्ध है—जहां तक हमारे देश की संसदीय व्यवस्था के लिये अपेक्षित कपड़े आदि का सम्बन्ध है—हम केवल हाथकरघा उत्पादों का ही प्रयोग करें । हम ऐसे हरेक सुझाव का स्वागत करते हैं और इस पर हमें ज़रा भी आपत्ति नहीं है । परन्तु ऐसी कोई चीज़ तो की नहीं जा रही है, बल्कि उनके मस्तिष्कों में यह भ्रम उत्पन्न करने की चेष्टा की जा रही है कि उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगते ही स्थिति ठीक हो जायेगी । मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं कि हाथ करघा उद्योग को सहायता दी जाये । मैं स्वयं यह चाहता हूं कि उसे प्रत्येक सम्भव राहत दी जाये; परन्तु वस्त्र मिलों का वर्तमान तरीका कुछ ऐसा चल रहा है कि उसका समर्थन नहीं किया जा सकता ।

इस विधेयक द्वारा धोतियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने की चेष्टा की जा रही है । यदि हम धोतियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा देंगे और उसके साथ ही निर्यात बढ़ा कर मिल मालिकों को कुछ अधिक नफ़ा कमाने में सहायता देंगे तो वर्तमान संकट किस प्रकार दूर हो सकेगा । निर्यात बढ़ा कर संकट दूर करने की प्रस्थापना मेरे विचार में अर्थहीन है ।

मैं भी यह कहता हूं कि हाथकरघा बुनकर तथा देश का प्रत्येक अन्य व्यक्ति यह चाहता है कि सूत की उपलब्धि सुकर बनाई जाये । वैसे तो हाथ करघा उद्योग में संकट आने के कितने ही कारण हैं, परन्तु सूत का न मिलना भी एक प्रमुख कारण है । कपड़े के उत्पादन पर तो इतने दिन से बल दिया जाता रहा है, परन्तु दुर्भाग्य से कताई की उपेक्षा की जाती रही है । आंकड़ों से पता चलता है कि सूत का उत्पादन जो १९४८ में १४४७० लाख पौंड था १९५० में घट कर ११७५० लाख पौंड हो गया । तीन वर्ष की अवधि में ही सूत का उत्पादन २७२० लाख पौंड कम हो गया । यदि सरकार तथा उद्योग बाजार में कुछ अधिक कपड़ा लाने का प्रयत्न भी करे तो भी क्या होगा, क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि नहीं हुई है ? यदि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य —१५ गज प्रति व्यक्ति—पूरा हो भी गया तो भी वे सारा कपड़ा नहीं बेच सकेंगे । इस समय सब से अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कपड़े की कीमतें कम की जायें । मेरे विचार में कपड़े की कीमत कम हो सकती हैं क्योंकि बड़ी बड़ी मिलों के लिये उत्पादन व्यय में कमी करने की अभी काफ़ी गुंजाइश है । यदि मिलमालिक अपने प्रशासन सम्बन्धी व्यय में, जो कि इस समय बहुत अधिक है, कमी कर दें और यदि वे कुप्रबन्ध समाप्त करने के लिये कोई प्रभावकारी कदम उठायें तो निश्चय ही कपड़े के उत्पादन व्यय में कमी हो सकती है । इसलिये हम कह सकते हैं कि यदि वस्त्र उद्योग पूर्ण सहयोग दे, यदि सरकार कपड़े पर उत्पादन शुल्क समाप्त कर दे या उसमें सारवान् कमी कर दे और यदि सरकार खाद्य अर्थ-साहाय्य देना पुनः आरम्भ कर दे और कपड़े का नियन्त्रण कड़ाई से लागू करे तो वर्तमान स्थिति में पर्याप्त सुधार होने की आशा की जा सकती है ।

हम देखते हैं कि सूती कपड़ों की थोक कीमत बढ़ रही हैं । ऐसी दशा में सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह कोई ऐसी योजना तैयार करे जिसके द्वारा ऐसे कदम उठाये जा सकें कि मिलें अधिक नफ़ाखोरी न

कर सके । धोतियों के उत्पादन पर प्रस्तावित प्रतिबन्ध का अर्थ यह होगा कि हमारा मासिक धोती उत्पादन, जो इस समय ५०,००० गांठ है, घट कर ३०,००० गांठ रह जायेगा । इस प्रतिबन्ध का बड़ी बड़ी मिलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वे पश्चिमी बंगाल की हों या बम्बई की । वे तो अन्य प्रकार का कपड़ा भी तैयार करती हैं । अतः इसका प्रभाव तो छोटी मिलों पर पड़ेगा । अतः सरकार को चाहिये कि वह देश में विभिन्न स्थानों में स्थित मिलों की उत्पादन अनुसूचियां तैयार करवाये क्योंकि जब तक ऐसा न किया जायेगा तब तक देश की छोटी मिलों के साथ न्याय न हो सकेगा ।

पश्चिमी बंगाल की अधिकांश मिलें धोतियां तथा साड़ियां तैयार करती हैं और उनमें से अधिकांश 'अनुआर्थिक' हैं । वस्तुतः भारत में ऐसी मिलों की संख्या बहुत अधिक है क्योंकि उनका गठन कुछ इस किस्म का है कि वे आधुनिक औद्योगिक उत्पादन की समस्याओं को ठीक तरह से हल नहीं कर सकतीं । पश्चिमी बंगाल की मिलों पर जो सामान्य रूप से धोतियां और साड़ियां तैयार करती हैं, इसका प्रतिबन्ध का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । मुझे पता चला है—परन्तु मैं इस सम्बन्ध में निश्चय के साथ कुछ नहीं कह सकता—कि भारत सरकार ने जो आधार काल चुना है, अर्थात् मार्च १९५१ से अप्रैल १९५२ तक की अवधि, उसमें अधिकांश बंगाल मिलों ने अधिक साड़ियां ही बनाई थीं क्योंकि उस समय साड़ियों की मांग अधिक थी ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि आधार काल के किसी प्रकार के पुनः समायोजन से इन बंगाल मिलों को, एक मिल के अतिरिक्त, कोई सहायता नहीं मिलेगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं यह मानता हूं । इसका कम से कम यह मतलब तो हुआ कि सरकार, जहां तक पश्चिमी बंगाल की मिलों का सम्बन्ध है, कुछ ढिलाई बरतने का विचार कर रही है । परन्तु मैं चाहता हूं कि यदि इन मिलों से और अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्य करवाना है तो उन पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं क्योंकि पश्चिमी बंगाल में केवल २६५० लाख गज कपड़ा तैयार किया जाता है और उसमें से बहुत कम ही बाहर भेजे जाने के योग्य होता है क्योंकि उसका अधिकांश भाग मोटा तथा मध्यम वर्ग का कपड़ा ही होता है । इसलिये पश्चिमी बंगाल की मिलों पर विचार करते समय ये सब बात ध्यान में रखी जानी चाहिये और कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

इस सिलसिले में मैं एक और विषय का निर्देश करना चाहता हूं जो माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित किया गया था । उन्होंने कहा था कि पश्चिमी बंगाल की बहुत सी मिलों ने नियमों की अवहेलना की । मैं उन मिलों की ओर से सफ़ाई नहीं पेश कर रहा हूं, परन्तु मैं नहीं समझता कि सामान्य रूप से सब मिलों पर ऐसा आरोप लगाया जा सकता है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस वर्ष ११ सितम्बर को इस सदन में एक प्रश्न पूछा गया था जिसके उत्तर में यह बताया गया कि कोई ४५ मिलों ने निर्धारित मात्रा से अधिक धोतियां तैयार कीं और उनके विरुद्ध अभियोग चलाये जाने का आदेश दिया गया । परन्तु किसी तरह पश्चिमी बंगाल की सरकार ने उन पर अभियोग नहीं चलाये । इससे यह मालूम होता है कि उस समय जो कुछ भी नियम था उस पर सख्ती से अमल करने की उस मामले में आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री टी०टी० कृष्णमाचारी : ठीक है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मिल मालिक भांति भांति की दलीलें पेश करते हैं; उदाहरणार्थ, मिस्र से उन्हें जो रूई मिल रही है उसकी लागत बहुत अधिक पड़ती है। मैं यह कहूंगा कि हमें विदेशों की घटनाओं पर यथासम्भव कम से कम निर्भर रहना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन मिलों में से अधिकांश में मशीनें बहुत पुरानी पड़ गई हैं। हो सकता है किसी दिन मिल मालिक इस सम्बन्ध में भी सरकार की सहायता मांगें। अतः सरकार को सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन मिलों के पुनर्व्यवस्थापन के लिये कोई योजना तैयार करनी चाहिये जिसमें मिल मालिकों के नफ़े का ही ध्यान न रखा गया हो, बल्कि उपभोक्ताओं तथा मज़दूरों की आवश्यकताओं का भी पूरा पूरा खयाल रखा गया हो।

मैं देखता हूं कि उत्पादन शुल्क करीब करीब दंडात्मक है।[उत्पादन पर प्रतिबन्ध है और दंडात्मक] उत्पादन शुल्क हैं। मूल्य नियन्त्रण न होने पर भी ये दोनों बातें—उत्पादन पर प्रतिबन्ध तथा दंडात्मक उत्पादन शुल्क—मेरी समझ में ठीक नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि यदि उत्पादन शुल्क को उपकर के रूप में परिणत कर दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा। इससे हाथ करघा उद्योग को सहायता दी जा सकेगी और साथ ही मिल मालिकों की वास्तविक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सकेगी। यदि इस धन का उपयोग देश के वास्तविक हित में किया जाये तो इस प्रकार के विधान का स्वागत करेंगे। मैं एक बार फिर दुहरा दूं कि हम हाथ करघा उद्योग को प्रत्येक सहायता दिये जाने का समर्थन करते हैं परन्तु हम यह नहीं चाहते कि लोगों के मस्तिष्क में यह भ्रम उत्पन्न किया जाये कि धोतियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने मात्र से हाथ करघा उद्योग की स्थिति सुधर जायेगी; बल्कि हमारा खयाल तो यह है कि इससे हाथ करघा बुनकरों को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचेगा। इन सब बातों से यह प्रकट होता है कि सरकार द्वारा एक व्यापक योजना तैयार किये जाने की, जिसमें उपभोक्ताओं, मिलों के मज़दूरों और हाथ करघा उद्योग के बुनकरों के हितों का समान खयाल रखा गया हो, कितनी आवश्यकता है।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम्) : भारत सरकार द्वारा हाथ करघा उद्योग की सहायता के लिए जो तीन कदम उठाये गए हैं उनमें से एक कदम इस विधेयक का प्रस्तुत किया जाना है। पहले दो कदम थे जनवरी १९५३, में सरकारी आदेश का जारी किया जाना और अप्रैल, १९५३ में 'खादी व अन्य हाथ करघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक' का पास किया जाना। प्रस्तुत विधेयक वास्तव में उपर्युक्त विधेयक का अनुपूरक है जिसमें कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया गया है। अप्रैल वाले विधेयक को प्रस्तावित करते समय माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क द्वारा लगभग छः करोड़ रुपए के उपलब्ध होने की आशा थी जिससे कि हाथ करघा उद्योगों की सहायता की जाएगी। किन्तु मुझे खेद है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी नें नहीं बतलाया कि कितना रुपया प्राप्त होने का अनुमान है।

श्रीमान्, इसमें कोई संदेह नहीं कि हाथ करघा उद्योगों पर इस समय एक बड़ा संकट आया हुआ है और जैसा कि आपने कल कहा था, इसकी रक्षा करने के लिए कोई मूलभत प्रयत्न करना होगा। किन्तु मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि अप्रैल वाले अधिनियम के अंतर्गत कितना रुपया इकट्ठा हुआ, कितना हाथ करघा उद्योग की सहायतार्थ

खर्च किया गया और क्या अब भी उसमें से कुछ शेष बचा है। यदि बचा है तो माननीय मंत्री जी इसे किस प्रकार से खर्च करने जा रहे हैं तथा इस उद्योग को पुनसंस्थापित करने के लिए उनके पास क्या योजना है ? ये आधारभूत प्रश्न हैं और बिना इनके उत्तर के सदन इस विधेयक को पास नहीं करेगा। प्रस्तुत विधेयक पर विचार करते समय सदन यह पूछने का अधिकारी है कि 'खादी व अन्य हथकरघा उद्योग विकास अधिनियम' के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अब तक क्या किया गया है।

स्वयं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों द्वारा भूख-जलूस निकाले जा रहे हैं। आन्ध्र देश में इन लोगों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। और मुझे जो समाचार मिले हैं उनसे प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश तथा मध्य भारत में तथा देश के अन्य भागों में भी हथकरघा बुनकरों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रयोजन के लिए उपरोक्त तीनों कदम उठाए गए थे वह कहां तक पूरा किया जा रहा है तथा देश के हथकरघा एवं खादी उद्योग को पुनर्संगठित करने के लिए क्या किया जा रहा है।

कल जब माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत विधेयक पर अपना भाषण दिया था तो उन्होंने बतलाया था कि देश में धोतियों का उत्पादन लगभग ५,००० गांठ प्रति मास है तथा उपभोग लगभग ४५,००० गांठ प्रति मास। उन्होंने यह भी बतलाया कि जनवरी के आदेश से मिलों में धोतियों का उत्पादन ३०,००० गांठ प्रति मास सीमित कर दिया गया था। इस हिसाब से शेष आएगा १५,००० गांठ प्रति मास जो हथकरघा तथा खादी उद्योग के लिए बचीं। जबकि भारत में खादी तथा हथकरघा उद्योग के लिए इतना क्षेत्र है तब क्या कारण है कि अप्रैल वाले अधिनियम के ७ १/२ मास पश्चात् भी हमारा खादी तथा हथकरघा उद्योग ऐसी शोचनीय दशा में है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पाने का यह सदन हकदार है। इन बुनकरों को महीनों से चली आ रही इस गम्भीर परिस्थिति से छटकारा दिलाने के लिए तथा उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए अविलम्ब ही कुछ किया जाना चाहिए।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : इस विधेयक का तात्पर्य हथकरघा उद्योग के लगभग एक करोड़ मज़दूरों को रोज़गार में रखना है। माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए उनसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हथकरघा तथा खादी उद्योग के लिए कुछ प्रतिशत धोतियों तथा साड़ियों का उत्पादन रिज़र्व करने से क्या लाभ हुआ है। उनकी दशा किसी भी प्रकार पहले से अच्छी नहीं हुई है। मद्रास में, आन्ध्र में और सभी स्थानों पर हम देखते हैं कि उनके पास स्टाक जमा हो गए हैं और उनकी बिक्री नहीं होती। सरकार को चाहिए था कि इस प्रकार के विधेयक प्रस्तुत करने के बजाए इन कारणों की जांच करती कि ये स्टाक क्यों जमा हो गए हैं। उनकी मुख्य कठिनाई है उनके माल के लिए बाज़ार का न होना। पहले तो हथकरघा उद्योग के लिए ४० प्रतिशत धोतियों का उत्पादन रिज़र्व करके मिलों के लिए एक सीमा बांध दी गई थी। अब इस विधेयक द्वारा यह उपबन्ध किया जा रहा है कि निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन मिलें कुछ कर देकर कर सकती हैं। इसका प्रभाव हथकरघा उद्योग पर और भी बुरा पड़ेगा और इस विधेयक से वास्तविकता में वह लक्ष्य निरसित हो जाता है जिसके लिए कि मूल कार्यवाही की गई थी। क्योंकि इससे हथकरघा उद्योग के विरुद्ध मिलों की प्रतियोगिता और बढ़ जाएगी।

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

स्वयं हथकरघा बुनकर जिनके लाभ के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, इसके विरुद्ध है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह विधेयक हथकरघा उद्योग के लाभ के लिए है अथवा मिलों के लाभ के लिए। यदि वास्तव में आप हथकरघा बुनकरों की सहायता करना चाहते हैं तो उनकी मूल समस्या का समाधान कीजिए। जैसा श्री एच० एन० मुखर्जी ने कहा यदि सरकार उनके द्वारा उत्पादित समस्त सामान खरीद ले तो बहुत सुन्दर होगा। रिज़र्वेशन द्वारा उनका कोई लाभ नहीं हुआ है। यदि सरकार उन्हें जीवित रखना चाहती है, उन्हें भुखमरी से बचाना चाहती है, उनकी मुसीबत दूर करना चाहती है तो पूरे दिल से इस समस्या को सुलझाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह विधेयक हथकरघा बुनकरों की सहायता करने की अपेक्षा उनके प्रतियोगियों को ही अधिक बलवत् बनाएगा।

श्री आर० के० चौधरी : दक्षिण भारत में बुनकरों के व्यापार में जो मंदी आई हुई है उसका एक कारण मैं समझता हूं यह है कि बहुत से लोगों ने धोतियां पहनना ही बन्द कर दिया है। जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, वहां इस प्रकार की मंदी का प्रश्न नहीं है। वहां समस्या यह है कि पर्याप्त सूत उपलब्ध नहीं होता। यह विधेयक हथकरघा उद्योग को सहायता देने के लिए लाया गया है। यदि वास्तव में आप इसे सहायता देना चाहते हैं तो आपको सस्ते मूल्य पर उसे सूत देना चाहिए। फिर बंगाल और आसाम में धोतियों का बहुत रिवाज है और बड़ा क्षेत्र है। यदि दक्षिण से वहां धोतियां भेजने का प्रबन्ध कर दिया जाए तो वहां उनकी खपत हो जाएगी और इस उद्योग को भी राहत मिलेगी।

हमारे यहां साड़ियां नहीं, बल्कि पेचलाएं पहनी जाती हैं। विधवाएं बिना रंग की किनारी वाली सादा साड़ियां पहनती हैं पर अब स्त्रियां बिना किनारी की साड़ियां पहनने लगी हैं। अतः यह विशेष चिन्ता की बात नहीं, पर उपभोक्ता को तथा हथकरघा के जुलाहों को सहायता देने के अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार को कुछ वर्षों तक सूत सस्ते भाव पर देना चाहिए। दिल्ली में खादी पर प्रति गज तीन आने की रियायत मिलती है, और यह सरकार झेलती है। अतः सरकार को चाहिए कि जुलाहों को सस्ती दरों पर सूत दे और विशेषतः हथकरघा वस्त्रों के उपभोक्ता को तीन आना प्रति गज की रियायत दे। आसाम में सूत की कमी से अनेकों करघे बेकार पड़े हैं। वैसे वे क्षण भर भी बेकार न रहते थे—घर की सभी औरतें बारी-बारी से दिन भर उस पर काम करती रहती थीं। वहां बाजार की कमी नहीं है, सभी हथकरघे के वस्त्र पसन्द करते हैं। आशा है, सरकार वहां पर एक बुनने का मिल खोल कर जनता और जुलाहों का उपकार करेगी और इस समस्या का हल कर देगी।

श्री एन० सी० चटर्जी : अब तक यह कहा जाता था कि "उत्पादन करो अन्यथा बरबाद हो जाओगे" और अब सरकार मिल उद्योग से इस दंडात्मक विधान द्वारा यह कह रही है कि यदि तुम अधिक उत्पादन करोगे, तो दंड भुगतोगे। यद्यपि यह निश्चित है कि सरकार यदि सच्चाईपूर्वक हथकरघा उद्योग की सहायता करती, तो सभी लोग दलबन्दी को छोड़ उसका समर्थन करते। ढाका, मेमनसिंह, नोआखाली और टिपरा से हजारों दरिद्र शरणार्थी पश्चिमी बंगाल में आए हैं, जो नदिया की हथकरघा बस्तियों में बसे हैं। उनकी दशा अत्यन्त बुरी हो रही है। किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। बहुत से इसी मुसीबत में मर भी गए हैं। ढाका की

विश्वविख्यात मलमल] और तंगैल की साड़ियां बनाने वालों के वंशज आज बेकार पड़े हुए हैं।

हथकरघा उद्योग की सहायता करने का यह उपाय बिल्कुल बेकार है। इस विधेयक में धोती की जो परिभाषा दी गई है, उसमें से "किनारी पर रंगीन सूत" शब्दों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई बनाना चाहे, तो "किनारी पर रंगीन सूत" न लगा कर इससे बच सकता है। अभी उस दिन संसद् ने खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (वस्त्र पर अतिरिक्त उत्पादन कर) अधिनियम १९५३ पारित किया था। उसके फलस्वरूप कितना कर इकट्ठा किया गया और उसका क्या बना ? माननीय मन्त्री से पता चला है कि बंगाल के एक मिल ने कुछ अनुचित रवैया दिखाया था। पर मैं पूछता हूं कि क्या उद्योग के एक वर्ग के मूल्य पर दूसरे वर्ग की सहायता करना सिद्धान्ततः और आर्थिक दृष्टि से उचित है ? आप हथकरघा उद्योग में रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, पर मिलों में रोजगार कम होगा। आप उनको गत वर्ष की अपेक्षा ६० प्रतिशत ही उत्पादन करने को विवश करना चाहते हैं, फलतः वे अपनी कुछ पालियां बन्द करेंगे और कुछ मिल तो बन्द ही हो जाएंगे और बेरोज़गारी बढ़ेगी। इस प्रकार के भद्दे उपाय से हथकरघा उद्योग का भी विशेष उपकार न होगा।

गृह उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना-आयोग के प्रतिवेदन में भी सुझाया गया है कि एक तो राज्य की खरीद की कुछ नियमित व्यवस्था हो। दूसरे सहयोगी संघ बनाए जाएं, जिनको सरकार या कोई बड़ा बैंक वित्तीय प्रत्याभूति दे और वे पहले की भांति देहातों में लेन-देन का ही काम न करते रहें। दूसरे उद्योग के मज़दूरों को भी सुसंगठित किया जाए। तीसरे राज्य भी गृह-उद्योगों के फिर खड़े होने में सहायता करें; उनको कच्चा माल दिलाएं, सहयोजन करें, प्रशिक्षण दें, भांडागार खोलें और अनुसंधान करें। अनिवार्य खरीद की प्रथा भी अपनाई जाए। बम्बई आर्थिक जांच समिति ने हथकरघा उद्योग के पुनरुजीवन के लिए छः सुझाव दिए थे : (१) कच्चा माल, (२) निर्माण की टेकनीक, (३) वित्त, (४) विपणन (५) कराधान और (६) कठिनाइयों का समाधान। मिल-उद्योग आज कर (राज्य, केन्द्रीय और स्थानीय) के रूप में प्रति वर्ष ४० करोड़ रुपए दे रहा है। उसे पंगु बना देना देश-सेवा न होगी। यदि आप हथकरघा उद्योग की सहायता करना चाहते हैं, तो बताइए कि आप ने उक्त छः बातों के विषय में क्या किया है ? कच्चा माल न मिलने, निर्माण टेकनीक में सुधार न होने, वित्ताभाव होने, विपणन की सुव्यवस्था न होने और अन्य सुविधाएं न मिलने के कारण ही हथकरघा उद्योग लड़खड़ा रहा है। उसके लिए कुछ रचनात्मक उपाय अपनाइए।

बम्बई जांच समिति ने बताया था कि बहुत से जुलाहे और शिल्पी महाजनों के फेर में पड़े हुए हैं। क्या आप उन्हें बैंक की सुविधा देने जा रहे हैं ? क्या आप भांडागार खोलना चाहते हैं और विदेशों में इसकी बिक्री बढ़ाने जा रहे हैं, और तदनुसार उनको उपयुक्त परामर्श देने जा रहे हैं ? ये रचनात्मक उपाय न अपना कर आप उलटे मिलों के ऊपर घातक प्रहार करने जा रहे हैं, जिससे सामान्य उपभोक्ता को ही हानि पहुंचेगी। अतः कर लगाने की नीति न अपना कर कुछ रचनात्मक काम करिए और इस उद्योग की सहायता के लिए कोई ठोस संगठन खड़ा करिए।

श्री सिंहासन सिंह (जिलागोरखपुर : दक्षिण) : उपाध्यक्ष जी, यह बिल जब से इस हाउस में आया है तब से सभी माननीय सदस्यों ने बिल के इस रूप का विरोध किया

[श्री सिंहासन सिंह]

है, केवल श्री एन० सी० चटर्जी ने विरोध करते हुए मिल मालिकों के पक्ष में कुछ कहा है।

इस बिल में मैं आपकी तवज्जह दो बातों की ओर दिलाना चाहता हूं । गवर्नमेंट के आदेश से जनवरी सन् ५३ में मिलों को आदेश हुआ कि साठ परसेंटअ से धिक धोती न बनावें, लेकिन उनके लिए जो परमिजिबल मार्जेन रखा गया है उसके अन्दर लिखा गया है : "मिलों द्वारा उस काल में पैक की गई धोतियों की कुल मात्रा के ६० प्रतिशत का एक चौथाई" मैं जानना चाहता हूं कि इससे क्या यह समझा जाय कि साठ परसेंट से ऊपर एक क्वार्टर क्या इस प्रकार से उनको ७५ फीसदी की छूट दी जा रही है ? साठ परसेंट की तो आलरेडी उनको छूट मिल चुकी है । साठ परसेंट की छूट मिल मालिकों को जनवरी १९५३ के आदेशानुसार मिल चुकी है । उसके बाद परमिजिबल कोटा उस साठ परसेंट का पच्चीस परसेंट किया जा रहा है । तो क्या यह समझा जायगा कि यह परमिजिबल कोटा साठ परसेंट था वह फ्री नहीं रहा और उस के अन्दर केवल अब पन्द्रह परसेंट ही रहेगा या यह साठ परसेंट में पच्चीस परसेंट और कोटे में जाएगा और इस तरह से यह ७५ फी सदी जो था वह फ्री हो जाता है और इस क़ानून के पास हो जाने से और ७५ फ़ीसदी फ्री हो जाने के बाद केवल पच्चीस परसेंट पर यह टैक्स लगने जा रहा है ? मैं चाहता हूं कि आनरेबुल मिनिस्टर इस चीज़ को साफ़ करें।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पुराना आदेश चलेगा। हम महीने को केवल उत्पादन के मूल्य निर्धारण के ही लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक महीने में उत्पादन अधिक हो सकता है और दूसरे में कम। निर्धारण के लिए पूरी स्थिति को लिया जाएगा; दंडात्मक कर के लिए तिमाही ली जाएगी। एक महीना नहीं।

श्री सिंहासन सिंह : विधेयक का लक्ष्य गृह-उद्योगों का संरक्षण है, पर सभी वक्ताओं के भाषण से पता चलता है कि उनको कुछ भी संरक्षण नहीं मिलने जा रहा है। यदि आप इस प्रकार गृह उद्योगों को कुछ संरक्षण नहीं दे सकते, तो कुछ और उपाय अपनाइए। हम उत्पादन और रोजगार बढ़ाना चाहते हैं। मिलों से उत्पादन तो बढ़ता है पर रोजगार कम होता है। अपने देश की विशाल जनसंख्या को अधिकाधिक रोजगार देने के लिए अधिक आदमियों द्वारा उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, मिलों द्वारा नहीं। हमें यह सुनिश्चित है कि हम गांधीवादी अर्थव्यवस्था अपनाना चाहते हैं, पूंजीवादी नहीं। गांधीजी ने छः वर्ष पहले, ६ नवम्बर १९४७ को प्रार्थना सभा में भाषण देते हुए ख़ादी और हथकरघा उद्योग के विषय में कहा था :

"हिन्दुस्तान में ४० करोड़ लोग रहते हैं। अगर पाकिस्तान का हिस्सा उससे अलग कर दिया जाय तो भी उसमें ३० करोड़ से ऊपर लोग बचेंगे। उनकी ज़रूरत की सारी कपास देश में पैदा होती है। उनकी कपास को बुनने लायक सूत में बदलने के लिए देश में काफ़ी कातने वाले मौजूद हैं। और उनके हाथ कते सूत को बुनने के लिए हिन्दुस्तान में ज़रूरत से ज्यादा जुलाहे भी हैं। बहुत बड़ी पूंजी लगाए बिना भी हम देश में अपनी ज़रूरत के चरखे, करघे और दूसरा ज़रूरी सामान आसानी से बना सकते हैं। इसलिए ज़रूरत सिर्फ़ इस बात की है कि हम अपने आप में पक्का विश्वास रखें और खादी के सिवा दूसरा कोई कपड़ा न इस्तेमाल करने का इरादा कर लें। आप जानते हैं कि देश में महीन से महीन खादी तैयार की जा सकती है और

मिलों से भी ज्यादा अच्छे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं । अब चूंकि हिन्दुस्तान विदेशी जुए से आज़ाद हो गया है इसलिए खादी का ऐसा विरोध नहीं हो सकता, जैसा कि विदेशी शासकों के नुमाइन्दे किया करते थे । इसलिए मुझे यह देख कर सबसे ज्यादा ताज्जुब होता है कि जब हम अपनी मरज़ी का काम करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं, तब न तो कोई खादी के बारे में चर्चा करते हैं, न खादी की सम्भावनाओं में श्रद्धा रखते हैं । और, हम हिन्दुस्तान के कपड़ा पुराने के लिए मिल के कपड़े के सिवा दूसरी बात ही नहीं सोच सकते । इसलिए मुझे अपना रत्ती भर शक नहीं कि खादी का अर्थ शास्त्र ही हिन्दुतान का सच्चा और फ़ायदेमंद अर्थ शास्त्र हो सकता है ।"

हम महात्मा गांधी का नाम तो लेते हैं, पर उनके सिद्धान्तों की अवहेवलना करते हैं । हथ करघा उद्योग को समुचित क्षेत्र देकर संरक्षण दिया जा सकता है । महात्मा गांधी भी २५ काउंट की सीमा चाहते थे । आपको ऐसा कुछ विभाजन करना पड़ेगा । इस कर के फलस्वरूप मिल के कपड़े का दाम बढ़ जाएगा, पर हथ करघे का कपड़ा उतना बढ़िया नहीं हो सकता और लोग फिर भी मिल का ही कपड़ा खरीदेंगे । केवल भांडागार खोलने से ही—जैसा मेरे मित्र सुझा रहे थे—लोग खरीदने न लग जाएंगे । दाम भी सस्ते होने चाहिए । राजाजी चाहते हैं कि धोतियां और साड़ियां हथ करघे पर ही बनें । आप दोनों के क्षेत्र बांट दें और मिलों को धोतियां और साड़ियां न बनाने दें । वह हथ करघे का ही क्षेत्र रहे । जब तक यह नहीं होता, इस शुल्क का बोझ उपभोक्ता के ही ऊपर पड़ेगा । अतः लोगों को सहायता और रोजगार देने के लिए ऐसा विभाजन आवश्यक है ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : उपवाचस्पति जी, यह बिल बहुत छोटा है परन्तु यदि इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो बड़े ही महत्व का है । आप ने कहा है कि यह बिल छोटा सा है, इस पर लोग इतना समय क्यों ले लेते हैं ? इस में तो केवल यही छोटी सी बात है कि मिल वालों ने जितनी धोतियां उनको बनाने के लिये कहा गया था, उस से बेशी प्रोड्यूस किया । उस के ऊपर सरकार चाहती है कि उन को सजा दी जाय, रेट से बेशी उनके ऊपर टैक्स लगा कर सजा देना चाहती है ।

पहले तो मैं यह कहूंगा कि यह बिल जिस प्रकार से लाया गया है उस से यह सजा मिल मालिकों को कैसे होती है, यह तो आखिर कंज्यूमर्स लोगों पर ही होगी । इस बिल में कहीं पर भी यह ज़िक्र नहीं किया गया है कि यह जो ८ आ०, ४ आ० या ३ आ० बेशी एक्साइज ड्यूटी लगाई जायगी तो उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल रहेगा, अर्थात् कंज्यूमर लोगों के पास जब वह माल जायेगा तो इतने रेट में बिकेगा और यह जो ड्यूटी लगाई गई है वह जो मिल मालिक हैं वह माल के ऊपर नहीं लगा सकेंगे । अगर ऐसा होता तब तो यह बात समझ में आ सकती थी, परन्तु आपको यह सजा हमारे मिल मालिकों के ऊपर नहीं, कंज्यूमर्स के ऊपर है । अतएव मैं अपने कामर्स तथा इंडस्ट्री के मिनिस्टर सहाब से प्रार्थना करूंगा कि चूंकि आप कंज्यूमर्स की च्वायस और टेस्ट का ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर आप बहुत कृपा रखते हैं, तो इस बिल में कम से कम कोई ऐसा प्राविजन रख दीजिये कि यदि आप यह टैक्स मिल मालिकों से लें तो जिस माल के ऊपर यह टैक्स लगेगा वह माल जब बाजार में बिके तो मिल मालिक लोग यह टैक्स उस के दाम में न जोड़ सकें ।

इस बिल से दूसरी बात यह होगी कि जब आप थोड़े से माल के ऊपर यह टैक्स लगा देंगे तो और जो माल बाजार में जायेगा उस

[श्री झुनझुनवाला]

में भी तेजी आ जायेगी । नतीजा यह होगा कि इस बिल का उद्देश्य, जो कि हमारे कामर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने सोचा था कि यह बिल मिल मालिकों को पेनलाइज करेगा, वह पूरा नहीं होगा । इससे तो कंज्यूमर लोग पेनलाइज होंगे । इसलिये आप से मेरी यह प्रार्थना है कि आप इस में कोई एक ऐसा क्लाज जोड़ दें, या आर्डिनेन्स निकाल दें .....

श्री बंसल (झज्जर रिवाड़ी) : आर्डिनेन्स ?

श्री झुनझुनवाला : आर्डिनेन्स निकाल दें या इसी में क्लाज जोड़ दें कि जो इस टैक्स का पैसा आवे वह किसी तरह से कंज्यूमर्स के ऊपर न पड़े । यह मेरा पहला सुझाव है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वह यह है कि हमारे मिनिस्टर साहब जब खादी और हैंडलूम इंडस्ट्रीज बिल लाये थे, उसमें उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी हर एक मिल के कपड़े पर लगाई थी, उस से हम लोगों को यह आशा हुई थी तथा गांव वालों को भी यह आशा हुई थी कि अब जो खादी बनाने वाले हैं, हैंडलूम वाले हैं उनको इस प्रकार कोई सहायता मिलेगी, जिससे कि उनका रोजगार चल सकेगा । परन्तु उससे अब तक क्या हुआ और क्या नहीं हुआ यह हमारी समझ में नहीं आता है । जब डा० लंका सुन्दरम ने पूछा तो हमारे कामर्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब वह ड्यूटी लगाई जायेगी तो वह हमारे सामने आवेंगे और यह रक्खेंगे कि उन्होंने इस ड्यूटी से इतना रुपया लिया है और इतना रुपया अब वह खर्च कर सकते हैं और हम उनको बतलायें कि उस को किस काम में लगाया जाय । यह ठीक है कि पार्लियामेंट सावरेन बाडी है, पार्लियामेंट से इजाजत लेनी चाहिये और पार्लियामेन्ट से पूछ कर काम करना चाहिये परन्तु आज अप्रैल से लेकर नवम्बर तक लगभग खत्म हो चुका है, दूसरी अप्रैल भी आने वाली है । वह ६ करोड़ रुपया आप ने ले कर अपने पास रख लिया । आप कब बिल लायेंगे और कब पार्लियामेंट के सामने रक्खेंगे और कब हम लोगों से पूछेंगे कि किस काम में उसे लगाया जाय ? क्या हमारा यही उद्देश्य था ? क्या हमारी सरकार की यही नीति है कि केवल ऊपर की बनावटी बात करें कि हां, हम यह करना चाहते हैं, खादी की मदद करना चाहते हैं और हैंडलूम की मदद करना चाहते हैं ? परन्तु असलियत में वह कुछ नहीं करते हैं ? जो हमारे श्री कृष्णमाचारी जी हैं उन में कम से कम मैं यह बहुत भारी गुण देखता हूं कि वे ऐसा नहीं करते कि भीतर कुछ बात रखते हों और बाहर से दूसरी बात कहते हों । जो बात होती है उसको वे साफ साफ कह देते हैं । जिस समय अनएम्प्लायमेन्ट का सवाल आया उन्होंने कह दिया कि यह सवाल बहुत बड़ा है, टेढ़ा है, उस को दूर करने के लिये यह जो छोटे छोटे मेजर्स हैं इन से कुछ होने वाला नहीं है और यदि आप उससे यह चाहें कि बहुत कुछ हो जाय तो ऐसा होने वाला नहीं है, इस में पच्चीसों वर्ष लगेंगे तब जा कर यह ठीक होगा । ठीक है, उनका कहना सही है, उन्होंने बहुत साफ कह दिया । परन्तु अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप हैंडलूम और खादी की इंडस्ट्री को किसी भी तरह से सहायता देना चाहते हैं या नहीं ? और केवल इस प्रकार का बिल ला कर के लोगों को भुलावा दे कर रखना चाहते हैं ?

जब कभी खादी और हैंडलूम को प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में, या अन्य जो गांव की इंडस्ट्रीज हैं, गांव के व्यवसाय हैं उनके सम्बन्ध में बातें की जाती हैं तो दो बातें सामने रक्खी जाती हैं । एक तो यह रक्खा जाता है कि साहब,

उसका दाम बहुत तेज है, दूसरे यह रक्खा जाता है कि कंज्यूमर्स की च्वायस और उनकी डिमांड को हम को मीट करना है, जिससे कि उनको सजा न मिले ऐसा काम करना है।

दूसरी बात कल मैंने यह सुनी कि हमें एक व्यापार को दूसरे व्यापार के ऊपर पैरासाइट नहीं बनाना चाहिये और जो काटेज इंडस्ट्री हैं उनको पैरासाइट बना कर मिल इंडस्ट्री को खत्म कर दें तो यह कुछ ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि हां, ऐसा होता है, परन्तु आप लोग जरा कृपा कर के गम्भीरता से विचार कीजिये की क्या मिल इंडस्ट्री हमारे गांव की इंडस्ट्री पर पैरासाइट नहीं हुई है? आप आज गांव में जाकर देखिये कि वहां पर जो पुरानी चीजें बनती थीं वह कहीं पर आज मालूम नहीं होती हैं, सब लोग आज मिल वालों की चीजों पर भरोसा कर के बैठ गये हैं, जो कुछ भी गावों की इंडस्ट्री थीं, मिल की चीजों को देख देख कर सब खत्म हो गई। आज कहीं भी थोड़ा सा अनएम्पलायमेंट होता है, एक जगह अगर एक हजार कुली बर्खास्त कर दिये जाते है, मिल इंडस्ट्री से तो यहां पर ऐडजर्नमेन्ट मोशन आ जाता है और कहा जाता है कि एक हजार आदमियों का अनएम्प्लायमेंट हो गया है। परन्तु मैं यह कहता हूं कि जहां करोड़ों लोगों का अनएम्प्लायमेन्ट बरसों से फैला हुआ है क्या आप लोग कभी उस पर भी विचार करते हैं? क्या गवर्नमेन्ट इसके ऊपर विचार करती है? क्या गवर्नमेन्ट इसके ऊपर विचार करेगी? यह लोग बेचारे बोल नहीं सकते हैं, वे लोग आकर आप के सामने हल्ला नहीं कर सकते हैं, इसलिये क्या आप लोग चुप बैठे रहेंगे और उनके दुःख को नहीं देखेंगे? महात्मा गांधी ने क्या किया था? वे आकर के आवाज उठाते थे। उन्होंने केवल यह कहा कि हमारे देश के लोग डम्ब हैं, बेचारे बोल नहीं सकते हैं। जो कुछ उनकी दिक्कतें थीं उनको वह इस प्रकार रखते थे क्योंकि वे आवाज़ नहीं उठा सकते हैं।

मैं उनकी आवाज़ आप लोगों के सामने रखता हूं, और सारे हिन्दुस्तान को उन्होंने जगा दिया और उन्होंने एक रास्ता भी आप को बतलाया कि इस रास्ते को आप ग्रहण कीजिये, इस रास्ते से जो यहां की अनएम्प्लायमेंट है उसको आप दूर कर सकते हैं। अभी अनएम्प्लायमेंट के बारे में बहुत सी बहस हुई। यहां पर भी बहस हुई और लोगों ने घर बैठ बैठ कर भी बहस की, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं निकाली गयी कि जो हमारे गांवों में क्रानिक अनएम्प्लायमेंट है उसमें ज़रा सा भी सुधार होता। उसके बारे में मैंने कहीं भी चर्चा नहीं सुनी। अतएव मैं इस बिल के ऊपर बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि यदि आप सचमुच हैंडलूम और खादी इंडस्ट्री को मदद करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि वे बढ़ें और गांवों के लोगों को कुछ रोज़गार मिले, तो आप सच्चे दिल से आइये। इस प्रकार की टुकड़े टकड़े में बातें करके आप उनको लाभ नहीं पहुंचा सकते।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? मैं इस बिल के उद्देश्य को ठीक प्रकार से समझने में असमर्थ हूं। इसमें यह बतलाया गया है कि जो कुछ मिलों ने कानून की अवहेलना करके धोती का अधिक उत्पादन किया है उस पर चैक रखने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। आपने अभी बतलाया था कि यह पैनेलाइजिंग ऐक्ट है। मैं तो समझता हूं कि यह पैनेलाइजिंग ऐक्ट नहीं है बल्कि मिसबिहेवियर को लीगेलाइज़ करने का ऐक्ट है। धोतियों का उत्पादन इस पर निर्भर नहीं है कि आप कितना टैक्स लगाते हैं, बल्कि वह तो इस पर निर्भर है कि उनकी कितनी खपत है।

[श्री राधेलाल व्यास]

अगर देश में उसकी मांग है तो लोग उसको खरीदेंगे और मिल मालिक उसका उत्पादन कम नहीं करेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि मेरे राज्य मध्यभारत में गाढ़ा आदि मोटा कपड़ा तो हैंडलूम से बनता है लेकिन धोतियां हैंड-लूम से नहीं बनती हैं और किसान और गरीब जनता को मोटी धोती की आवश्यकता होती है । मध्यभारत में ज्यादातर धोती पहनने का रिवाज है । वहां कोई पाजामा या फ्राक नहीं पहनता । तो यह तो धोती पहनने वालों पर टैक्स लगाया गया है । अगर मनुष्य अपनी पसन्द बदल दें और पाजामा और फ्राक पहनने लगें तो वह इस टैक्स से बच जायेंगे लेकिन धोती पहनने वालों को तो यह टैक्स देना ही पड़ेगा । तो मेरा आप से यह निवेदन है कि जब तक मध्यभारत में हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देकर, वहां के लोगों को यह काम सिखा कर और उनके एसोसिएशन बना कर और उत्पादन बढ़ा कर इतनी धोतियां नहीं पैदा की जातीं कि वहां की मांग पूरी हो सके तब तक वहां के लोगों को एक कठिनाई का सामना करना होगा । तो इससे कोई चैक तो नहीं हुआ । यह स्टेप इफेक्टिव तो तब होता जब कि आप उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देते । उनको इस तरह से इजाज़त देने से तो कोई रोक हो ही नहीं सकती । इसलिए जो इस बिल का उद्देश्य है वह इस कानून से पूरा नहीं होने वाला है । कहा जाता है कि हैंडलूम को इससे सहायता मिलेगी । मैं अभी तक यह नहीं समझ सका हूं कि हैंडलूम को क्या सहायता मिली है । अब वह समय आ गया है कि गवर्नमेंट यह अनुभव करती है कि हैंडलूम इंडस्ट्री को मदद की जाय । इसके लिए हमारे सामने इस इंडस्ट्री के आंकड़े तो होना ज़रूरी है कि देश में कितनी धोतियां हैंडलूम से बनती हैं और कितना और किस्म का कपड़ा बनता है और उसकी कितनी खपत है । जिस चीज़ की ज्यादा खपत है उसका उत्पादन बढ़ाया जाय । तो अब तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया है । गवर्नमेंट शायद यह भी नहीं बतला सकती कि कितनी धोतियां हैंडलूम से पैदा होती हैं या पैदा की जा सकती हैं । जब तक यह स्थिति मालूम न हो जाय तब तक धोती के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा देने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा । अगर वास्तव में सरकार ने यह तै कर लिया है कि हैंडलूम इंडस्ट्री को खास तौर पर सहायता करनी है और प्रोत्साहन देना है तो मेरा तो सुझाव यह है कि हम को इसके लिए कोई लांग टर्म स्टेप लेना चाहिए और इसके लिए सारे देश की स्थिति हमारे सामने होनी चाहिए। 'अगर हमको काटेज इंडस्ट्री को मदद करना है तो हमें यही नहीं देखना चाहिए कि फलां इंडस्ट्री को मदद मिले । काटेज इंडस्ट्री का जो मूलभूत उद्देश्य है वह यह है कि हर गांव जहां तक हो सके अपने ही यहां का कपड़ा काम में लावे । हमारे सामने महात्मा गांधी जी ने यही नीति रखी थी कि हर सेंटर.....'

श्रीमान्, मैंने कुल ३-४ मिनट ही लिए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा एक मिनट और ।

श्री राधेलाल व्यास : मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो मिलें धोतियों का अतिरिक्त कोटा तैयार करेंगी उस पर टैक्स लगाने से क्या लाभ होगा । उसका असर तो सारी धोतियों की कीमत पर पड़ेगा । पिछली दफा जो आपने कानून बनाया उसमें आपने सारे कपड़े पर टैक्स लगाया था । अब आप केवल अतिरिक्त कोटे पर ही टैक्स लगा रहे हैं । यह मैं नहीं समझ सकता । यदि आप मिल के सारे कपड़े पर टैक्स लगाते तो यह मेरी समझ में आ सकता था । लेकिन केवल

धोती पर ही टैक्स लगाना अव्यवहारिक है और यह धोती पहनने वालों के साथ सस्ती होगी। इसलिए ऐसा कोई फर्क गवर्नमेंट को नहीं डालना चाहिए।

तीसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि इस हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य बेकारी को दूर करना है। जहां हम मिलों की इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, वहां अगर हैंडलूम इंडस्ट्री न हो, तो उसके लिए आपके पास क्या योजना है। यह चीज़ हमारे सामने नहीं है। अभी मुखर्जी साहब ने कहा कि कुछ मिलें ऐसी हैं कि जिनको मदद देने की ज़रूरत है। यह चीज़ भी हमारे सामने नहीं है उदाहरण के लिए हमारे यहां नज़र अली मिल बन्द पड़ी है और उसकी वजह से हजार डेढ़ हजार मज़दूर बेकार हो रहे हैं। अगर इस मिल की मदद नहीं की जायगी तो हमारे यहां बेकारी बढ़ेगी। ऐसी योजना कोई गवर्नमेंट के सामने नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मध्यभारत में केवल बम्बई को छोड़कर और सब स्टेटों से ज्यादा कपड़ा पैदा होता है, यद्यपि यह एक बहुत छोटी स्टेट है। यह पंचवर्षीय योजना के आंकड़े हैं। यू० पी० जो कि इतनी बड़ी स्टेट है वह मध्यभारत के बराबर कपड़ा उत्पादन करती है। इसलिए सरकार को वहां के कपड़ा उद्योग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वहां कपड़ा उद्योग बढ़ेगा तो वह राज्य टैक्स भी अधिक देगा लेकिन वहां हैंडलूम इंडस्ट्री को कायम करने के लिए और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के सामने कोई योजना नहीं है, उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। एक तरफ जब यह प्लान किया जा रहा है कि मिलों में धोती का उत्पादन कम किया जाय तो उसकी कमी को रिप्लेस करने के लिए हमें हैंडलूम इंडस्ट्री को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है।

इसके अलावा हैंडलूम इंडस्ट्री में भी एक बात की ज़रूरत है, अर्थात् स्टैंडर्डाइजेशन की। देश में देखा जाय कि कहां कहां किस तरह की धोती आदि की आवश्यकता है और उसी तरह के उनको डिज़ाइन देकर वैसा ही माल तैयार करवाया जाय तो वास्तव में ज्यादा लाभ होगा और लोग उससे लाभ उठा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया और कुछ अधिक समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बंसल : इस विधेयक की चर्चा बड़ी व्यापक रही है और भारत सरकार की समूची वस्त्र नीति की आलोचना हुई, पर बहुत थोड़े सदस्यों ने विधेयक के उपबन्धों पर ध्यान दिया है। डा० लंकासुन्दरम् ने लक्ष्य और कारण की पहली पंक्ति से ही समझ लिया कि इसका मूल लक्ष्य हथ-करघा उद्योग की सहायता करना है। परन्तु विधेयक का मूल्य लक्ष्य यह नहीं, बल्कि पुराने वस्त्र आदेश की कुछ कमियां दूर करना है, जिनके कारण कुछ मिलों ने अपनी स्थिति के अनुकूल अनुचित लाभ उठाया था। इसके लिये इस विधेयक में कुछ दंडात्मक उपबन्ध रखे जा रहे हैं—यदि कोई मिल ६० प्रतिशत से अधिक धोतियां बनायेगा तो उससे २ आने से १० आने प्रति रुपये तक कर लिया जायेगा। कुछ लोगों का विचार है कि यह बोझ उपभोक्ता पर पड़ेगा। फिर खंड ३ (२) में उन मिलों के विषय में उपबन्ध है, जो मशीनों और सामग्री के स्वरूप के कारण या आर्थिक कारणों से इस आदेश का पूर्णतः पालन न कर सकेंगे।

यद्यपि भारत सरकार की वस्त्र नीति की चर्चा हुई है, परन्तु किसी ने यह भी नहीं

[श्री बंसल]

पूछा कि जनवरी में लागू होने वाले नियंत्रण आदेश के क्या प्रतिफल हुए हैं ? क्या इस समय में हथ करघे की धोतियों का उत्पादन बढ़ा है । मैंने जानने की चेष्टा भी की, पर कुछ पता न चला । यदि यह उत्पादन इन ११ महीनों में नहीं बढ़ा है, तो ६० प्रतिशत का वह प्रतिबन्ध बिलकुल निष्फल गया । और लक्ष्य तथा कारण के विवरण में तथा अध्यादेश लागू करते समय सरकार ने लगभग यह मान ही लिया है कि मिलों की धोतियों का उत्पादन घटा है और मिलों ने वे प्रतिबन्ध माने हैं । मिलों द्वारा धोतियों का उत्पादन लगभग ६० प्रतिशत ही हुआ है, जैसा कि नियंत्रण आदेश के अधीन होना चाहिए था । दूसरी ओर मुझे आशा थी कि शेष ४० प्रतिशत का उत्पादन हथ करघा उद्योग ने किया होगा । मैं इसके आंकड़े जानना चाहूंगा । हथ करघे की धोतियों का उत्पादन बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य था । यदि वही नहीं हुआ, तो हमें गम्भीरतापूर्वक अपनी नीति सुधारनी पड़ेगी ।

इस ग्यारह महीने की अवधि में मिल में बनी धोतियों के दाम बढ़ गये हैं । यद्यपि पिछले महीने ये दाम कुछ कम हुए किन्तु सामान्यता मिल में बनी धोतियों के दाम इनके किस्म और अवधि के विचार से १५ से ४० प्रतिशत तक बढ़ गये हैं । इनके बढ़ने के कारण यह है कि हम लोग धोती पहनने के आदी हैं और मिलों का उत्पादन ६० प्रतिशत कम हो गया है । हथ करघे की धोतियों के दाम भी बढ़ गये हैं तथा हथ करघे की और मिल में बनी धोतियों के दामों में अन्तर वही रहा जो कि नियंत्रण आदेश के लागू करने से पहले था । हथ करघों द्वारा धोती के उत्पादन की मात्रा निर्धारित करने की हमारी नीति सफल नहीं रही है । यदि धोतियों के दाम एक निश्चित स्तर से बढ़ जायेंगे तो लोग धोती के स्थान पर पजामा आदि अन्य कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे और धोतियों की खपत कम हो जायेगी । हमें कपड़े सम्बन्धी दीर्घ कालीन नीति पर विचार करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ।

मैं हथ करघों के विरुद्ध नहीं हूं । मैं देश से बेकारी की समस्या को दूर करने के मामलों में बहुत उत्सुक हूं । इसलिये हमें इस समस्या पर उद्योग तथा हथ करघे के बीच प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिए अपितु इसे एक सामान्य समस्या के रूप में लेना चाहिए । हमें इन मूल्यों में कमी करनी चाहिए और लोगों को ये चीजें उचित दामों पर मिलनी चाहिएं । यदि आप आम इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ाते चले जायेंगे तो इनकी मांग कम हो जायेगी और देश में बेकारी फैलेगी । अतः इस समस्या को हल करते समय हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम दामों को किस प्रकार कम कर सकते हैं और देश से बेकारी को कैसे दूर कर सकते हैं ।

श्री कानातडे पाटिल : यह तो सभी जानते हैं कि हमारे हथ करघा उद्योग की हालत अच्छी नहीं है । बम्बई राज्य में तो इसकी हालत और भी खराब है । बिजली के करघे से बने कपड़े तथा मिल में बने कपड़े की तुलना में हथ करघे में उत्पादन व्यय बहुत अधिक है । हथ करघे की धोती मिलों में बनी धोती के समान ही होती है । हथ-करघा उद्योग में बने हुए माल को बाजार में बेचने की कोई सुविधा नहीं है । इस दृष्टि से यह विधेयक बहुत अच्छा है क्योंकि इसके द्वारा मिल में बने कपड़े के उत्पादन की मात्रा सीमित कर दी जायेगी ।

जहां तक बम्बई राज्य का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि इस मामले में इस विधेयक

में साड़ियां भी सम्मिलित कर लेनी चाहिए और साड़ियों के उत्पादन पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। ऐसा प्रतिबन्ध लगा देने से हथ करघे के जुलाहे अपनी साड़ियों को बाज़ार में अच्छी तरह से और उचित मूल्यों पर बेच सकते हैं। मिलों में कपड़ा बहुत अधिक तैयार किया जाता है और हथ करघा उद्योग इससे तथा बिजली के करघों से मुकाबला नहीं कर सकता है। हमें इस प्रश्न पर बेकारी की दृष्टि से विचार करना चाहिए, क्योंकि मिल में बना कपड़ा देहातों में बहुत सस्ता बिकता है। हमारा मिल उद्योग बड़े शहरों में है और युद्ध काल में यह उद्योग नष्ट भ्रष्ट हो सकता है तो ऐसी हालत में देश वासियों को कपड़ा कैसे मिल सकेगा? अतः हमें हथ करघा उद्योग को बढ़ने देना चाहिए। इस उद्योग के नष्ट हो जाने से हमें बहुत हानि हो सकती है। इस विधेयक से मिल में बने कपड़े के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगता है इस लिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री क० सी० सोधिया : मेरी सब से पहली बात यह है कि इस विधेयक के बारे में आध्यदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अध्यादेश जारी करने की की आवश्यकता तो शांति तथा व्यवस्था के मामलों में उत्पन्न होती है। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक से हथ करघा उद्योग को संरक्षण नहीं मिलता। इस विधेयक से सरकार जिस ६० प्रतिशत उत्पादन को सीमित करना चाहती है वह बेकार है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मद्रास सरकार की यह बात ठीक थी कि धोतियों का कुल उत्पादन हथ करघा उद्योग द्वारा होना चाहिए। इस विधेयक में 'धोती' की जो परिभाषा दी गई है वह गलत है। मेरी अन्तिम बात यह यह है कि सरकार असली गड़बड़ पैदा करने वालों को तो दंड दे नहीं पाती और यह सामान्य उपभोक्ता को दंड देना चाहती है। मेरा विचार है कि इस विधेयक को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलेगी और सदन को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री सी० आर० नरसिंहन (कृष्णागिरि) : जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा इस विधेयक को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। उनकी दलीलें तो ठीक हो सकती हैं किन्तु उनके निष्कर्ष ठीक नहीं थे। जब संगठित उद्योग विनियमों तथा कानून की अवहेलना करे तो कोई भी सरकार चुप नहीं बैठ सकती। अतः यह विधेयक उचित समय पर ही प्रस्तुत किया गया है। माननीय मंत्री ने हमें उन मिलों के नाम नहीं बतलाये जिन्होंने ने कानून का उल्लंघन किया।

हमारी अर्थ व्यवस्था पंच वर्षीय योजना पर आधारित है। इस पंच वर्षीय योजना में कुटीर उद्योग भी समलित हैं। संगठित उद्योगों के मुकाबले में कुटीर उद्योगों को रक्षण दिया गया है। इस योजना में इस बात की आशा की जाती है कि इस योजना में सम्मिलित किये गये कार्यों को पूरा करने में सभी देश वासी सहयोग देंगे। कुछ संगठित उद्योगों को इन कानूनों का उल्लंघन करना शोभा नहीं देता। इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यदि इसमें कुछ कमियां हों तो माननीय मंत्री उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे। यहां देश की कपड़े सम्बन्धी पूरी नीति की चर्चा करना आवश्यक नहीं। जब कपड़ा जांच समिति अपनी रिपोर्ट प्रतुस्त कर देगी तब इस पर विचार किया जा सकता है। मैं हथ करघे के जुलाहों की हालत के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जिला ऐसा है जिसमें हथ करघे के जुलाहे बहुत अधिक रहते हैं। उनकी आजीविका इसी उद्योग पर निर्भर

[श्री सी० आर० नरसिंहन]

हैं । इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये लोग देश भर में भीख मांगते हैं । बाद में इनकी मानसिक अवस्था ऐसी हो जाती है कि ये लोग भीख मांगते रहते हैं और यदि इन्हें कोई छोटा मोटा काम भी मिलता है तो उसे करने को तैयार नहीं होते । इन लोगों को फिर से अपने काम में लग जाने के लिये कहने में बड़ी कठिनाई होती है । इस प्रकार ये बकार जुलाहे बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं । इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस विधेयक को अच्छी प्रकार से पारित करवा देंगे और इन जुलाहों को पर्याप्त सहायता देने का ध्यान रखेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एम०-बी० बैश्य बोलेंगे । जो भी सदस्य बोलना चाहेंगे मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा । मैं इस विषय में सदन का मत जानना चाहता हूं । मंत्रया समिति यह चाहती है कि यह विधेयक आज ही समाप्त हो हो जाये । दलों के नेता अपने दल के सदस्यों को बोलने से नहीं रोकते ।

यदि सदन स्वीकार करेगा तो मैं ५.३० बजे समापन प्रस्ताव उपस्थित करूंगा । यदि सदन इसे स्वीकार नहीं करेगा तो मैं सभी सदस्यों को बोलने दूंगा और इसे समाप्त करने का उत्तर दायित्व मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा ।

श्री एम० बी० वैश्य (अहमदाबाद-रक्षित: अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष,जी आज हैन्डलूम्स सारे देश में फैले हुए हैं । देश का कोई भाग ऐसा नहीं है जहां हैन्डलूम्स वीवर्स काम न करते हों । हमारे देश में २५ से ३० लाख हैन्डलूम्स थे और उन पर एक या डेढ़ करोड़ जनता निर्भर होती थी । मगर मिलों के बनने के बाद जो कपड़ा हमारे देश में कर्घों से पैदा होता था वह मिलों से पैदा होना शुरू हुआ और इससे लाखों और करोड़ों जनता को अपना धंधा मिलना बन्द हो गया । आप यह कहते हैं कि मिलों में साड़ी धोतियों का ६० परसेंट ही बनाया जाय और चालीस फी सदी धोतियां हैन्डलूम्स पर बनाई जायें । मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में लाखों की तादाद में लोग हैन्डलूम्स पर काम करते हैं खास कर उसमें हरिजन लोग हैं । इन चार पांच वर्षों में उनकी क्या दशा हुई है ? पहले तो सूत की कोई सुविंधा नहीं मिलती थी, अब थोड़ी सी मिलने लगी है तो उनका कपड़ा बहुत मंहगा पड़ता है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

कई दिन तक मेहनत करने के बाद सूत से वह कपड़ा इतना मंहगा हो जाता है कि उसको बाजार में बेचने में मुसीबत होती है । पहिले तो मिलो ने महीन बनाना शुरू किया पर अब तो २० नम्बर तक का सूत भी वह बुनती हैं किसान और मजदूर जो हैन्डलूम का बहुत ठोस और मजबूत कपड़ा पहिनते थे उनको अब मिल के कपड़े की लालच हो गई है और चूंकि मिल का कपड़ा सस्ते में मिल जाता है इसलिये वह मिल का ही कपड़ा खरीदते है । सरकार इतने शुद्धभाव से जो यह बिल लाई है उसकी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें जो कुछ रखा गया है उससे हैन्डलूम वालों का कोई खास लाभ नहीं होगा, इससे कोई भी फायदा लोगों का हो सकेगा ऐसा नहीं लगता । इसमें लिखा हुआ है कि इससे हमारे तमाम कर्घे के मजदूरों को और कर्घे पर काम करने वालों को फायदा पहुंचेगा । हम सब इस आशा पर बैठे थे कि जब बिल हमारे यहां आयेगा तो उससे बहुत फायदा होगा । लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ । इसमें लिखा हुआ है कि दूसरे लोगकोभी

फायदा होगा। अब हम चाहते हैं कि सरकार इस पर गौर से अपना ध्यान दे। देश में लाखों की तादाद में लोग बेकार बैठे हुए हैं। मिलों को बनाने के लिये तो बाहर से सामान और मशीनरी लानी पड़ती है लेकिन हैन्डलूम्स तो जिस गांव में लोग रहते हैं उनमें ही बनते हैं। मैं वीवर होने के नाते कह सकता हूं, हमारे छोटे से घर में एक मिल बन जाती है। घर के सारे आदमी उस पर काम करने लग जाते हैं, वहां कोई किसी को डिसमिस नहीं कर सकता, लाक आउट नहीं कर सकता। अगर हमको सुविधा मिलती रहे, तो हम अपने घर के सभी आदमी आठ, दस घंटे भी बैठ कर कपड़ा बना सकते हैं तो वह कपड़ा देश भर में अच्छे से अच्छा होता है, लेकिन मिल वाले जो पैसे वाले हैं उनको ज्यादा पैसा न मिले इस का तो कुछ इन्तजाम हो। हम हैंडलूम्स वालों को तो अपना पेट भरना है, उनको अपने पास पैसा नहीं बढ़ाना है, न हमें मोटर खरीदना है। वह तो केवल अपने पेट के लिये चाहते हैं कि सरकार कुछ समय तक इतनी व्यवस्था कर दे। हम ढाके की मलमल की बात सुनते हैं, हमको मालूम होता है कि हमारे देश में महीन कपड़ा बनता था, वह कपड़ा बनाने वाले आज भी पड़े हुए हैं, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिलती। इसलिये मेरी विनती है कि कम से कम २० नम्बर के सूत को जो कि मिलों में बुना जाता है बन्द कर दिया जाय और २० नम्बर तक का सूत सिर्फ हैंडलूम पर ही बनाया जाय जिससे खेतिहर मजदूर और किसानों को मजबूत कपड़ा मिले वह अच्छा बुना हुआ और ठोस बुना हुआ हो और वह ज्यादा समय तक चल सके और उनको फायदा भी हो।

सरकार यह बिल शुद्ध हृदय से लाई है इसलिये मेरी विनती है कि इस बिल में यह हो कि जो कर लगेगा वह सरकार हैन्डलूम और कर्घों को ठीक करने में खर्च करेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इस में लिखा हुआ है कि जो विशेष कोटा धोतियों का दिया हुआ है उस से अगर कोई ज्यादा बनायेगा तो उस पर २ आ० से ८ आ० तक कर लगाया जायेगा। लेकिन उस कर का होगा क्या? वह सरकारी तिजोरी में चला जाय तो इस से तो कोई फायदा होगा नहीं। अगर फायदा करना है इस देश में हैन्डलूम की उन्नति करनी है, इस देश के हैन्डलूम मजदूरों और कर्घों पर काम करने वालों को जीता रखना है, तो मेरी विनती है कि सरकार को इस बिल में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस से हैन्डलूम के धंधे की कुछ सहायता हो सके। यह धंधा वर्षों से हमारे देश में चलता था, हमारे यहा का कपड़ा दुनियां भर में जाता था और जिस से लोग आश्चर्य चकित हो जाते थे अगर वही कपड़ा हम अपने देश वालों को नहीं पहिना सकते तो उससे क्या फायदा होगा?

जो सरकार यह बिल लायी है अगर वही सरकार अपने कामों के लिये भी हैन्डलूम का कपड़ा इस्तेमाल करे तो इससे देश को बहुत कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन सरकार और के लिये तो यह बात करे लेकिन अपने लिये कुछ न करे तो इससे कोई फायदा नहीं हो सकता। मेरी विनती यह है कि जहां सरकार को एक टुकड़े कपड़े की भी जरूरत हो अगर वहां वह पहले खादी और दूसरे नम्बर पर हैन्डलूम का कपड़ा खरीदे तो इससे देश को बहुत लाभ हो सकता है। हमारे यहां कारीगर बहुत हैं और वह बहुत कपड़ा तैयार कर सकते हैं लेकिन उनके तैयार किये हुए कपड़े के लिये बाजार नहीं है। एक महोदय ने कहा था कि सरकार को वह कपड़ा खरीदना चाहिये हम अपने कपड़े को कम कीमत पर भी देने को तैयार हैं लेकिन क्या कर बड़ी मुसीबत

[श्री एम० बी० वैश्य]

से सूत मिलता है और वह भी मंहगा मिलता है । इसीलिये कपड़ा मंहगा हो जाता है और वह बिकता नहीं है । यह बहुत बड़ी मुसीबत है । तो अगर सरकार इस कपड़े के लिये बाजार पैदा कर दे तो उस से इस उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और हमारा देश सुखी हो जायेगा और गांवों में जो बेकारी फैल रही है वह कम हो जायेगी अगर कहीं शहर में बेकारी हो जाती है तो उसके लिये बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन इन बेचारे गांव वालों की कोई बात नहीं कहता जो कि भूखे पड़े हुए हैं और जिनको खाने की बड़ी मुसीबत है । वह अच्छे कारीगर होते हुए भी अपना पट नहीं भर सकते हैं । इस दशा को सुधारने के लिये मैं माननीय सदस्यों से और मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि वह इस बिल को इस तरह से लायें कि यह उद्योग जिंदा रह सके और कारीगरों को ठीक तौर से मदद मिले । जो आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं ।

श्री गोपाल राव (गुडिवाडा) : मैं सरकार तथा देश का ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं जिससे कि इन लाखों पीड़ित लोगों के लिये कुछ वास्तविक कार्य किया जा सके । उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि यह विधेयक हथकरघा उद्योग को सहायता देने के विचार से प्रस्तुत किया गया है । किन्तु सरकार की गत तीन चार वर्षों की नीति को देखने से यह मालूम पड़ता है कि कोई भी समस्या हल नहीं की जा सकी है । यह समस्या विकराल रूप धारण कर रही है और ऐसा लगता है कि सरकार इस स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझ रही है । आन्ध्र तथा तामिल नाड में ये लोग भूखे मर रहे हैं और गलियों में भीख मांगते हैं । ये लोग आत्म हत्या तक करते हैं और आत्म हत्या करने से पहिले इन्होंने श्री राजगोपालाचार्य को इसका कारण भी लिखा । आन्ध्र में पिछले एक महीने से हथकर्घे के जुलाहे सत्याग्रह कर रहे हैं किन्तु इस मामले में राज्य सरकार भी अपना उत्तर दायित्व नहीं निभा रही है । एक वक्तव्य में वहां के मुख्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र आन्ध्र सरकार को उपकर देने के लिये तय्यार नहीं । इस समस्या को हल करने के लिये केन्द्र तथा राज्यों के बीच एक सह-योजित योजना होनी चाहिए । ये जुलाहे चाहते हैं कि उन्हें सस्ते दामों पर सूत मिले और उनका माल बिके । सरकार को उनकी इन मामूली मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए । किन्तु सरकार तो दमन की नीति अपना रही है । इस तरह से तो यह समस्या हल नहीं हो सकती । स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है और यदि सरकार इस मामले में कोई निश्चित कार्य नहीं करती तो इसके सुधरने की कोई आशा नहीं । माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा कि इस समस्या को सुलझाना कठिन है, क्योंकि एक ओर तो बड़े बड़े उद्योगों को सहायता देनी है और दूसरी ओर छोटे पैमानों के तथा कुटीर उद्योगों का विकास करना है । यदि सरकार लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ा दे और कुछ वर्गों के लाभ की मात्रा पर नियंत्रण कर दे तो मैं समझता हूं कि ऐसी कठिनाई नहीं रहेगी । हमारे देश में कपड़े का उत्पादन बहुत कम होता है । जब से इस सरकार ने शासन अपने हाथ में लिया है लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई है और कपड़े की खपत भी कम हो गई है । सरकार ने अब उपकर के प में साढ़े तीन करोड़ रुपये इकठे किये हैं किन्तु

इसका क्या उपयोग किया गया । सरकार कहती है कि योजनायें बनाई जा रही हैं । किन्तु इनसे इन लोगों को तो कोई भी लाभ नहीं हो रहा और उन्हे खाना और कपड़ा नहीं मिल रहा है । आन्ध्र में लोग कह रहे हैं कि जब तक कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में सूत नहीं मिल जाता उनके जीवन धारण के लिये कुछ खाद्य वित्तरण केन्द्र खोल दिये जायें ।

इसीलिये मैं यह कह रहा हूं कि इस ३ करोड़ रुपये की राशि को बेकार लोगों को सहायता देने और सस्ते दामों पर सूत देने के हेतु केन्द्र खोलने के लिये खर्च की जानी चाहिए और इस प्रकार लोगों की सहायता से इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये । यदि इस मामले में आप ऐसे कार्य करें तो देश के सभी राजनैतिक दल सरकार से सहयोग करगे । किन्तु इस विधेयक से तो यह समस्या हल नहीं होगी, इसीलिये मैं माननीय मंत्री से कह रहा हूं कि वे कोई निश्चित योजना प्रस्तुत करें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अब इस प्रश्न पर मत लिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैंने जब इस साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया था तो तो मैंने यह कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल रहा हूं । संभव है कि कदाचित ऐसा इसलिये हो कि सदन के दोनों ओर बैठे हुए सदस्यों ने इस विधेयक को पूरी तरह से न समझा हो । हो सकता है मैंने इसे उचित रूप से न समझाया हो । हो सकता है इस बहस में सदस्यों ने अपने अपने प्रिय विषय पर अपने मन की कही हो । तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कम से कम यह तो आशा की ही जाती थी कि माननीय सदस्य कुछ रचनात्मक सुझाव रखेंगे । परन्तु कुछ को छोड़ कर अधिकतर सदस्यों ने विध्वंसक दृष्टिकोण अपनाया है । "इस विधेयक से कुछ भी भला न होगा । आप हस्तकरघों (खड्डियों) के लिये जो कुछ कर रहे हैं उससे कोई लाभ न होगा । आप मिलों के लिये जो कुछ कर रहे हैं उससे हानि पहुंचेगी । " श्री गोपाल राव ने जो जो कुछ कहा है उस से मैं समझ सकता हूं क्योंकि उसके अलावा वह कह भी क्या सकते थे । परन्तु अन्य सदस्यों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में सरकार की आलोचना करने का जो दृष्टिकोण अपनाया है उसे मैं नहीं समझ सका हूं ।

मैं एक बार पुनः उस बात को दोहरा देता हूं जो मैंने विधेयक को प्रस्तुत करते समय कही थी । इस विधेयक द्वारा केवल यह व्यवस्था की गई है कि मिलों पर वह रोक लगी रहे जो नवम्बर १९५२ में लगाई गई थी कि वे धोतियों का उत्पादन ६० प्रतिशत तक ही सीमित रखें । यदि कोई मिल इस सीमा का उल्लंघन करती है तो उस पर दांडिक उत्पादन शुल्क लगेगा ।

तो स्थिति इस प्रकार है । क्या माननीय सदस्य मेरे द्वारा ६० प्रतिशत की सीमा निर्धारित किये जाने का विरोध करते हैं ? यदि वास्तव में, वे ऐसा चाहते हैं तो उन्हें इस बात को साफ़ साफ़ कह देना चाहिए । यदि ऐसा होता है तो मैं इस विधेयक को वापस ले लूंगा तथा नियंत्रण आदेश भी रद्द कर दूंगा क्योंकि तब मैं यह समझ लूंगा कि सदन मुझे ऐसा करने का अधिकार नहीं देना चाहता है । परन्तु माननीय सदस्यों को यह नहीं भूल जाना चाहिय कि यदि मैं आदेश को वापस ले लूंगा तो मिल जितनी भी धोतियां बनाना चाहेंगे बनायेंगे

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

क्योंकि फिर उन पर एक निर्धारित सीमा तक ही धोतियां बनाने की पाबन्दी नहीं रहेगी। मेरे विचार में इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उस आदेश का अनुमोदन करना है जो नवम्बर १९५२ में जारी किया गया था। जिसके अनुसार मिल केवल ६० प्रतिशत धोतियां बना सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि यह कपड़ा नियंत्रण आदेश इस विधेयक के कारण रद्द हो जाता है। परन्तु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और चाहे जो कुछ हो यह आदेश इस विधेयक के कारण रद्द नहीं होता है। कपड़ा आदेश निरसित नहीं किया गया है। मैं तो हैरान हूं कि आखिरकार माननीय सदस्य चाहते क्या हैं? अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं किन्तु एक ने भी यह नहीं बताया कि होना क्या चाहिए। मेरे विचार में यदि माननीय सदस्य प्रश्न काल में यहां होते तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती। इस बात में अनेक सदस्य दिलचस्पी रखते हैं कि हस्तकरघों तथा खादी के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है। इस बारे में अनेक प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं तथा मैंने अनेक बार उनका उत्तर दिया है। मैंने कहा था "अनेक सरकारों ने इस बारे में योजनायें भेजी हैं तथा धन का भी प्रबन्ध कर दिया गया है।" मैं ने यह भी कहा था कि इस सम्बन्ध में लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। फिर भी, मेरे माननीय मित्र श्री गोपाल राव का कहना है कि लोग भूखों मर रहे हैं और आत्म हत्या कर रहे हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में दो बातें तो सभी को मालूम हैं कि साम्यवाद में पहले लोगों से पहले वह बातें कहलाई या करवाई जाती हैं जिनमें उनका कोई विश्वास नहीं होता है तथा बाद में उन्हें आत्महत्या कर लेनी पड़ती है। अतः मैं माने लेता हूं कि आत्महत्याओं का सम्बन्ध साम्यवाद से रहता है तथा इस तरह से मेरे मित्र का आत्महत्याओं के बारे में सोचना ठीक भी है। वास्तविकता तो यह है कि न मैं साम्यवाद में विश्वास करता हूं और न ही इस बात में कि उसके द्वारा किसी का भला हो सकता है।

अब मैं कुछ बातें खादी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमने इसके लिये १ करोड़ ३३ लाख रुपये मंजूर किया है। धन उपलब्ध किया गया है तथा उसे खर्च भी किया जा रहा है। आप चाहते हैं कि हम सारी बातें इसी समय सदन के सामने रख दें। पर हम ने तो केवल २ करोड़ रुपये की सांकेतिक मांग की है। इसका अर्थ यह हुआ कि सदन ने खर्च किये जाने के सिद्धात को स्वीकार कर लिया है। निस्संदेह शेष खर्च को पूरा करने के लिये मैं बाद में सदन के समक्ष अनूपूरक मांग लेकर उपस्थित होऊंगा। उस समय आप जितनी चाहें मेरी आलोचना कर सकेंगे। आप उस समय कह सकते हैं कि योजनायें ठीक थी या नहीं।

एक बात और भी है जिसका मैं इसी समय उल्लेख कर देना चाहता हूं। भारत सरकार के पास स्वयं अपना कोई संगठन नहीं है। भारत सरकार को राज्य सरकारों या अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग संघ जैसी संस्थाओं द्वारा यह रुपया खर्च कराना होता है और ऐसा कराने में समय लगता ही है।

सदन की इच्छा का ध्यान रखते हुए खादी, ग्राम उद्योगों, तथा हस्त करघों आदि को दी जाने वाली आर्थिक सहायता २० लाख रुपये से बढ़ाकर अब लगभग ७ करोड़ रुपये कर दी गई है। और मैं समझता हूं कि इसके लिये मुझे शर्मिदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु रुपया तो महा-

लेखा परीक्षक द्वारा मंजूर किये गये तरीकों से ही खर्च किया जायेगा । मैं यह रुपया अपने माननीय मित्र श्री गोपाल राव को तो नहीं दे सकता कि वह जिस तरह से चाहें खर्च करें क्योंकि महालेखा परीक्षक इस बात को कभी भी मंजूर नहीं करेंगे । रुपया उसी प्रकार से खर्च किया जा सकता है जिस प्रकार से वह बतायें और इसमें समय तो लगेगा ही ।

अब मैं मद्रास के लिये जो योजना बनाई गई है उसका उल्लेख करता हूं । मद्रास ने जो योजना बनाई है उसके अनुसार रुपया अधिकतर सहकारी समितियों द्वारा ही खर्च किया जाना है । सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि बम्बई को छोड़ कर मद्रास के हस्त करघा जुलाहों में सहकारी आन्दोलन जिस सीमा तक सफल हुआ है उतना भारत के अन्य किसी भाग में नहीं हुआ है । हस्त-करघों के लिये साढ़े तीन लाख रुपया सहकारी समितियों द्वारा ही बांटे जा रहे हैं । धन का दुरुपयोग न हो इसीलिये यह रोक थाम जरूरी है ।

मेरे माननीय मित्र श्री गाडगिल ने हस्त करघा जुलाहों (खड्डी बुनकर) की कुल संख्या के बारे में कुछ कहा था । जैसा कि उन्होंने बतलाया कि कुल २८ लाख जुलाहे हैं--इसमें से आसाम के ४ लाख को निकाल दिया जाये तो २४ लाख जुलाहे रह जाते हैं । परन्तु यह बात जनगणना के आंकड़ों से ठीक नहीं मालूम पड़ती । क्योंकि एक हस्त करघे (खड्डी) के लिये कम से कम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए । जनगणना के आकड़ों से यह बात प्रमाणित नहीं होती कि आसाम को निकालते हुए भारत में ४८ लाख व्यक्ति हस्तकरघा उद्योग (खड्डी उद्योग) से अपनी जीविका चला रहे हैं । जनगणना के आंकड़े इससे कम हैं । क्योंकि हस्त करघा जुलाहा (खड्डी बुनकर) एक प्रकार से किसान भी होता है इस लिये उसे 'किसान' वर्ग में भी रखा जा सकता है । फिर भी, आसाम को निकालते हुए भारत में ४८ लाख व्यक्ति हस्त करघों पर अपनी जीविका के लिये निर्भर नहीं रहते ।

मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् के इस कहने का कोई लाभ नहीं है कि आन्ध्र में साढ़े तीन लाख हस्त करघे हैं । ऐसा नहीं है । बढ़ा चढ़ा कर भी देखा जाये तो कोटा कार्डों के हिसाब से मद्रास में कुल आठ लाख हस्त करघे थे जिनमें से दो तिहाई अवशिष्ट मद्रास में हैं तथा केवल एक तिहाई आन्ध्र में हैं । नमूना परिमाप तथा अन्य प्रकार की जांच से अब यह पता लगा है कि इन में से केवल ५५ प्रतिशत ऐसे हस्त करघे हैं जिन्हें वास्तव में हस्त करघा कहा जा सकता है । अतएव, आठ लाख की संख्या ठीक नहीं है । यह केवल कल्पना-मात्र है । इस में से आपको ४५ प्रति शत घटाना होगा । मोटे तौर पर, जो कुछ बच रहता है उसके एक तिहाई करघे आन्ध्र में हैं ।

श्रीमान्, इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि हम सहकारी समितियों द्वारा इस धन राशि को व्यय कर सकेंगे । यह हो सकता है कि सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाने वाली योजना में बुनकर पर्याप्त संख्या में सम्मिलित न हों, इसका एक उदाहरण मैं बता सकता हूं । ऐसे भी तथा-कथित बुनकर हैं जो कोटा कार्डों से ही जीवन निर्वाह कर रहे हैं । अभी तक ऐसा होता था कि उनके पास सूत क्रय करने के कोटा कार्ड थे जिनको सूत विक्रेता को देकर वे प्रतिमास चालीस रुपया प्राप्त कर लिया करते थे । अब चूंकि हमारा संभरण पर्याप्त है इसलिये यह अवसर जाता रहा । ऐसे ही व्यक्ति हैं जो अब दलिया केन्द्रों की मांग कर रहे हैं । । इन व्यक्तियों के पास जो चालीस

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

रुपये मासिक कमा रहे थे काल्पनिक चर्खों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था।

बात यह है कि कर्घे पर काम करने वाले बुनकरों के आवरण में बड़ा मतभेद है। कोटा कार्ड धातियों में से कुछ ऐसे हैं जो सहकारी समितियों में आने को तय्यार नहीं हैं। यदि वे वास्तविक बुनकर होंगे और कार्य चाहते होंगे तो सहकारी समितियों में सम्मिलित हो जायेंगे।

यदि सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाय—वह सरकार चाहे केन्द्रीय हो या राज्य सरकार हो—कि सहकारी समितियों द्वारा दिया जाने वाला परिश्रमिक पर्याप्त नहीं है तो यह बात ठीक है क्योंकि सरकारी समितियां दस बारह आने देती हैं। जहां तक फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों का सम्बन्ध है उन से जी तोड़ परिश्रम कराया जाता है। तो यह तो बात ही और है। इस परिस्थिति का सुधार करने के लिये हमें कुछ न कुछ करना है। परन्तु हमें देखना तो यह है कि देश की सारी अर्थ व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

यह कहना तो व्यर्थ है कि उपभोक्ता को अधिक दाम देना पड़ता है। कर्घा उद्योग तथा मिल उद्योग की विरोधी मांगों में समायोजन करने के लिये आप कोई भी उपाय करें उपभोक्ता को अधिक दाम देने ही पड़ेंगे। यदि आप सामग्रियों का समूहन करेंगे तो अलाभकारी आधार वाले तथा लाभकारी आधार वाले दोनों प्रकार के उत्पादन की सामग्रियों के मूल्यों को एकत्रित करना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि दाम बढ़ जायेंगे। रूस में भी करों की मूल प्रणाली उत्पादन कर पर आधारित है। इसलिये किसी भी रूप में कर लगाया जाये अन्त में वह कर उपभोक्ता को ही देना पड़ता है। यदि आप विभिन्न स्तर के उद्योगों को जिनमें से कुछ दक्ष हैं कुछ अदक्ष तथा कुछ कम दक्ष हैं, एक ही आधार पर रक्खेंगे तब सब को मिला कर वस्तुओं का जो मूल्य निर्धारित किया जायगा वह निश्चय ही अधिक होगा।

कम्यूनिस्ट पार्टी के मेरे मित्रों ने एक ही बात ऐसी कही है जिसको मैं मानने को तैयार हूं वास्तव में सारी समस्या का निचोड़ साधारण व्यक्ति की क्रय शक्ति की समस्या है। यही बात मेरे माननीय मित्र श्री मूकर्जी ने कही है और यह बात ठीक है। यदि मिल धोतियां बनाना बन्द कर दें तो इस में कोई सन्देह नहीं कि कर्घे की धोतियों की मांग बढ़ जायेगी परन्तु बढ़े हुए मूल्य उपभोक्ता को ही देने पड़ेंगे। उत्पादन शुल्क के द्वारा किसी हद तक मूल्य बढ़ाये जा सकते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से कर्घा उद्योग तथा बुनकर को कुछ सहायता पहुंचाई जा सकती है। यदि मैं दाहने बायें तथा केन्द्र के माननीय सदस्यों के सुझावों का समूहन करूं तो सभी का परिणाम यह होगा कि उसका भार उपभोक्ता पर पड़ेगा। और उपभोक्ता पर भार डालने के पहले आपको देख लेना चाहिये कि उसकी क्रय शक्ति कितनी है। उपभोग पर भार डालने के लिये क्रय शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। यदि उपभोग न हो तो किसी प्रकार का भी उत्पादन नहीं हो सकता है।

मेरे माननीय मित्र श्री चटर्जी का कहना है; 'उत्पादन बढ़ाओ या मरो'। अब कहा जाता है 'उत्पादन बढ़ाओ और मरो'। वास्तविकता यह है कि जब संभरण की दुर्लभता हो तो राष्ट्र के सामने यही प्रश्न होता है, 'उत्पादन बढ़ाओ या मरो'। परन्तु यदि आप को दो प्रकार की एकाइयों को एक साथ रखेंगे जिनमें से एक में अत्यधिक उत्पादन हो रहा हो तथा वह लाभकारी हो और दूसरा अलाभकारी हो तथा उसमें होने वाला उत्पादन कम

हो रहा हो तो अलाभकारी एकाई का विनाश हो जायगा। यह बड़े दुख की बात है। क्योंकि हम यह नहीं चाहते हैं कि किसी उत्पादक का विनाश हो जाय। अलाभकारी होने पर भी मैं उस उत्पादक को उस समय तक जीवित रखना चाहता हूं जब तक कि वह इस योग्य न हो जाय कि कर्घे पर काम करने वाले मज़दूर का काम कर के दस बारह आने कमाने के बजाय बढ़ई या धोबी का कार्य करके तीन रुपये या मिल मज़दूर का काम करके पांच रुपये रोज़ कमाने लगे। मेरी यही आकांक्षा है अन्य लोगों की चाहे जो हो। यह भी तथ्य है जैसा कि श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा है कि मिल उद्योग कितने आदमियों को जीविका पहुंचाता है इसका अनुमान केवल इसी से नहीं लगाया जा सकता कि कितने मज़दूर उसमें काम करते हैं। कितने ही लोग रूई उगाते हैं और उसके बिनौले निकालते हैं कितने ही लोग मिल की अन्य आवश्यक सामग्रियां जैसे कोयले के संभरण के कार्य में लगे हुए हैं तथा अन्य कितने ही लोग हैं जो मिल के उत्पादन के वितरण कार्य में लगे हुए हैं। इस प्रकार जितने व्यक्ति मिल में कार्य करते हैं उससे दस बारह गुना अधिक संख्या में लोग मिल के कारण जीवकोपार्जन करते हैं। भद्रावती पहले एक छोटा सा पुवा था अब उसकी जनसंख्या साठ हज़ार है यद्यपि अभी तीन ही मास का समय व्यतीत हुआ है। परन्तु मिल में कार्य करने वाले मज़दूरों की वास्तविक संख्या केवल पांच हज़ार है। उत्तर पूर्व में पचास मील तक तथा अन्य दिशाओं में पच्चीस मील तक लोगों का जीवन निर्वाह भद्रावती के कारण ही हो रहा है। कितने ही व्यक्ति भद्रावती की जनसंख्या को बांस, कोयला तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों का संभरण करते हैं।

जहां लोगों को जीविका पहुंचाने का प्रश्न है बड़े उद्योगों का वैसा ही महत्व है जैसा छोटे उद्योगों का। परन्तु इस संक्रान्ति काल में किसी को हानि पहुंचे यह नहीं सहन किया जा सकता। जो सरकार ऐसा करे उसे सत्तारूढ़ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे तथा अन्य लोगों के दृष्टिकोण में केवल एक ही मतभेद है। वे कहते हैं कि कुटीर उद्योगों को शाश्वत बना देना चाहिये। मेरा कहना है कि कुटीर उद्योगों को उसी हालत में क़ायम रखने की आवश्यकता है जब तक वह लाभकारी उत्पादन कर सकें। कर्घे का काम करने वाला जब तक लाभकारी उत्पादन कर सकता है मैं उसे जीवित रखने के लिये तैयार हूं। यदि वह ऐसी बनारसी साड़ी बना सकता है जिसके लिये बाज़ार मौजूद है या ऐसा महीन कपड़ा बनाता है जिसके लिये हमारे पास विदेशों के बाज़ार हैं तो मैं उसे जीवित रखने को तैयार हूं। परन्तु यदि वह ऐसी ही मोटी चीज़ें बना सकता है जिनको बेचने के लिये उपभोक्ता से अधिक दाम लेना पड़े और उसकी क्रय शक्ति पर अनावश्यक दबाव डालना पड़े तो हमें उसके लिये कोई वैकल्पिक कार्य खोजना पड़ेगा।

धोतियों के उत्पादन पर मैंने जो प्रतिबन्ध लगाया था उसका मैं एक ही उदाहरण आपके सामने रखूंगा। साठ प्रतिशत का यह प्रतिबन्ध लगाने के पूर्व मद्रास राज्य में प्रतिमास ५,१०० गांठ धोतियां जाती थीं प्रतिबन्ध के पश्चात् इसका परिमाण घट कर एक हज़ार या उससे भी कम गांठें रह गया। किसी महीने में ६०० गांठें तथा किसी महीने में १,१०० गांठ मद्रास राज्य में खपीं। इस प्रकार मिल की धोतियों में ४,००० गांठों की कमी हुई। यह हो सकता है कि हम आशा करते थे कि मिल की धोतियों के उत्पादन में १५,००० गांठों की कमी होगी। परन्तु इस उदाहरण से मैं दिखाना चाहता हूं कि केवल एक प्रान्त में मिल की धोतियों के उपभोग में ८० प्रतिशत की कमी हुई है। यह हो सकता है कि इस

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

के कारण बिचारे उपभोक्ताओं को अधिक पैसा खर्च करना पड़ा हो । परन्तु मेरा प्रश्न यह नहीं है । मैं तो केवल यह दिखाना चाहता हूं कि मेरी नीति यहां तक सफल हुई है कि मद्रास राज्य में मिल की धोतियों की खपत ५,१०० गांठों से घट कर केवल १,००० गांठ रह गई हैं ।

हो सकता है कि यह नीति भद्दी हो । कितने ही काम हम ऐसे करते हैं जो भद्दे होते हैं । जीवन स्वयं ही कितना भद्दा है । हमारा आर्थिक ज्ञान अपूर्ण है जैसे अर्थशास्त्र के प्रत्येक प्रोफ़ेसर का ज्ञान अपूर्ण होता है । इसी लिये दूषित परामर्श के कारण संसार को कितने ही दुख उठाने पड़ते हैं । परन्तु यदि हमें इस नीति के कार्यान्वितीयकरण में सफलता मिली है तो हम उसके लिये बधाई के पात्र हैं और मैं तो कहूंगा कि इसके लिये बधाई हमें नहीं, हमारे नेता श्री राजगोपालाचार्य को देना चाहिये । उन्होंने हमें इस नीति का अनुसरण करने के लिये विवश किया था ।

कुल उत्पादन को देखने पर लगभग २९,००० गांठों की कमी हुई है जबकि हमारा लक्ष्य ३०,००० गांठ घटाने का था । लगभग चालीस ऐसी मिलें हैं जिन्होंने साथ नहीं दिया। ४०० में से ४० मिलों ने साथ नहीं दिया ।

३ म० प०

किसी समय अनुकूलतम उत्पादन, जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती थी, ४५,००० गांठें होती थीं । परन्तु अब के हम ने उत्पादन को ५०,००० गांठों के औसत से घटा कर २९,००० गांठ कर दिया है । इस प्रयास में हमें पर्याप्त सफलता मिली है । इस विधेयक द्वारा हम साथ न देने वाले सीमान्त उदाहरणों का प्रबन्ध कर रहे हैं । मैं अनुभव करता हूं कि कुछ ऐसे उदाहरण होते जिनको, आर्थिक कारणों से, थोड़ा अधिक उत्पादन करने की छूट देनी पड़ती है । इस विधान द्वारा धोतियों के उत्पादन मूल्य में कुछ आधिक्य हो जायगा । जहां तक कर्घों का प्रश्न है उन पर इसका अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उस क्षेत्र में कर्घा पर काम करने वाले बुनकरों को मिल की धोतियों के साथ प्रतियोगिता करने में इसके कारण कुछ न कुछ सुविधा मिल जायेगी । मैंने उन अधिकारों को छोड़ नहीं दिया है जो मुझे कपड़ा नियंत्रण आदेश के द्वारा प्राप्त हुए थे । मुझे यदि उस आदेश के अनुसार किसी मिल पर मुकद्दमा चलाने का अधिकार प्राप्त था तो वह अधिकार मुझे अब भी प्राप्त है ।

श्री सिंहासन सिंह : वह अधिकार इस विधेयक के पारित हो जाने पर कहां रह जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र वकील हैं, मुझे उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है । जब तक कि रद्द करने के लिये उपबन्ध न हो तब तक वह अधिकार रहता ही है । यदि वह अधिकार न हो, तो मैं उसके स्थान पर और कुछ नहीं कर सकता हूं । वह अधिकार चाहे जिस रूप में हो किन्तु रहता अवश्य है । आप जैसे लोग कह सकते हैं कि यह विधेयक व्यावहारिक रूप से रद्द करने के लिये है । हम आप जो भी चाहें निर्णय कर सकते हैं किन्तु उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही देश भर के लिये नियम होगा । मैं वकील नहीं हूं किन्तु मुझे केवल इतना कहना है कि मैंने अधिकारों को रद्द नहीं किया है जो मुझे टेक्सटाइल नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत प्राप्त हुए थे ।

बंगाल के सम्बन्ध में बोलते हुए, मेरे माननीय मित्र श्री जी० डी० सोमानी ने बताया कि राज्य सरकारें आदेशों का पालन नहीं करती हैं । इस प्रश्न का निर्णय उन्हें दोनों सरकारों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिये ।

हमारे सभी राज्यों के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। वास्तव में मैं बताना चाहता हूं कि मैंने सभी मुख्य मन्त्रियों को इसके विषय में लिख दिया है। जब ये लोग यहां राष्ट्रीय विकास परिषद् में आये थे तो मैंने उनसे यह कह दिया था। उनमें से बहुमत ने सहमति प्रकट की थी। सदन के कुछ इस दल के माननीय सदस्यों तथा कुछ विरोधी दल के सदस्यों की भांति यदि वे सहमत नहीं थे तो केवल इस बात से कि धोतियों के उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता के लिये मूल्य बढ़ जायगा। मेरे माननीय मित्र श्री गाडगिल ने बताया है कि धोतियों का मूल्य बढ़ गया है। साथ ही वे करघे से बुनने वाले कपड़े का अभिरक्षण करना चाहते हैं। सम्भवतः हथकरघा उद्योग का कार्य एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। मद्रास में वे धोतियां तथा साड़ियां बनाते हैं। किन्हीं स्थानों में वे धोतियों के अतिरिक्त कुछ अन्य वस्त्र बना सकते हैं। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में सन् १९५० में जब धोतियों की कमी थी, तो केन्द्रीय सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि अधिक चौड़ाई वाले ५० प्रतिशत करघे धोतियों तथा साड़ियों के उत्पादन के लिये सुरक्षित कर दिये जायें, उस समय यू० पी० सरकार ने १०,००० हथकरघों को कमी की पूर्ति के विचार से धोतियां बुनने के लिये फुसलाया था। उत्तर प्रदेश में मिल की बनी हुई धोतियों के जाने से वहां के हथकरघों पर कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में नियन्त्रण आदेश के पूर्व वहां जाने वाली धोतियों की कुल संख्या भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक थी। यह संख्या लगभग ९,००० गांठ प्रतिमाह तक पहुंच चुकी थी। किन्तु आज किसी न किसी कारणवश सम्भवतः क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाने के कारण, वहां जबकि ६,५०० साड़ियों की गांठों का उपभोग होता था, अब वह संख्या बढ़ कर १४,००० गांठें हो गई हैं। यह हो सकता है कि कुछ लोग साड़ियों को धोतियों के स्थान पर पहनने लगे हैं। यह भी तथ्य है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में पिछले आठ या नौ माह में मिल के कपड़े का उपभोग सिद्धान्ततः बढ़ गया है। इन मिलों के उत्पादन में वृद्धि प्रमुखतः उन्हीं क्षेत्रों में हुई है जहां के लोगों की आर्थिक स्थिति में उन्नति हो गई है। मुझे आशा है आगामी मानसून से अच्छी फसल होगी और उससे कपड़े के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा जिससे सम्पूर्ण देश में कुछ न कुछ सम्पन्नता आयेगी। जब मैं अर्थशास्त्र पढ़ता था तो मुझे बताया गया था कि भारतीय अर्थशास्त्र मानसून पर निर्भर करता है किन्तु अब वह बात नहीं रही है। अतः यह हो सकता है राज्य विशेष चाहे इस उपाय को पसन्द न करें क्योंकि यदि इसका दूसरा उपाय निकल आता है तो सामान्यतः इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर धोतियों का मूल्य बढ़ जाता है और लोग इसे पसन्द नहीं करते। उड़ीसा में धोतियों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये कुछ न कुछ करना ही होगा। मेरे मित्र श्री एच० एन० मुकर्जी का कहना है "नियन्त्रण लगा देना चाहिये" किन्तु मेरे साथी, खाद्य तथा कृषि मंत्री, इससे सहमत न होंगे क्योंकि उन्हें विनियन्त्रण करना पड़ा था। कपास का मूल्य बढ़ गया है और अन्त में मुझे भी विनियन्त्रण करना ही पड़ा। केवल इस आधार पर कि जब उत्पादन इतना बढ़ रहा है तो मूल्य भी गिर जायेंगे। मूल्य २० प्रतिशत गिरे भी और कभी-कभी नियंत्रण गलत चीज़ सिद्ध होता भी है। जब पूर्ति तथा मांग नियम लागू होता है, पूर्ति अधिक होती है और नियन्त्रण रहता है, तो हम कृत्रिम रूप से मूल्य बढ़ाते हैं, क्योंकि आप विशेष मुनाफे की गुंजाइश के आधार पर, विशेष सेवाओं के लिये विशेष मूल्यों पर कार्य कर सकते हैं।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

अतः यहां पर इस अनिश्चितता से लाभ होता है । अधिकतर वस्तुओं के भाव गिर गए हैं किन्तु सीमित उत्पादन के कारण धोतियों के मूल्य नहीं गिरे हैं ।

यह हो सकता है कि मिल मालिक धन कमा रहे हों, किन्तु इसका उपाय वह नहीं है जो मेरे मित्र श्री गाडगिल ने बताया है । यदि मिल तथा करघे के उत्पादन को लिया जाय तो भारत जैसे देश के लिये जहां उपभोग की सीमान्त दर बहुत ऊंची है तथा मूल्य वृद्धि में तनिक वृद्धि ही उत्पत्ति द्वारा नियम की ओर आकर्षित कर लेती है ।

ये ऐसी उलझी हुई गुत्थियां हैं जिनमें से किसी एक का भी संक्षिप्त हल मिलना कठिन है । हमको जांच तथा गलती के आधार पर चलना है और मैं निश्चयपूर्वक कहता हूं कि हम लोग करघों को सहायता देने की योजना पर कार्य कर रहे हैं । हम हथकरघों पर ३ १/२ करोड़ रुपये व्यय करते हैं । खद्दर पर २ करोड़ रुपया और व्यय करूंगा । अगले वर्ष कुछ और व्यय करूंगा ।

माननीय सदस्य ने यह जो संशोधन हथ-करघा के विकास के लिये धनराशि निश्चित कर देने के सम्बन्ध में रखा है, मैं उसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं । मेरा कहना यह है कि राशि निश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है । करघा तथा खादी की सहायता करने की नीति से वचनबद्ध हैं तथा मैं अपने माननीय साथी वित्त मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि वह अगले वर्ष के आय व्यय में हथ करघे के लिये ३ १/२ करोड़ रुपये से ५ करोड़ तथा खादी के लिये २ करोड़ रुपये से ३ १/२ करोड़ रुपये की राशि निश्चित कर दें । अतः हथ-करघा तथा खादी के लिये अधिकतम व्यय राशि वह धन राशि नहीं है, जो हम उप-कर अथवा उत्पादन-शुल्क में दण्ड स्वरूप पाते हैं, वरन् केवल वह राशि है जो राज्य का आय-व्ययक सहन कर सकता है । हम दण्ड शुल्क के रूप में मिलों आदि से लगभग ७ लाख रु०, १० लाख रु० अथवा १५ लाख रुपये प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत थोड़ी राशि है । मैं इस शुल्क से न तो यह चाहता हूं कि मिलों में कुव्यवहार चलता रहे और न मैं धन कमाना ही चाहूंगा । मैं इसे केवल रोक-थाम के लिये उपयोग में लाना चाहता हूं ।

मैंने सदन में रखी गई समस्याओं को ही निबटाने का प्रयत्न किया है, और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य थक गये होंगे किन्तु सदन यदि क्षमा करे तो मैं बोलना जारी रखूं ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, आप बोलते रहिये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्री राज-गोपालाचारी तथा मेरे एक अन्य माननीय मित्र ने किनारीदार धोतियों तथा साड़ियों के विषय में कहा है । धोती में किनारी का होना आवश्यक है, किन्तु यदि किनारी नहीं होती है अथवा बहुत कम होती है, तो वह कपड़े को फटने से बचाने के लिये होती है । चौड़ी किनारी केवल इसलिये होती है कि जिससे धोती फट न जाये । किन्तु मेरी तरफ के लोग अधिकतर मलमल का उपयोग करते हैं । यदि कोई व्यक्ति चाहे तो सफेद किनारी की धोती के बिना कार्य चला सकता है, क्योंकि वह मलमल का उपयोग कर सकता है । हम मिलों को मलमल बनाने से नहीं रोकते हैं । सफ़ेद किनारी की धोती के उत्पादन में जो मोटे तौर से लगभग १ १/२ प्रतिशत की अधि-कता हुई है वह विशेष महत्व नहीं रखती है और मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य उस पर संशोधन रख कर उसे स्वीकार करने के लिये मुझ से नहीं कहेगा ।

मैं एक और बात सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। आप कपड़े के आयात के सम्बन्ध में बोल रहे थे, मैं इसे विवाद का विषय न बना कर केवल कुछ जानकारी दूंगा, जो बात श्री अलगूराय शास्त्री ने भी कही है। क्योंकि हमें अपने उद्योगों के लिये कच्चा माल मंगवाना पड़ता है, इसलिये निर्यात भी हमारे लिये अनिवार्य है। कुछ समय पहले हमें खाद्यान्न मंगवाना पड़ता था, पर अब नहीं, परन्तु हमें मशीनें मंगवानी पड़ती हैं, इसलिये हमें लगभग १००/१२० करोड़ रुपये के कपड़े का निर्यात करना पड़ता है, जो अधिकतम है। अब यह कुछ कम हो गया है। बात यह है जिन देशों में हमारा माल जाता है, उनके माल पर हम जो पाबन्दियां लगाते हैं, उसे वे देश नहीं चाहते। जब हमने फ्रांस से सुगन्धित वस्तुओं के आयात पर पाबन्दी लगाई, तो उन्होंने भी भारत से खेल का सामान मंगवाना बन्द कर दिया, और हमें इसी कारण लगभग एक करोड़ रुपये का घाटा रहा। यदि हमने आज्ञा दी होती, तो हमारे पास १० या १५ लाख रुपये की सुगन्धित वस्तुएं आतीं। हमने इन पाबन्दियों से छटकारे का दूसरा उपाय निकाला है। निस्सन्देह हमारे पास प्रशुल्क योग है, जो हमारे उद्योगों का रक्षण करता है, तथा प्रशुल्क बढ़ाता है, परन्तु राजस्व प्रशासन की दृष्टि से, हमें कच्चे माल और आवश्यक वस्तुएं अर्थात् दवाइयों पर शुल्क कम करना पड़ता है, हमने पिछले बजट में बहुत सी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिया है, जो अर्ध-ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, तथा जहां तक वरीयता शुल्क का सम्बन्ध है, कपड़े पर शुल्क ३१$\frac{1}{4}$ प्रतिशत से ६६$\frac{1}{3}$ प्रतिशत बढ़ गया है, और जहां तक अवरीयता शुल्क का सम्बन्ध है, यह १०० प्रतिशत तक बढ़ गया है। यह कपड़ा खरीदने वाले लोगों पर पर्याप्त प्रभाव डालने वाला उपाय है। मैं इस बारे में कुछ आंकड़े भी दूंगा।

जिस समय कपड़ा ओ० जी० एल० आई० ई० में था, कोई भी इसे मंगवा सकता था, जब शुल्क ३१$\frac{1}{4}$ प्रतिशत था, जहां तक वरीयता शुल्क का सम्बन्ध था, हमने १९४८-४९ में ९ करोड़ रुपये का ४ करोड़ ७० लाख गज ९ कपड़ा मंगवाया, १९४९-५० में हमने १० करोड़ रुपये का, ७ करोड़ ३० लाख गज, परन्तु १९५२-५३ में हमने १.२४ लाख रुपये का, और ४०$\frac{1}{2}$ लाख गज कपड़ा मंगवाया, और १९५३ में ६ महीनों के लिये हमने ४१ लाख रुपये का तथा लगभग २० लाख गज कपड़ा मंगवाया।

हमने कुल ७५ करोड़ गज कपड़े का निर्यात किया, जिसमें से ३० करोड़ गज कामनवैल्थ देशों में भेजा गया, अर्थात् लगभग ३५ करोड़ रुपये का। अब सब तरह से उन्हें हमें ४० लाख रुपये का माल भेजने की आज्ञा देनी चाहिये; नहीं तो हमें उस ३० करोड़ में से बहुत कमी होगी। यह तो वस्त्र आयात का भेद है। इस पर पाबन्दी लगाने से हमारे वस्त्र के निर्यात पर भी पाबन्दी लग जायगी। यदि हम निर्यात पर पाबन्दी लगाते हैं, तो उद्योगों के लिये कच्चा माल और तैयार माल तथा खाद्य सामग्री आने पर भी पाबन्दी लग जायगी। यह बात नहीं कि मैं विदेशी वस्त्र चाहता हूं, परन्तु यह व्यापार का भेद है। हमारे देश में हम पांच सौ करोड़ गज मिलों का कपड़ा और डेढ़ सौ करोड़ खड्डियों का कपड़ा तैयार करते हैं।

दूसरा प्रश्न कि खड्डियों की वर्तमान स्थिति क्या है, इसका भी मैं उत्तर देना चाहता हूं। स्थिति बुरी नहीं है। कम्युनिस्ट दल के व्यक्ति हंसते हैं, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि किसी को हंसते देखना अच्छी बात है। बात यह है कि उपलब्ध धागे की मात्रा सतत बढ़

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

रही है। १९५० में हमने हाथ करघा उद्योग को जो धागे की मात्रा दी, वह प्रति मास ४४,००० गांठें थीं, और १९५१ में यह कुछ बढ़ गया। अब हम प्रति मास ७०,००० गांठों से अधिक दे रहे हैं। उसका कपड़ा बनने के आधार पर यह १३० करोड़ से १५० करोड़ गज तक होता है और अब लगभग १५० करोड़ गज तैयार किया जाता है। ऐसा सम्भव है कि पिछले पांच वर्षों की अपेक्षा हाथ करघे अधिक हों, परन्तु तथ्य यह है कि हम पिछले उत्पादन-स्तर तक पहुंच चुके हैं जैसा मैंने बतलाया ४,००० धोती की गांठें जो मद्रास में कम हैं, उनकी कमी हाथ करघों द्वारा पूरी की जा रही है।

मैं कहता हूं कि यह नियंत्रण आदेश की शक्तियों को सरकार से नहीं लेगी, और हमें दण्ड आगम शुल्क २ आने से अधिक नहीं लगाना पड़ेगा, अर्थात् उत्पादन का १२ १/२ प्रतिशत मार्जन आवश्यक है। फिर भी हमने इसे त्रैमासिक आधार पर रखा है। मुझे आशा है कि कारखाना उद्योग ठीक काम करेगा, और हमें यह रकम नहीं देगा। यदि ऐसा हुआ, तो हम समझेंगे कि हमने अपने रक्षण के बिना कोई गलत कार्यवाई नहीं की।

श्री भागवत झा (पूर्निया व सन्थाल परगना): मैं माननीय मंत्री से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि इसने सरकार की शक्तियों को नहीं लिया। क्योंकि इस विधेयक के पास अधिक उत्पादन करने वाले कारखानों के विषय में कोई शक्ति नहीं, तो क्या सरकार उन कारखानों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने का विचार रखती है, जिन्होंने इस आदेश को भंग करके बहुत सा धन जमा कर लिया है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सरकार को विवेक रखना पड़ता है। पश्चिमी बंगाल के तीन कारखानों में से दो शरणार्थी कारखाने हैं। एक १९५२ में शुरू हुआ, अतः उस पर कोटा पद्धति नहीं लगेगी। नवीन कारखानों को कोटा देते हुए शरणार्थी कारखानों को कुछ रियायत देनी चाहिये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"जिन कारखानों को इस उद्देश्य के लिये अधिक भाग दिया जाता है, उनसे निकलने वाली धोतियों पर अतिरिक्त आगम शुल्क लगाने और एकत्रित करने के लिये विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २—(परिभाषा)

श्री गोपाल राव: मैं प्रस्ताव रखता हूं।

बिना किनारी वाली धोतियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हम बिना रंग की किनारी वाली धोतियों को सम्मिलित नहीं करना चाहते।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री सिंहासन सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसकी किनारियों का निर्देश करने के लिये सफेद धागा शब्द जोड़ दिया जाय क्योंकि देश के कई भागों में बिना रंग की किनारी वाली धोतियों का भी प्रयोग होता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं प्रस्ताव करता हूं क्योंकि धोती के किनारों पर दो सूत डाल कर किनारी डाली जाती है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इससे उलझन पड़ जायगी ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री गोपाल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कोटा शब्द की परिभाषा के लिये सार्वभौम आधार नहीं बनाया जाना चाहिए ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वे कारखाने परिभाषा में नहीं आते ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ४—धोती पर अतिरिक्त आगम शुल्क लगाना

श्री सिंहासन सिंह उठे —

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं उनके संशोधन को मान्य नहीं समझता, क्योंकि जुर्माना का अर्थ है कि आपको जुर्माना लगाना पड़ेगा । हम जुर्माना नहीं लगा सकते । सम्बन्धित व्यक्तियों को न्यायालय में जाकर इसका सबूत देना चाहिये । यह विधेयक के सिद्धान्तों के विपरीत है ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं पूरा जुर्माना चाहता हूं । २ आने के स्थान पर ६ आने होना चाहिये ।

सभापति महोदय : यह शुल्क वृद्धि के सम्बन्ध में है, अतः राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है । इस संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

प्रश्न यह है कि :

खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ५ तथा ६ विधेयक के अंग बना लिये गये ।

अनुसूची विधेयक का अंग बना ली गई ।

खण्ड १ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

शीर्षक तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

विधेयक पारित किया जाय ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाय ।

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव : मैं राज्य परिषद् के सचिव से प्राप्त किये गये निम्न संदेश को प्रस्तुत करता हूं :

"राज्य परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम ९७ के उपबन्धों के अनुसार, मुझे कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९५३ की एक प्रति भेजने के लिये निर्देश दिया गया है, जो संशोधित रूप में राज्य परिषद् द्वारा इसकी २४ नवम्बर १९५३ को हुई बैठक में पारित किया गया है ।"

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक

सचिव : मैं सदन पटल पर राज्य परिषद् द्वारा संशोधित रूप में पारित कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक १९५३ को रखता हूं ।

इस के पश्चात सदन की बैठक मंगलवार २६ नवम्बर १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।